شرح
ثلاثة الأصول وأدلتها
والقواعد الأربع
ومتن نواقض الإسلام

तीन मूल आधार
चार क़ायदे
व इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों
की व्याख्या

लेखक
मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब तमीमी

व्याख्याता
शैख़ हैसम बिन मुहम्मद जमील सरहान
पूर्व शिक्षक अल-ह़रम शिक्षण संस्थान

अनुवादक
साबिर हुसैन मोहम्मद मोजीबुर रहमान
रिसर्च स्कालर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मदीना मुनव्वरा

وقف لله تعالى لا يجوز بيعه

شرح ثلاثة الأصول والقواعد الأربع ونواقض الإسلام للشيخ هيثم بن محمد جميل سرحان مترجم إلى اللغة الهندية

شرح
ثلاثة الأصول وأدلتها
والقواعد الأربع
ومتن نواقض الإسلام

तीन मूल आधार एवं उनके प्रमाण
चार सिद्धांत
एवं इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों
की व्याख्या

लेखकः

मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब बिन सुलैमान तमीमी

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

व्याख्याताः

शैख़ हैसम बिन मुहम्मद जमील सरहान

[पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान, मस्जिद -ए- नबवी व महा प्रबंधक "अततासील अल-इल्मी डाट काम"]

http://attasseel-alelmi.com

हिंदी अनुवादः

साबिर हुसैन मोहम्मद मोजीबुर रहमान

[रिसर्च स्कालर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मदीना मुनव्वरा]

الطَّبعة الأولى

جميع الحقوق محفوظةٌ

إلَّا من أراد طبعه أو ترجمته لتوزيعه مجَّانًا بعد مراجعة المؤلِّف

الرَّجاء التَّواصل على:

islamtorrent@gmail.com

sabirhussainzamanwi@gmail.com

ثلاثة الأصول وأدلتها

तीन मूल आधार एवं उनके प्रमाण

ح هيثم محمد سرحان – ١٤٣٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

سرحان، هيثم محمد

شرح ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ونواقض الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن بن عبد الوهاب التميمي. / هيثم محمد سرحان.

الرياض، ١٤٣٨ هـ

١١٢ ص : ٢٤ × ١٧ سم

ردمك : ٥-٣٣٧٥-٠٢-٦٠٣-٩٧٨

١-التوحيد ٢- العقيدة الإسلامية أ٠ العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٣٨/٢٨٥٤

رقم الإيداع : ١٤٣٨/٢٨٥٤
ردمك : ٥-٣٣٧٥-٠٢-٦٠٣-

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحَمدَ للهِ نَحمَدُه ونستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرور أنفسِنا ومِن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهَد أنْ لا إله إلَّا الله وحدَه لا شَريك له، وأشهَد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أمَّا بعدُ:

व्याख्या से पूर्व एक प्राक्कथन

इस पुस्तिका के लेखक

नामः शैख़ुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब बिन सुलैमान तमीमी,
उपनामः अबुल हुसैन

जन्मः १११५ हिज. तथा मृत्युः १२०६ हिज. में उयैना नामक स्थान पर हुआ जोकि सऊदी अरब का एक प्रसिद्ध नगर है।

तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकिः

- अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है
- इसके बिना अल्लाह कोई भी अमल स्वीकार नहीं करेगा
- जन्नत (स्वर्ग) में केवल ऐकेश्वरवादी ही प्रवेश कर सकता है
- यह नेकियों में बढ़ोतरी का कारण है
- गुनाह (कुकर्म) के नाश का कारण है
- हिदायत (मार्गदर्शन) एवं शांतिस्थापना का कारण है
- शांतचित्तता का कारण है।
- नबी ﷺ की शिफ़ाअत पाने का कारण है

इस पुस्तिका के चयन का कारण

सलफ़ एवं अहले सुन्नत के विद्वानों ने इस पुस्तक के प्रति अपार प्रेम दर्शाया है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के लाभ तथा ऐसे मूलाधार, नियम एवं क़ायदे का उल्लेख है जो शरीअत का अध्ययन कर रहे छात्र के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, अतः हमें भी नेक पूर्वज की पैरवी करते हुए उन्हीं का ढंग अपनाना चाहिए।

* इसी प्रकार सामान्य लोगों के लिए भी इस पुस्तिका का अध्ययन अपरिहार्य है क्योंकि इसमें अक़ीदा के ऐसे महत्वपूर्ण मूल बयान किए गए हैं, जिन पर बिना किसी संदेह के ईमान लाना वाजिब है।

इस पुस्तिका -एवं शैख़ुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब ﷺ के अन्य पुस्तकों की विशेषता-:

- सरलता एवं स्पष्टता
- मसले (मुद्दे) को दलील (तर्क) के साथ ज़िक्र करना
- मसले को व्यवस्थित ढ़गं से एक स्थान पर सूचीबद्ध करने के पश्चात व्याख्या का आरंभ करना।
- अपनी पुस्तक के पाठक एवं श्रोता के लिए अत्याधिक दुआ करना।

तीन मूल आधार का परिचय

वास्तव मे तीन मूल आधार संक्षिप्त रूप सेः क़ब्र के तीन प्रश्न हैं

- तुम्हारा रब कौन है?
- तुम्हारा धर्म क्या है?
- तुम्हारा नबी कौन है?

तीन मूलाधार के अध्ययन का क्या फायदा है?

यदि आप तीन मूल आधार को जान लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, लोगों को उसकी दावत देते हैं तत्पश्चात उस ज्ञान, अमल तथा दावत पर सब्र करते हैं तो अवश्य ही आप -अल्लाह की आज्ञा से- क़ब्र के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।

तीन मूल आधार की विषय सूची

इस पुस्तक की पाँच क़िस्में हैं, जो इस प्रकार हैः

१- चार मसले (सूरह अस्र)

२- तीन मसले (तौहीद के प्रकार)

३- तौहीद जानने का लाभ

४- तीन मूल आधार (क़ब्र के तीन प्रश्न)

५- निष्कर्ष (समाप्ति)

१- चार मसले

- १- ज्ञान अर्जित करना
- २- उसके अनुरूप कर्तव्य करना
- ३- उसकी ओर दावत देना
- ४- इस पथ में मिलने वाली उत्पीड़न पर धैर्य रखना

२- तीन मसले

- १- तौहीद -ए- रुबूबियत एवं असमा व सिफ़ात
- २- तौहीद - ए- उलूहियत
- ३- शिर्क एवं मुशरिकीन से दूरी (हृदय, जिह्वा -जीभ- तथा अंगों से)

३- तौहीद जानने की महत्ता

इस प्रश्न का उत्तर "तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?में है।

४- तीन मूल आधार

वास्तव मे तीन मूल आधार संक्षिप्त रूप सेः क़ब्र के तीन प्रश्न हैं

- तुम्हारा रब कौन है?
- तुम्हारा धर्म क्या है?
- तुम्हारा नबी कौन है?

५- निष्कर्ष (समाप्ति)

लेखक -रहिमहुल्लाह- के इस पंक्ति (जब लोग मर जाऐंगे तो उन्हें पुनः उठाया जाऐगा) से लेकर पुस्तक के अंत तक।

प्रथमः चार मसले

(१) بسم الله الرحمن الرحيم
आपको ज्ञात हो - अल्लाह आप पर कृपा करे - (२) कि हमारे लिए चार चीज़ों का सीखना आवश्यक हैः
पहलाः ज्ञान अर्जित करना, अर्थात अल्लाह तआला, उसके रसूल तथा इस्लाम धर्म को प्रमाणों समेत जानना।
दूसराः उस अर्जित ज्ञान के अनुसार कर्तव्य करना। (३)

(१) लेखक का इस पुस्तिका को बिस्मिल्लाह से आरंभ करने का कारणः

१- क़ुरआन एवं नबियों -عليهم السلام- का अनुसरण करते हुए।	२- अपने सलफ (नेक पुर्वज) एवं उलेमा (बुद्धिजीवियों) का अनुकरण करते हुए, जिनकी प्रवृत्ति अपनी पुस्तकों का प्रारंभ बिस्मिल्लाह से करने की थी।	३- अल्लाह करीम के पवित्र नाम से बरकत हासिल करने के लिए।

(२) जैसा कि हमने प्राक्कथन में इशारा किया था कि लेखक की आदत है कि वह विधार्थियों के लिए दुआ तथा उनके लिए अल्लाह की रहमत मांगते हुए किताब प्रारंभ करते हैं, जो प्रमाण हैः

अहल -ए- सुन्नत व जमात की अपने छात्रों से स्नेह पर	इस्लाम धर्म का आधार ही रहमत है

इल्म -ज्ञान- हक़ को प्रमाणों के साथ जानना है, जिसका विलोम जहल (अज्ञानता) है।

(३) ज्ञान तथा कर्म के बीच संबंध के विषय मे कहा गया है किः (यदि इल्म (ज्ञान) के अनुसार कर्म किया जाए तो ठीक, अन्यथा वह इल्म समाप्त हो जाता है)। अर्थात बिना कर्तव्य के ज्ञान का कोई लाभ नहीं, अतः ज्ञान अर्जित करने के पश्चात कर्म करना आवश्यक है ताकि यहूदियों से समानता न हो, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो था किंतु उसके अनुसार कर्म नहीं करते थे ﴿يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ﴾ (वह तो उन्हें ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने)।

वह तीन लोग जिनके द्वारा जहन्नम (नरक) सुलगाई जाएगी उनमें से एक वह आलिम (ज्ञानी) होगा जिसने अपने ज्ञानुसार कर्म नहीं किया।

وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الوَثَنْ

जिस आलिम ने अपने ज्ञानुसार कर्म नहीं किया मूर्तिपूजकों से पूर्व अज़ाब दिया जाएगा।

दावत का कार्य करने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें हैं जिनका उसमें पाया जाना ज़रूरी है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैः

१- दावत पूर्णरूपेण अल्लाह के लिए हो।

२- दावत का कार्य शरीअत के ज्ञान पर आधारित हो।

३- दावत का कार्य हिकमत तथा धैर्य के साथ हो।

४- व्यक्ति, समय तथा परिस्थिति के अनुसार दावत का कार्य हो।

तीसराः उस अर्जित ज्ञान की ओर लोगों को दावत देना।

इन शर्तों की दलीलः

अल्लाह तआला का यह कथन हैः ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ आप कह दिजिए, यही मेरा मार्ग है। मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ। मैं स्वयं भी पूर्ण प्रकाश में हूँ और मेरे अनुयायी भी, -महिमावान है अल्लाह-, और मैं कदापि बहुदेववादि नहीं।

﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ﴾ इसका तात्पर्य रसूल ﷺ की लाई हुई शरीअत से है। सबील, अर्थात मार्ग।

﴿أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ﴾ अल्लाह की ओर दावत देने वाला (दाई) वही है जिसका मकसद निष्ठावान होकर लोगों को केवल अल्लाह के करीब करना हो।

﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ बसीरतः इल्म को कहते हैं, जो यहाँ निम्नलिखित बातों पर आधारित हैः

- शरीअत का ज्ञान
- दावत दिए जाने वाले व्यक्ति के परिस्थिति के अनुसार दावत का कार्य करना।
- दावत की शैली तथा माध्यम का ज्ञान।

लेखक महोदय कहना चाहते हैं किः जब आपने ज्ञान अर्जित करने के पश्चात उसके अनुसार कर्म कर लिया तो अब आवश्यक है कि आप उस मार्ग पर चलें जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सहाबा, तथा सलफ़ (नेक पूर्वज) चलते थे, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى﴾ (आप कह दिजिए, यही मेरा मार्ग है। मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ। मैं स्वयं भी पूर्ण प्रकाश में हूँ और मेरे अनुयायी भी), अर्थात दावत का कार्य अपरिहार्य है।

चौथाः इस पथ में आने वाली कठिनाईयों को सहन करना तथा संयम रखना। (१)

इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ﴾ सौगंध है काल की, बेशक सारे इंसान टूटे तथा घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे-अच्छे तथा नेक कार्य किए, एवं एक दूसरे को हक़ (सत्य) तथा सब्र (संयम) की वसीयत करते रहे। (२)

(१) लेखक महोदय ने दावत के पश्चात सब्र का उल्लेख किया है, मानो कह रहे हैं कि जो दावत के पथ पर चलेगा उसे भी वही यातनाऐं झेलनी पड़ेंगी जो नबियों तथा रसूलों को झेलनी पड़ी थीं, अतः सब्र करना अपरिहार्य है।

सब्र

शब्दकोष अनुसार सब्र कहते हैः रोकने को।

शरीअत में सब्र कहते हैः स्वंय को कुछ चीज़ों से रोक लेना तो कूछ चीज़ों को अपने ऊपर रोक लेना।

इमाम इब्न अल क़ैयिम رحمه الله ने सब्र के तीन भाग किए हैः

१- अल्लाह के आज्ञापालन पर सब्र करना यहाँ तक की अदा कर दिया जाए।

२- अल्लाह के अवज्ञा से सब्र करना यहाँ तक की बच जाए।

३- अल्लाह की ओर से मुक़द्दर की गई परेशानियों पर सब्र करना।

(२) चारों मसले ज़िक्र करने के पश्चात लेखक रहिमहुल्लाह ने क़ुरान से उनकी दलील ज़िक्र की है, जो कि सूरा अस्र है, लेखक रहिमहुल्लाह हमेशा मसले को दलील के साथ जिक्र करते हैं, **क्यों?**

ताकि छात्र की शिक्षा एवं परवरिश इत्तेबा पर हो न कि तक़लीद पर।

ताकि छात्र के पास दलील हो जिससे वह मुख़ालिफ का रद्द (खण्डन) कर सके।

ताकि छात्र के अंदर दुरुस्त बुनियादों पर प्रमाणों से मसला समझने की क्षमता पैदा हो।

(१) आप रहिमहुल्लाह का अभिप्राय यह है कि यह सूरत अकेले बंदों पर हुज्जत क़ायम करने के लिए पर्याप्त है कि वह सीखें, उसपर अमल करें, उसकी ओर दावत दें तथा उस पर सब्र करें।

(जब एक सूरा का यह हाल है) तो फिर क़ुरआन के अन्य हिस्सों के विषय में आपके क्या विचार हैं, जब्कि समस्त क़ुरआन ही हुज्जत एवं दलील है।

(२) हदीस से संबंधित ज्ञान रखने के मामले में अमीरुल मोमिनीन (मोमिनों के ख़लीफा) का दर्जा प्राप्त (इमाम बुख़ारी) ने अपनी किताब सहीह बुख़ारी में अध्याय रखा है: $بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ#. कथनी तथा करनी के पूर्व ज्ञान प्राप्त करने का अध्याय। और उसकी दलील ज़िक्र की है, अतः कथनी तथा करनी के पूर्व ज्ञान अर्जित करना अपरिहार्य है।

इस से साबित हुआ कि ज्ञान अर्जित करने के पूर्व कर्म करना सही नहीं है, अन्यथा ऐसा करने वाले के अंदर ईसाईयों से समानता पाई जाएगी।

इमाम शाफई रहिमहुल्लाह का कथन है कि: $لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ#(१) यदि अल्लाह ने मानवता के लिए इसके सिवा कोई दूसरी आयत न भी उतारी होती, तो यह उनके लिए तर्क के तौर पर काफी और पर्याप्त होती।

इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह का कथन है: $بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ#. कथनी तथा करनी के पूर्व ज्ञान प्राप्त करने का अध्याय।

और इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾.

ऐ हमारे रसूल, आपको ज्ञात हो कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य माबूद नहीं, और आप अपने तथा पुरुष एवं महिला मोमिनों के गुनाहों की क्षमा मांगें।

तो (यहाँ अल्लाह ने) कथनी तथा करनी के पूर्व ज्ञान से आरंभ किया है। (२)

द्वितीयः तीन मसले

अल्लाह की आप पर कृपा हो, ज्ञात हो कि प्रत्येक मुस्लिम पुरुष तथा महिला पर इन तीन मसले का जानना एवं उसके अनुसार कर्म करना आवश्यक और वाजिब है। (१)

(१) लेखक ने यहाँ भी छात्रों के लिए दुआ करने से प्रारंभ किया है।
लेखक रहिमहुल्लाह ने तीन मूलाधार में तीन स्थान पर छात्रों के लिए प्रार्थना (दुआ) किया हैः चार मसले के प्रारंभ में, तत्पश्चात यहाँ तीन मसले के पास, तथा तीसरा स्थान हैः (जान लो, अल्लाह आपको अपने आज्ञापालन की ओर मार्गदर्शन करे कि हनीफीया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत ...)

तीन मसले का आरंभ करने के पूर्व एक परिचय

तौहीद

शब्दकोष अनुसारः किसी वस्तु को एक करना या एक मानना, जिसकी उत्पत्ति मूल शब्द वहदा युवहिदो (وَحَّدَ يُوَحِّدُ) से हुई है।

शरीअत अनुसारः अल्लाह तआला को उसकी समस्त विशेषताओः उपासना, सृजनकर्ता होने तथा उसके नाम एवं गुण में अकेला मानना।

तौहीद के तीन प्रकार हैः

तौहीद -ए- रुबूबियत
अल्लाह तआला को उनके समस्त क्रियाकलाप में अकेले मानना या अल्लाह तआला को सृष्टि कर्ता होने, बादशाहत तथा तदबीर करने में अकेला मानना।

तौहीद -ए- उलूहियत
उपासना एवं आराधना योग्य होने में अकेला मानना।

तौहीद अल-असमा व अल-सिफात
अल्लाह ने अपने कुरान में या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसका अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता के।

* अल्लाह के नाम एवं गुण तौक़ीफी हैं, आर्थात इस संबंध में कुरआन व सुन्नत में जो कुछ आया है, उसी पर निर्भर रहना होगा, जोकि इस प्रकार होगाः

- अल्लाह ने अपने लिए अपनी किताब में स्वंय के लिए अथवा उनके रसूल ने उनके लिए जो प्रमाणित किया है उसको मानना।
- अल्लाह ने अपने लिए अपनी किताब में स्वंय के लिए अथवा उनके रसूल ने उनकी ओर से जिन चीजों का इंकार किया है उसका बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता के इंकार करना, जैसे ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ (उसे न ऊँघ लगती है न निद्रा) ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ (हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हुई)

पहली बातः यह कि अल्लाह तआला ने हमें पैदा किया, वही हमारे जीविका का प्रबंध करता है, तथा उसने पैदा करने के पश्चात हमें बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे पास अपना रसूल (दूत) भेजा, जो उनकी बात मानेगा वह जन्नत में जाएगा, तथा जो उनकी बात नहीं मानेगा वह जहन्नम में जाएगा।

इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान हैः

﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ (१) निः संदेह हमने तुम्हरी ओर तुम पर गवाही देने वाला एक रसूल भेजा, जैसा की हमने फिरऔन की ओर एक रसूल (दूत) भेजा था, परंतु फिरऔन ने रसूल की अवहेलना की तो हमने उसको बड़ी सख़्ती के साथ दबोच लिया।

«तीन मसले» का सारांश

पहला मसलाः तौहीद -ए- रुबूबियत व तौहीद अल-असमा व अल-सिफात

दूसरा मसलाः तौहीद -ए- उलूहियत

तीसरा मसलाः शिर्क एवं मुश्रिकीन से अलगाव

पहले मसले में लेखक ने तौहीद -ए- रुबूबियत व तौहीद अल-असमा व अल-सिफात, को साबित किया है (أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا) (अल्लाह तआला ने हमें पैदा किया) वही सृष्टि कर्ता है, (وَرَزَقَنَا) (वही हमारे जीविका का प्रबंध करता है) रोज़ी देने वाला है (وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً) (हमें बेकार नहीं छोड़ा) निष्क्रिय जिसे न कुछ करने की आज्ञा हो, न ही किसी कार्य से रोका गया हो (بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً) (बल्कि हमारे पास अपना दूत भेजा)।

रसूलों को भेजने का उद्देश्यः

रहमतः ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ हमने आपको समस्त संसार के लिए रहमत (दयालु) बना कर भेजा है।

मख़लूक़ पर हुज्जत क़ायम करनाः ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ हम लोगों को अज़ाब (यातना) नहीं देते जब तक कोई रसूल न भेज दें।

दूसरी बातः अल्लाह को यह बात कदापि स्वीकार नहीं कि उसकी उपासना में किसी अन्य को साझी बनाया जाए, चाहे वह कोई (निकटवर्ती) फरिश्ता अथवा रसूल ही क्यों न हो।

और इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान है: ﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾ मस्जिदें केवल अल्लाह के लिए हैं, अतः तुम (इसमें) अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को न पुकारो।

दूसरे मसले में अल्लाह की उलूहियत (देवत्व) का इक़रार है।

लेखक रहिमहुल्लाह फरमाते हैः (أنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ) (अल्लाह के नज्दीक यह बात कदापि स्वीकार्य नहीं कि किसी अन्य को उसका साझी बनाया जाए) «أحدٌ»(कोई अन्य) नकरः (अनिश्चयवाचक संज्ञा) है जो हर किसी को सम्मिलित है, चाहे वह नबी, वली, जिन्न, फरिश्ता, या नेक लोग इत्यादि ही क्यों न हों, अर्थात कोई भी हो।

जिसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान है:

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾

मस्जिद के अर्थ के विषय में तीन कथन हैं, एवं तीनों के मध्य संयोजन संभव है।

- दीवार के सहारे बनाई गई मस्जिदें कि जिसमें केवल अल्लाह की उपासना की जाए।
- वह अंग, जिनका प्रयोग सज्दा करते समय किया जाता है।
- भूमिः $وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا# (हमारे लिए समस्त भूमि मस्जिद एवं पाक करने वाली बनाई गई है)।

﴿لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾: #أحـــــدًا$ नकरः (अनिश्चयवाचक संज्ञा) है जिसके पूर्व नह्य (इंकार, निषेध) है, जो हर किसी को शामिल है, इसी कारणवश इमाम रहिमहुल्लाह ने दूसरे मसले के प्रारंभ में कहा है: (أنَّ الله لَا يَرْضَـى أنْ يُشْـرَكَ مَعَـهُ أحَـدٌ)(अल्लाह को कदापि स्वीकार नहीं कि किसी अन्य को उसका साझी बनाया जाए) चाहे वह नबी वली जिन्न फरिश्ता या नेक आदमी इत्यादि ही क्यों न हो।

तीसरे मसले में लेखक रहिमहुल्लाह ने शिर्क तथा अहले शिर्क से बराअत (अलगाव) के वाजिब (अपरिहार्य) होने का उल्लेख किया है।

शिर्क तथा अहले शिर्क से बराअत निम्नलिखित चीजों के द्वारा होगाः

- हृदय
- ज़ुबाँ
- शारीरिक अंग

१- हृदय सेः इस प्रकार कि आप काफिर एवं उनके त्योहार तथा समारोह से घृणा करें, विशेष रूप से जो शिर्क एवं बिदअत (नवाचार) उनके यहाँ पाया जाता है उससे।

२- ज़ुबान सेः ﴿إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (तुम जिसकी उपासना करते हो मेरा उस से कोई संबंध नहीं)।

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (कह दीजिए, हे काफिरों, मैं वैसी बन्दगी नहीं करुँगा जैसी बन्दगी तुम करते हो, और न तुम वैसी बन्दगी करने वाले हो जैसी बन्दगी मैं करता हूँ, और न मैं वैसी बन्दगी करने वाला हूँ जैसी बन्दगी तुमने की है, और न तुम वैसी बन्दगी करने वाले हो जैसी बन्दगी मैं करता हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म)।

३- शारीरिक अंगों से इस प्रकार कि उनके समारोह, त्योहार या उनके धार्मिक पोशाकों एवं धारणाओं से दूरी बना कर रखे।

तीसरी बातः जिसने रसूल की बात मान ली तथा केवल अल्लाह तआला को अपना अकेला माबूद (उपास्य) मान लिया उसके लिए यह जायज (उचित) नहीं की वह उन लोगों से मित्रता रखे जो अल्लाह एवं उनके रसूल की बात नहीं मानते, चाहे वह उसके घनिष्ठतम संबंधी ही क्यों न हों।

और इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾. (अल्लाह तआला तथा क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप कभी भी उन लोगों से मित्रता करते हुए नहीं पा सकते जो अल्लाह और उसके रसूल के विरोधी हों, यधपि वह उनके पिता, पुत्र, भाई अथवा उनके परिवार के निकट सम्बन्धी ही क्यों न हों, यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान अंकित कर दिया है, तथा अपनी ओर से एक आत्मा के द्वारा उन्हें शक्ति दी है, और जिनको ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी जहाँ वे सदैव रहेंगे, अल्लाह उन से प्रसन्न तथा यह भी अल्लाह से ख़ुश हैं, यही लोग अल्लाह के गिरोह हैं, सावधान रहो, निः संदेह अल्लाह के गिरोह वाले ही सफल हैं)।

तृतीयः तौहीद जानने की महत्ता

अल्लाह आपको अपने आज्ञापालन की ओर मार्गदर्शन करे, जान लें कि, हनीफीयत -इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत- (१) यह है किः आप अल्लाह की इबादत (उपासना, पूजा), धर्म को उसके लिए ख़ालिस एवं निर्मल करते हुए करें, ऐसा ही करने का आदेश अल्लाह ने समस्त मानवता को दिया, तथा इसी उद्देश्य के लिए उनकी सृष्टि की है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (२) (मैंने तो जिन्नों और मनुष्यों को मात्र अपनी बन्दगी के लिए पैदा किया है)।

(३) (يَعْبُدُونِ) का अर्थ (يُوَحِّدُونِ) है अल्लाह को अकेला माबूद मानना।

सबसे महान (सर्वश्रेष्ठ) कार्य जिसके करने का अल्लाह ने हमें आदेश दिया है, वह तौहीद (एकेश्वरवाद) है, जिसका अर्थ हैः कि केवल अल्लाह ही की इबादत की जाए।

सबसे नीच (दुष्टतम) कार्य जिस से अल्लाह ने रोका है, वह शिर्क है, जिसका अर्थ हैः अल्लाह के संग किसी और को भी पुकारना।

(१) हनीफीयत (दीन -ए- हनीफ)

शब्दकोष अनुसारः इसकी उत्पत्ति (الحَنف) से हुई है जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु की ओर आकर्षण

शरीअत अनुसारः यह शिर्क से हट कर इख़्लास, तौहीद एवं ईमान की ओर आकर्षित होने वाली मिल्लत को कहते हैं। ﴿قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا﴾ (वह अल्लाह के आज्ञाकारी और उसकी ओर एकाग्रचित्त थे)। अर्थात वह शिर्क से मूँह फेर कर अल्लाह की ओर आकर्षित होने वाले थे, क्योंकि हनीफ उसको कहा जाता है जो सर्वदा तौहीद की ओर आकर्षित हो तथा शिर्क से दूरी बनाए रखे।

(२) लेखक رَحِمَهُ ٱللَّهُ यहाँ तौहीद जानने की महत्ता बता रहे हैं, जिसका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं।

तौहीद की परिभाषा -जैसा कि प्रस्तावना में हमने इसका वर्णन किया है-

शब्दकोष अनुसारः किसी वस्तु को एक करना या एक मानना, जो अपने मूल शब्द वहहदा युवहिदो (وَحَّدَ يُوَحِّدُ) से निकला है।

शरीअत अनुसारः अल्लाह तआला को उसकी समस्त विशेषताओः उपासना, सृजनकर्ता होने तथा उसके नाम एवं गुण में अकेला मानना।

(३) लेखक महोदय का कथनः (يَعْبُدُونِ) का अर्थ (يُوَحِّدُونِ) है, यह इब्न अब्बास -رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا- का फरमान है, जैसाकि वह कहते हैः «क़ुरआन में जहाँ भी इबादत (का शब्द) आया है उसका अर्थ हैः तौहीद» ﴿وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ﴾ (अल्लाह को एक मानो), ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ﴾ (हे लोगों अपने रब को एक मानो)।

चतुर्थः तीन मूल आधार

(१) लेखक रहिमहुल्लाह ने तीन मूलाधार के उल्लेख से इसका आरंभ किया है जोकि वास्तव में क़ब्र में पूछे जाने वाले तीन प्रश्न हैं, तथा प्रश्न के द्वारा पाठक एवं श्रोता का ध्यानाकर्षण किया है फिर उसका उत्तर दिया है।

(२) लेखक ने पहले मूल आधार का वर्णन करते हुए बयान किया है कि रब एवं इबादत (पूजा) के योग्य केवल अल्लाह तआला है तथा उसके प्रमाण में अल्लाह का यह फरमान ज़िक्र किया है:

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

अतः रब ही माबूद है।

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ यह आयत, तौहीद के तीनों प्रकार को अपने अंदर समोए है।

﴿ٱلْحَمْدُ﴾ इसमें तौहीद अल-असमा व अल-सिफात का सबूत है।

﴿لِلَّهِ﴾ इसमें तौहीद तौहीद अल-उलूहियत का सबूत है।

﴿رَبِّ﴾ इसमें तौहीद तौहीद -ए- रुबूबियत का सबूत है।

यदि आप से प्रश्न किया जाए कि वह तीन मूलाधार क्या हैं, जिनका जानना मनुष्य के ऊपर वाजिब है? तो आप उत्तर दें किः बंदे का अपने रब को, अपने दीन (धर्म) को तथा अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहचानना। (१)

यदि आप से प्रश्न किया जाए किः आपका रब कौन है? तो आप उत्तर दीजिये कि मेरा रब वह अल्लाह है जो अपनी कृपा से मुझे तथा समस्त जग को पालता है, वही मेरा माबूद है उसके सिवाय मेरा कोई माबूद (पूज्य) नहीं, इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ (२) (हर प्रकार की प्रशंसा समस्त जगत के रब अल्लाह के लिए है)।

अल्लाह के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह जगत के अंदर के दाख़िल है, और मैं भी इसी जगत का एक प्राणी हूँ।(३)

(३) अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह मख़्लूक़ (प्राणी, सृष्टि) है, और जब में मख़्लूक़ हूँ तो मेरे लिए आवश्यक है कि सृष्टिकर्ता, कृपालु तथा फज़्ल करने वाले का शुक्र (धन्यवाद) अदा करूँ। سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ (पाक व बुलंद है उसकी ज़ात -वजूद-)।

जब आपसे कहा जाए कि आपने अपने रब को कैसे पहचाना? तो आप कहें कि उसकी निशानियों तथा उसकी मख़्लूक़ के द्वारा, तथा उसकी निशानियों में से, रात, दिन तथा चंद्रमा एवं सूर्य हैं, और उसकी मख़्लूक़ में से सातों आसमान व ज़मीन तथा जो कुछ उनके अंदर तथा बीच में है।

इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान है: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (और उसकी निशानियों में से रात, दिन, सूरज और चाँद हैं, तुम सूरज एवं चाँद के आगे सज्दा न करो, बल्कि केवल उस अल्लाह के लिए सज्दा करो जिसने इन सब को पैदा किया है, यदि तुम्हें उसी की इबादत करनी है तो)। और अल्लाह तआला का यह फरमान: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ (१) (निःसंदेह तुम्हारा रब वह अल्लाह है जिसने आकाश और पृथ्वी को छः दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी (विराजमान) हो गया, वह रात को दिन से इस प्रकार छुपा देता है कि वह उसे तेज़ी से आ लेता है, और सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे भी इस प्रकार बनाए कि वह सब उसके आदेश के आधीन हैं, सावधान रहो, केवल उसी अल्लाह के हाथ में रचना तथा सारे आदेश हैं, अल्लाह समस्त संसार का रब, बड़ी बरकत वाला है।)

और रब ही माबूद (पूज्य) है जिसका प्रमाण अल्लाह का यह कथन है: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (२) (हे लोगो, अपने उस रब की इबादत (उपासना) करो जिसने तुम्हें और तुम से पहले लोगों को पैदा किया, ताकि तुम बच सको, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी बरसाया, जिससे विभिन्न प्रकार के फलों को तुम्हारे लिए रोज़ी बनाकर निकाला, अतः अब यह जान कर भी अल्लाह के लिए साझी न बनाओ)।

इमाम इब्न -ए- कसीर رحمه الله फरमाते हैं: इन समस्त वस्तुओं का सृजनकर्ता ही इबादत (उपासना, पूजा) के योग्य है।(३)

(१) लेखक ने उन चंद सांसारिक निशानियों तथा मख़्लूक़ों का ज़िक्र करना शुरू किया है जो अल्लाह के वजूद पर दलालत करती हैं और जिन से साबित होता है कि अल्लाह के सिवा कोई रब, पैदा करने वाला और सच्चा माबूद नहीं तथा उसके प्रमाण क़ुरआन से बयान किए हैं जैसाकि मूल पुस्तिका में मौजूद है।

* हर मख़्लूक़ (प्राणी) अल्लाह के वजूद (अस्तित्व) पर दलील है, किंतु शैख़ुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब रहिमहुल्लाह ने आयत (निशानी) तथा मख़्लूक़ (प्राणी) के मध्य फर्क़ किया है, क्योंकि निशानियाँ परिवर्तनीय होती हैं, जैसे दिन व रात, तथा जो निशानी परिवर्तनीय हो, वह अपरिवर्तनीय से अधिक शक्तिशाली है।

(२) यह आयत सूरह बक़रा की है, कुछ उलेमा का कहना है कि: इस आयत में क़ुरआन की पहली निदा (पुकार) है ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ (हे लोगों), पहला अम्र (आदेश) اعْبُدُوا अर्थात अल्लाह को अकेला मानो तथा पहली नह्य (रोक, मनाही) है ﴿فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ इसमें शिर्क से मनाही है।

(३) अर्थात जो तौहीद -ए- रुबूबियत में एकल है, वाजिबी तौर पर उसे तौहीद -ए- उलूहियत में भी अकेला माना जाए।

लेखक महोदय ने इब्ने कसीर के कथन के पश्चात कुरआन से प्रमाणित करते हुए विभिन्न प्रकार की हार्दिक एवं शारीरिक इबादतों का उल्लेख किया है, जोकि निम्नलिखित हैः

दुआ के दो भेद हैः

इबादत वाली दुआः

इसमें बंदा अपनी शारीरिक क्रिया एवं हाव-भाव के द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से दुआ माँगता है, जैसे नमाज़, रोज़ा तथा हज।

इसको अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम देना शिर्के अकबर है।

माँगने वाली दुआ

इसमें बंदा प्रत्यक्ष रुप से ज़ुबान के द्वारा दुआ माँगता है जैसे यह कहनाः اللهم اغفرلي (हे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे) ارحمني (रहम कर)

इसके हुक्म में तफ़सील (विस्तार) है, और इसकी दो क़िस्में हैं, जैसाकि अतिशीघ्र आने वाला है।

इबादत के प्रकार जिसके करने का अल्लाह ने आदेश दिया हैः(१) जैसे इस्लाम, ईमान तथा एहसान, इसी तरह अन्य प्रकार की इबादतें भी जैसे दुआ, डर, उम्मीद (आशा), भरोसा, रुची, भय, ख़ुशू (श्रद्धा), ख़शीय्यत (भय), अल्लाह की ओर प्रत्यागमन तथा सहारा, पनाह एवं सहायता माँगना, ज़ब्ह करना, नज़्र (मन्नत) एवं इस प्रकार की अन्य इबादतें जिसके करने का अल्लाह ने आदेश दिया है, यह केवल अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए, जिसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ (और मस्जिदें केवल अल्लाह के लिए ख़ास हैं, अतः अल्लाह के संग किसी और को न पुकारो)।

जिसने इन इबादतों में से किसी एक को भी अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम दिया तो वह मुश्रिक (बहुदेववादी) व काफिर (अनीश्वरवादी) है, जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ (और जो कोई भी अल्लाह के साथ किसी ऐसे माबूद को पुकारेगा जिसके संबंध में उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो बस उसका हिसाब उसके रब के पास है, निश्चय ही काफिर लोग कभी सफल नहीं होंगे)।

और हदीस में आया हैः «दुआ इबादत की जान है», इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएँ स्वीकार करुँगा, जो लोग मेरी बन्दगी के मामले में घमंड से काम लेते हैं निश्चित रूप से वह शीघ्र ही अपमानित होकर जहन्म (नरक) में जाएंगे)।

दुआ –ए- मसअला (माँगने वाली दुआ) के दो भेद हैः

जिस पर केवल अल्लाह ही क़ुदरत रखता हैः इसको अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम देना बड़ा शिर्क है।

जिस पर बंदा भी क़ुदरत रखता हैः इसकी निम्नलिखित शर्तें हैः

- जिससे माँगा जा रहा है वह जीवित हो न कि मृत।
- जिससे माँगा जा रहा है वह सामने (उपस्थित) हो न कि लुप्त (गायब, अनुपस्थित)।
- जिससे माँगा जा रहा है वह पूरा करने में सक्षम हो न कि अक्षम।
- यह धारणा रखना कि जिससे माँग रहे हैं वह केवल एक साधन मात्र है, न कि स्वयं देने वाला।

किंतु यदि यह धारणा रखे कि जिससे माँगा जा रहा है यह ब्रह्मांड में गुप्त रुप से उलट-फेर करने की क्षमता रखता है तथा उसके अंदर लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने की क्षमता है तो यह शिर्क है।

❖ टिप्पनीः

यहाँ हम कार्य के ऊपर हुक्म का अध्ययन कर रहें हैं, रही बात ऐसा करने वाले के ऊपर हुक्म लगाने की तो इसमें दो शर्तों का पाया जाना अति आवश्यक हैः (१) हुज्जत (दलील) मौजूद होना तथा (२) संदेह का पहलू न होना।

अस्बाब (माध्यम) के संबंध में एतेकाद़ (आस्था) रखने के विषय में लोगों के तीन क़िस्में हैं।

पहली क़िस्मः वह लोग जिनकी आस्था है कि केवल उन्हीं चीज़ों को सबब (माध्यम) बनाना सही है जिनको अल्लाह ने सबब बनाया है।
यह सही है।

दूसरी क़िस्मः वह लोग जो उन चीज़ों के सबब होने का एतकाद (आस्था) रखते हैं जिनको अल्लाह ने सबब नहीं बनाया है।
यह छोटा शिर्क है।

तीसरी क़िस्मः उन लोगों की है जो यह आस्था रखते हैं कि सबब (माध्यम) स्वयं लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने में सक्षम हैः
यह बड़ा शिर्क है।

शरई माध्यम
जैसे शरीअत से प्रमाणित झाड़-फूँक, अल्लाह ने शरई झाड़-फूँक को रोग निवारण का माध्यम बनाया है।

इन्द्रिय माध्यम
जैसे औषधि, अल्लाह तआला ने औषधि (दवा) को चंगा (निरोग) होने का माध्यम बनाया है।

الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ$ (दुआ इबादत की जान है), यह हदीस ज़ईफ है, किंतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान सही है किः #الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةِ$ (दुआ ही इबादत है)।

दुआ किस प्रकार इबादत है?

इस का प्रमाण अल्लाह तआला का यह कथन हैः ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएँ स्वीकार करुँगा, जो लोग मेरी बन्दगी के मामले में घमंड से काम लेते हैं निश्चय ही वह शीघ्र ही अपमानित होकर जहन्म (नरक) में जाएंगे)।

क्योंकि अल्लाह तआला के फरमान ﴿عِبَادَتِى﴾ का आश्य दुआ ही है।

भय के इबादत होने की दलील अल्लाह का यह फरमान है:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

(१) यदि तुम मोमिन हो तो उनसे न डरोकेवल मुझसे डरो)।

आशा (के इबादत होने) की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (२)

(जो अपने रब से मिलने की आशा रखता हो, उसे चाहिए कि अच्छा कर्म करे और अपने रब की बंदगी में किसी को साझी न बनाए)।

(२) अर-रज़ा (आशा) कहते है: मानव का जल्द ही प्राप्त होने वाली किसी चीज की उम्मीद करना, कभी-कभी देर से प्राप्त होने वाली चीज पर भी यह लागू होता है यदि उनको जल्द प्राप्त होने वाली चीज मान लिया जाए तब।

ऐसी आशा जो नम्रता (अधीनता) तथा श्रद्धा पर आधारित हो, केवल अल्लाह के लिए अंजाम दी जाएगी, किसी और के लिए इसको अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है।

आशा उसी समय प्रशंसनीय होगी जब इसको अल्लाह की आज्ञाकारिता व सवाब की उम्मीद रखते हुए अंजाम दिया जाए, अथवा तौबा कबूल होने की उम्मीद के साथ गुनाहों को छोड़ दिया जाए, किंतु कोई कार्य किए बिना आशा रखना स्वयं को धोखा देना तथा निंदनीय कृत्य है।

(१) भय (डर) एक प्राकृतिक स्थिति है जो अनुमानित विनाश, हानि अथवा दुख के समय (मानव शरीर में) उत्पन्न होती है।

अल्लाह ने शैतान के चेलों से भय खाने से रोका है तथा स्वयं से डरने का आदेश दिया है।

भय तीन प्रकार के होते है:

ऐसा भय जो शरीअत के अनुसार हराम है।

जैसे अल्लाह की रहमत से निराश होना, या अल्लाह के आदेश की अवहेलना करते हुए, बंदे के आज्ञा को सर्वोपरि मानना।

ऐसा भय जो प्राकृतिक है (नैसर्गिक)

जैसे किसी का अग्नि, शत्रु, दरिंदा इत्यादि से डरना।

भय की यह क़िस्म जायज़ है।

ऐसा भय जो इबादत तथा बड़ाई के लिए है

यह उपासक का उपास्य से डरना है, जिसमें उपास्य के लिए नम्रता, श्रद्धा, अधीनता तथा महानता का भाव होता है।

भय की यह क़िस्म केवल अल्लाह के लिए होना वाजिब है, इसको अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है।

(१) तवक्कुल (भरोसा) की परिभाषा

शाब्दिक रुप से: तवक्कुल कहते हैं किसी वस्तु विशेष पर भरोसा करने को।

शरीअत के अनुसार: अल्लाह पर भरोसा करते हुए और जायज़ माध्यम अपनाते हुए उसी पर दृढ़ विश्वास रखना।

तवक्कुल में तीन चीज़ों का पाया जाना आवश्यक है:

सच्चाई (खुलूस) अल्लाह पर भरोसा करने में

भरोसा अल्लाह तआला का अपने बंदों से किए हुए वादा को पूरा करने में

शरीअत के बताए हुए माध्यम को अपनाना

तवक्कुल (भरोसा) (के इबादत होने) की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ यदि तुम मोमिन हो तो केवल अल्लाह पर ही भरोसा रखो)। और यह फरमान: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ﴾ (१) जो अल्लाह पर भरोसा करे, उसके लिए अल्लाह काफी है।

रग़बत (शौक़), रहबत (दहशत), आजिज़ी (विवशता) की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ﴾ (२) (निस्संदेह वह लोग नेकी के कामों में जल्दी करते थे और हमें शौक़ (रग़बत) तथा डर के साथ पुकारते थे और हमारे आगे दबे रहते थे।

(२) रग़बत: मन्पसंद चीज को पाने की चाहत।

रहबत (दहशत) ऐसी दहशत जो डराई हुई चीज से दूर कर दे, अर्थात इस डर का संबंध अमल (क्रिया) से जुड़ा हुआ है।

खुशू: अल्लाह की महानता के सामने असमर्थता एवं विनम्रता का प्रदर्शन करना, यहाँ तक कि अल्लाह के शरई और सांसारिक फैसले के आगे नतमस्तक हो जाए।

- अल्लाह की ओर ध्यान लगाने वाले के लिए आवश्यक है कि वह भय तथा आशा के बीच रहे, एक पक्ष को दूसरे पक्ष पर भारी न पड़ने दे, जो विनाश और बर्बादी का कारण बने, बल्कि चिड़िया के दोनों पंखों की भांति भय तथा आशा दोनों के दामन को पकड़े रहे।

ख़शीयत (भय से लरज़ना) की दलील: अल्लाह का यह फरमान है: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ (१) तुम उनसे न डरो, मुझसे ही डरो।

इनाबत की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ (२) (तुम अपने मालिक की ओर पलटो और उसी के आज्ञाकारी बनो)।

इस्तिआना की दलील, अल्लाह का यह फरमान है: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं)।

और हदीस में आया है: $إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ# (३) जब भी मदद माँगो केवल अल्लाह ही से मदद माँगो।

शरण व पनाह चाहना की दलील: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (हे नबी, कह दीजिये कि मैं सुबह (भोर, प्रातः) के रब की शरण लेता हूँ)। ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (हे नबी, कह दीजिये कि मैं मनुष्यों के रब की शरण लेता हूँ)। (४)

इस्तिग़ासा (फरियाद करना) की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ (५) (याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी पुकार सुन ली)।

जब्ह (बली) की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ आप कह दीजिये कि मेरी नमाज़, समस्त प्रकार की उपासना तथा मेरा जीवन-मरण समस्त संसार के रब केवल अल्लाह ही के लिए है, उसका कोई साझी नहीं।

और ज़ब्ह की दलील हदीस से: (जिसने अल्लाह के सिवा किसी और के लिए जब्ह किया उस पर अल्लाह की लानत हो)। (६)

(१) ख़शीयत: ऐसा डर जो अल्लाह की महानता एवं पूर्ण स्वामित्व के ज्ञान पर आधारित हो।

(२) इनाबत: अल्लाह का आज्ञापालन करते हुए तथा उसके आदेश का उल्लंघन करने से बचते हुए, अल्लाह की ओर पलटना।

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ (अर्थात अल्लाह की ओर पलट जाओ), ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ (अर्थात अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि आप सेवक हैं, और सेवक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को स्वामी के हवाले कर दे, और (असली) स्वामी अल्लाह है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: $الخَلْقُ عِيَالُ اللهِ# (अल्लाह ही स्वामी है)।

(३) इस्तिआनत: मदद चाहना ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ इस आयत में शब्द (إياك) क्रिया से पहले है जोकि क्रिया के बाद आता है, अतः यह यहाँ पर एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, जिसका मलतब है: لا نعبد إلَّا إيَّاك ولا نستعَينُ إلَّا بكَ

(४) इस्तिआज़ा: घृणित वस्तुओं से अल्लाह की शरण चाहना, ﴿أَعُوذُ﴾ अर्थात शरण चाहता हूँ।

(५) इस्तिग़ासहा: विनाश एवं तक्लीफ से बचने के लिए फरियाद करना।

❖ इस्तिआना, इस्तिआज़ा, इस्तिग़ासा तथा सिफारिश बंदे से मांगना जायज़ है, लेकिन चार शर्तों के साथ: जीवित हो, उपस्थित हो, सक्षम हो तथा ऐसा केवल माध्यम समझकर किया जाए।

(६) ज़ब्ह: विशेष पद्धति से रक्त बहा कर अल्लाह के लिए जानदार प्राणी को क़ुर्बान करना (बलि चढाना)।

ज़ब्ह के तीन प्रकार हैं

- **अल्लाह के लिए ज़ब्ह करना** जैसे हज, ईद अल-अज़्हा एवं सदका व खैरात के लिए ज़ब्ह करना।
- **अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सप्रेम एवं क़द्रदानी करते हुए ज़ब्ह करना** जैसे जिन्न तथा क़ब्र वालों के लिए जब्ह करना, यह बड़ा शिर्क है।
- **ऐसा जब्ह जो जायज़ हो,** जैसे स्वयं खाने के लिए अथवा अतिथी सत्कार या व्यापार के लिए जब्ह करना।

नज़्र (मन्नत) के इबादत होने की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (१) (वह अपनी नज़्र (प्रतिज्ञा) पूरी करते हैं, और उस दिन से डरते हैं जिस दिन परेशानी चारों ओर फैली हुई होगी)।

❖ टिप्पणी: जब्ह के मसले का विस्तारित वर्णन किताब -अल- तौहीद में आएगा।

(१) नज़्र की परिभाषा:

- **शब्दकोष अनुसार:** अनिवार्य तथा अपरिहार्य करना
- **शरीअत के अनुसार:** बंदे का अपने ऊपर, ग़ैर वाजिब चीज को वाजिब कर लेना।

❖ टिप्पणी: नज़्र के प्रकार एवं शर्तों का विवरण किताब -अल- तौहीद में आएगा।

नज़्र (मन्नत) के प्रकार

- अल्लाह के लिए मन्नत
- ग़ैरुल्लाह के लिए मन्नत

❖ लेखक महोदय ने इन इबादतों का उल्लेख मात्र उदाहरण स्वरूप किया है, क्योंकि ऐसी अनेकों इबादतें हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर नहीं हुआ है, सार यह है कि जिसने इन इबादतों या इन जैसी अन्य इबादतों को अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम दिया तो उसने शिर्क किया।

दूसरा मूलाधारः इस्लाम को प्रमाणों सहित जानना। इस्लाम का अर्थ हैः अल्लाह को अकेला मानते हुए उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसकी आज्ञाकारी करते हुए आत्मसमर्पण कर देना तथा शिर्क एवं मुश्रिकीन से संबंध विच्छेद कर लेना।

इसकी तीन श्रेणियाँ हैः इस्लाम, ईमान तथा एहसान, और प्रत्येक श्रेणी के कुछ अरकान (स्तम्भ) हैः

पहली श्रेणीः इस्लाम। (१) इस्लाम के पाँच अरकान हैः

لَاإِلَهَ إِلَا اللهُ(२) وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ की गवाही देना

(गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल (दूत) हैं, नमाज पढना, जकात देना, रमाज़ान में रोज़ा रखना और खाना -ए- काबा का हज करना।

(१) यहाँ से लेखक رَحِمَهُ اللهُ ने दूसरे मूल को बयान किया है जोकि बंदा का अपने दीन (धर्म) को पहचानना है, तथा इस मूल का प्रारंभ इस्लाम को परिभाषित करने से किया और कहाः

पहली श्रेणीः इस्लाम

अल्लाह को अकेला मानते हुए उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसकी आज्ञाकारी करते हुए आत्मसमर्पण कर देना तथा शिर्क एवं मुश्रिकीन से संबंध विच्छेद कर लेना।

यही इस्लाम की परिभाषा हैः अर्थात अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दें, क्योंकि आप सेवक हैं, और सेवक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को स्वामी के हवाले कर दे, और (असली) स्वामी अल्लाह है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

$ الخَلْقُ لِلّٰهِ# (अल्लाह ही स्वामी है)।

तत्पश्चात दीन की तीनों श्रेणियों का उल्लेख किया हैः

इस्लाम	ईमान	एहसान

(२) इस्लाम के पाँच अरकान हैः

पहला रुक्नः لَاإِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

(लाइलाह इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह) की शहादत (गवाही) देना

लेखक महोदय ने दलील से لَا إِلَـــــهَ إِلَّا اللهُ के अर्थ को स्पष्ट किया है, और दलील के अनुसार इसका सही अर्थ है: لا معبود بحقٍّ إلَّا الله अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।

अतः (कलेमा -ए-) इख़्लास की शहादत में निम्नांकित चीजों का पाया जाना जरूरी है:

- इन्कार करना
- साबित करना

#لا إله$ इस वाक्य में इन्कार करना है, और #إلَّا الله$ में साबित करना है वाक्य की यह बनावट सीमित करने तथा साबित करने को स्पष्ट करती है, वह इस प्रकार कि, इबादत को केवल अल्लाह के लिए सीमित एवं साबित करती है तथा उसके सिवा अन्य की इबादत का इन्कार करती है।

इसी लिए लेखक रहिमहुल्लाह ने कहा कि: इसकी और अधिक व्याख्या अल्लाह के इस फरमान से होती है: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى ﴾ (और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता तथा समुदाय के लोगों से कहा, जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया।

﴿ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ यह #لا إله$ का अर्थ है

शहादत की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (अल्लाह तआला, फरिश्ते और उलेमा गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, और वह न्याय स्थापित करने वाला है, उस प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं)।

इस आयत का अर्थ यह है कि: अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है।

«لَا إِلَهَ» इसमें अल्लाह के अतिरिक्त पूजी जाने वाली सभी चीजों का इन्कार है।

#إِلَّا الله$ यह वाक्य केवल एक अल्लाह की इबादत को साबित करता है, जिसकी इबादत में उसका कोई साझी नहीं जिस प्रकार उसके राज-पाट में कोई उसका साझी नहीं।

इसकी और अधिक व्याख्या अल्लाह के इस फरमान से होती है: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता तथा समुदाय के लोगों से कहा, जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया, अतः निश्चय ही वह मुझे (सही) मार्ग दिखाएगा, और यही बात वह अपनी संतान में छोड़ गए, ताकि लोग (शिर्क) से पलट आऐं)।

और अल्लाह का यह फरमानः ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (१) आप कह दीजिए कि, हे किताब वालो (यहूदी व ईसाई) एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर व समान मान्यता प्राप्त है, कि हम एक अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की बन्दगी न करें, और न उसके संग किसी अन्य को साझी बनाएं और न परस्पर हम में से कोई एक-दुसरे को अल्लाह को छोड़कर रब बना ले, फिर यदि वह मुँह मोड़ें तो कह दीजिए कि, गवाह रहो, हम मुसलमान हैं।

❖ यदि कोई कहे कि :#لا إله إلَّا الله$ का अर्थ है لا مَعبودَ إلَّا الله अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं?

तो हम कहेंगे कि यह अर्थ गलत है क्योंकि इसमें अल्लाह के सिवा तमाम माबूद के अस्तित्व का इन्कार है, जब्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व है यधपि उनकी इबादत करना सही नहीं है, किंतु जब हमने कहा لا مَعبودَ بحقّ إلَّا الله कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तो इससे तमाम झूठे माबूदों का इंकार होता है, अतः यही अर्थ सही है।

❖ यदि कोई कहे किः #لا إلـــه إلَّا الله$ का अर्थ है لا رَبَّ بِحَق إلَّا الله अल्लाह के सिवा कोई सच्चा रब नहीं?

तो हम कहेंगे कि यह बात तो दुरुस्त है लेकिन #لا إلـــه إلَّا الله$ की व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसमें केवल तौहीद -ए- रुबीबियत का उल्लेख है, जिसका गुणगान मक्का के वह काफिर भी करते थे जिनके बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थे, लेकिन यह उनके इस्लाम में दाख़िल होने के लिए काफी नहीं हुआ।

(१) ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ यह आयत (सर्वधर्म समान) की बात करने वालों पर रद्द (कुठराघात) है, या जो कहते हैं किः सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

(१) इस आयत को लेखक रहिमहुल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अल्लाह के रसूल होने के प्रमाण के तौर पर ज़िक्र किया है, इस आयत में अल्लाह ने नबी की शहादत पर तीन चीजों के द्वारा जोर दिया है:

गुप्त क़सम, लाम तथा क़द

(२) लेखक महोदय ने "मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" की शहादत का अर्थ बयान किया है, और इससे सभी मुस्लिम महिला तथा पूरुष पर यह वाजिब होता है कि:

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उसका पालन करना, जिन चीजों के विषय में समाचार दिया है उसमें आप को सच्चा मानना, जिन चीजों के करने से रोका है उन से रुक जाना और अल्लाह की इबादत (उपासना) आपकी लाई हुई शरीअत एवं बताए हुए रास्ते के अनुसार करना। आप पर अल्लाह का दुरूद व सलाम हो।

مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ की शहादत की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (१)

तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आ चुके हैं, जिनके ऊपर तुम्हें हानि पहूँचाने वाली चीजें बड़ी भारी गुजरती हैं, जो तुम्हारे (लाभ के) लिए लालयित (इच्छुक) रहते हैं, वह मोमिनों के प्रति अत्यंत करूणामय (उदार) तथा दयावान हैं।

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह का रसूल मानने की गवाही का अर्थ है कि: "आपने जिन चीजों का हुक्म दिया है उसका पालन करना, जिन चीजों के विषय में समाचार दिया है उसमें आप को सच्चा मानना, जिन चीजों के करने से रोका है उन से रुक जाना और अल्लाह की इबादत (उपासना) आपकी लाई हुई शरीअत एवं बताए हुए रास्ते के अनुसार करना"।(२).

(لا إله إلا الله) की गवाही का अर्थ यह है कि (आप बन्दे हैं जिनकी उपासना नहीं की जाएगी, तथा रसूल हैं जिनको झुठलाया नहीं जाएगा) और यह निम्नांकित चीजों को सम्मिलित है:

अल्लाह के रसूल ﷺ ने जिन कार्यों के करने का आदेश दिया है उसमें उनका पालन करना,
क्योंकि आप अल्लाह की ओर से पहूँचाने वाले (संदेशवाहक) व दावत देने वाले हैं।

जिन चीजों के करने से रोका है उन से रुक जाना
वह इस प्रकार की आप ने जिन कार्यों के करने से रोका है आप उनको पूर्णरूपेण छोड़ दें।

जिन चीजों के विषय में समाचार दिया है उसमें आप को सच्चा मानना
क्योंकि आप स्वयं भी सच्चे हैं तथा लोगों ने भी आपको सच्चा माना है।

अल्लाह की इबादत (उपासना) आपकी लाई हुई शरीअत एवं बताए हुए रास्ते के अनुसार करना।
इसमें बिदअती (नवाचारी) के ऊपर रद्द है।

नमाज़, ज़कात तथा तौहीद की व्याख्या की दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾ (१) उन्हें बस यही आदेश दिया गया था कि वे अल्लाह की बंदगी करें निष्ठा एवं विनयशीलता को उसके लिए विशिष्ट करके, बिल्कुल एकाग्र होकर, नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें, और यही सत्य तथा उत्तम दीन है।

रोज़े की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ (२) हे ईमान वालो, तुमपर रोज़े अनिवार्य किए गए जिस प्रकार तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ।

हज की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ (३) जो हज करने की ताकत रखते हों, उन पर अल्लाह के लिए काबा का हज करना वाजिब है, और जिसने इंकार किया, तो अल्लाह सारे संसार से बेनियाज़ है।

(१) दूसरा रुक्नः नमाज़

यह कुछ विशेष शब्द एवं क्रिया के द्वारा अल्लाह की इबादत करना है, जिसका प्रारंभ तकबीर (अल्लाहु अकबर कहना) तथा अंत सलाम के द्वारा होता है, यह दीन (धर्म) का स्तम्भ है जिसको अल्लाह ने प्रत्यक्ष रूप से मेराज की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फर्ज़ किया है।

(२) तीसरा रुक्नः ज़कात

शाब्दिक अर्थ है: पाकी तथा बढोतरी।

इसके दो भेद हैः शरीर की ज़कात, धन की ज़कात

चौथा रुक्नः अल-स्याम, (रोज़ा)

अरबी में इसका शाब्दिक अर्थ है: किसी चीज से रुक जाना।

और शरीअत में रोजा कहते हैः प्रातःकाल से लेकर सूर्यास्त तक अल्लाह के लिए रोज़ा की नीयत से उसको तोड़ने वाली चीजों से रुक जाना।

रोजा इबादत की सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों में से एक है, क्योंकि इसमें सब्र के तीनों प्रकार पाए जाते हैं, इसकी सर्वश्रेष्ठता का एक कारण यह भी है कि अल्लाह ने फरमाया है कि "इसका बदला मैं स्वयं दूँगा"।

(३) पाँचवा रुक्नः हज्ज

इसका शाब्दिक अर्थ है: इरादा (इच्छा) करना, शरीअत के अनुसारः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताए हुए ढंग अनुसार अल्लाह के लिए हज (करने) से संबंधित क्रियाकलाप अंजाम देना।

और यह प्रत्येक मुस्लिम पर जीवन भर में एक बार फर्ज़ है।

दूसरी श्रेणीः ईमान

ईमान का शाब्दिक अर्थ हैः इकरार करना (हामी भरना)।

शरीअत के अनुसारः जुबान से इकरार करना (कथन), दिल से विश्वास रखना, शरीर के अंगों से कर्म करना, ईमान सुकर्म से बढ़ता है और कुकर्म से घटता है।

ईमान की शरई परिभाषा में उपर्युक्त पाँचों चीज का पाया जाना आवश्यक है, अन्यथा इनमें से यदि एक भी कम हो तो वह अहल -ए- सुन्नत व अल-जमात की परिभषा नहीं कहलाएगी।

इन पाँच चीजों की क्या दलील है?

कथन (जुबान से इकरार करना) की दलील आप ﷺ का यह फरमान हैः «فأعلاها: قولُ لا إله إلا الله» (ईमान की सर्वाधिक ऊँची शाखा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है)।

शारीरिक अंगों से अमल करने की दलील आप ﷺ का यह फरमान हैः $وأدناها إماطة الأذى عن الطريق# (रास्ते से दुःख दायक चीजों को हटाना इसकी सबसे निचली शाखा है)।

दिल से विश्वास रखने की दलील आप ﷺ का यह फरमान हैः والحياء شعبة من الإيمان (लज्जा ईमान की एक महान शाखा है)।

दूसरी श्रेणीः ईमान, इसकी सत्तर से अधिक शाखाएं है, उनमें सर्वाधिक ऊँची शाखा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, जब्कि रास्ते से दुःख दायक चीजों को हटाना इसकी सबसे निचली शाखा है तथा ह़या (लज्जा, शर्म) ईमान की एक महान शाखा है।

ईमान के छः अरकान (स्तंभ) हैः

अल्लाह तआला पर, उसके फरिश्तों पर, उसके पुस्तकों पर, उसके रसूलों पर, महा प्रलय (क्यामत) के दिन पर तथा अच्छे व बुरे तक़दीर पर ईमान लाना।

इन में से पहले पाँच अरकान (स्तंभ) की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ (नेकी केवल यह नहीं है कि तुम अपने मुख पूरब और पश्चिम की और कर लो, बल्कि नेकी यह है कि आदमी अल्लाह पर, क़्यामत के दिन पर, फरिशतों, किताबों तथा नबियों पर ईमान रखे)।

क़दर (भाग्य, तक़दीर,) की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾ (हमने प्रत्येक वस्तु को तकदीर -अनुमान- के मुताबिक पैदा किया है)।

ईमान में वृद्धि की दलीलः ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا﴾ (तुम में से किस के ईमान में इससे वृद्धि हुई)। ईमान घटने की दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान हैः $ما رأيت من ناقصات عقل ودين# (मैंने महिलाओं जैसी अल्प बूद्धि तथा अल्प दीन किसी को नहीं देखा)।

ईमान के छः अरकान (स्तंभ) हैः

- अल्लाह पर ईमान लाना
- फरिश्तों पर ईमान लाना
- किताबों पर ईमान लाना
- रसूलों पर ईमान लाना
- आख़िरत के दिन पर ईमान लाना
- अच्छी-बुरी तक़दीर पर ईमान लाना

पहला रुकनः अल्लाह पर ईमान, यह निम्नांकित चीजें अनिवार्य करती हैः

- अल्लाह तआला के मौजूद होने पर ईमान लाना, और यह चार तर्कों से साबित होता हैः
- अल्लाह तआला के रब होने पर ईमान लाना
- अल्लाह तआला के सच्चे माबूद (उपास्य) होने पर ईमान लाना
- अल्लाह तआला के अस्मा व सिफात (नाम व गुण) पर ईमान लाना।

अक्ल (बुद्धि) द्वारा

बुद्धि कभी भी यह नहीं मान सकती कि सृष्टि कर्ता के बिना सृष्टि की रचना हो जाए, ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (क्या वे बिना किसी खालिक़ के पैदा हो गए हैं या वे स्वयं ख़ालिक़ हैं)।

इंद्रीय द्वारा

जब आप किसी तक्लीफ या पीड़ा में होते हैं तो हाथों को आकाश की ओर उठाकर कहते हैः हे मेरे रब, तब अल्लाह के आज्ञा से यह पीड़ा दूर हो जाती है।

प्राकृति द्वारा

नबी ﷺ ने फरमायाः $كل مولود يولد على الفطرة# प्रत्येक बच्चा प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं।

शरीअत द्वारा

इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि कुरआन में एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें अल्लाह के एक होने की दलील मौजूद न हो।

दूसरा रुक्नः फरिशतों पर ईमान लाना

फरिशते ग़ैब की (अनदेखी दुनिया) दुनिया से संबंध रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है, वह अल्लाह के आज्ञापालन में लगे रहते हैं तथा उसकी अवज्ञा नहीं करते, उनके पास रूह (आत्मा) है, ﴿رُوحُ ٱلْقُدُسِ﴾ और शरीर भी ﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ हृदय एवं बुद्धि भी ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ हम उन पर और उनके उन नामों पर भी ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने हमें बता दिया है (जैसे जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील) उनके गुणों पर भी ﴿لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ एवं उनके कार्यों पर (जैसे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते) तथा उनके विषय में जो खबरें हम तक पहूँची हैं मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से, हम सब पर ईमान रखते हैं।

तीसरा रुक्नः किताबों पर ईमान रखना

हम पर यह ईमान रखना वाजिब है कि कुरआन अल्लाह का वास्तविक कलाम (कथन) है, तथा अल्लाह की ओर से उतारा गया है, पैदा नहीं किया गया, और प्रत्येक रसूल के साथ अल्लाह ने एक किताब उतारी, हम उन किताबों पर तथा अल्लाह तआला ने उनमें से जिनके नाम बताए हैं और जो ख़बरें उन में हैं तथा उनमें गैर मन्सूख़ (प्रचलित) जो अहकाम हैं सब पर ईमान रखते हैं (मोटे तौर पर भी तथा विस्तृत रूपसे भी), यह भी ईमान रखते हैं कि कुरआन ने पूर्व की तमाम किताबों को मंसूख़ (रद्द) कर दिया है जो कि यह हैः तौरात, इंजील, ज़बूर तथा इब्राहीम व मूसा -अलैहिमस्सलाम- के सहीफे।

चौथा रुक्नः रसूलों पर ईमान लाना

इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि तमाम रसूल इंसान हैं, उनमें रुबूबियत का कोई भी गुण नहीं है, वो सभी बंदे हैं उनकी इबादत (उपासना) नहीं की जा सकती, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाकर भेजा और उनकी ओर वह्य उतारी तथा निशानियों एवं मोअजिज़ा (चमत्कारों) के द्वारा उनकी मदद की, वे अमानत को पूर्णरूपेण अदा कर चुके, उम्मत की खैरख्वाही (हितचिंता) की और दीन पहूँचा दिया तथा अल्लाह के रास्ते में जिहाद का हक़ अदा कर दिया, हम उन पर तथा जो कुछ भी अल्लाह ने हमें उनके नामों, गुणों व हालतों के विषय में मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से बताया हैं हम उन सब पर ईमान रखते हैं, और यह भी की पहले नबी आदम عليه السلام हैं, पहले रसूल नूह عليه السلام तथा अंतिम नबी मोहम्मद ﷺ हैं, यह भी कि पूर्व की तमाम शरीअतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत के द्वारा मंसूख़ (रद्द) कर दी गई हैं तथा अज़्म वाले रसूल पाँच हैं जिनका उल्लेख सूरः शूरा तथा अहज़ाब में हुआ है और वह यह हैः (मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नूह, इब्राहीम, मूसा तथा ईसा अलैहिमुस्सलाम)।

पाँचवां रुक्नः आख़िरत के दिन पर ईमान लाना

इसमें हर उस चीज पर ईमान लाना शामिल है जिसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खबर दिया है कि वह मृत्यु पश्चात होने वाली है, जैसेः क़ब्र का फितना, सूर फूँका जाना, लोगों का कब्रों से उठ खड़ा होना, मीज़ान, आमाल नामा, कौसर नामक हौज, शफाअत, जन्नत, जहन्नम, मोमिनों का क़्यामत के दिन व जन्नत में अपने रब का दीदार करना तथा इसके अलावा अन्य ग़ैबी चीजें।

छठा रुक्नः अच्छी व बुरी तक़दीर पर ईमान लाना, तथा यह निम्नलिखित चार चीजों को शामिल हैः

इल्मः
इस पर ईमान रखना कि अल्लाह तआला प्रत्येक वस्तु को पूर्व से ही संक्षिप्त एवं विस्तृत तौर पर जानता है।

लिखनाः
यह ईमान रखना कि क्यामत तक घटित होने वाली सभी चीजों की तक़दीर अल्लाह ने लिख दिया है।

मशीअतः
यह ईमान रखना कि अल्लाह जो चाहता है वह होता है, जो नहीं चाहता है नहीं होता है, और बंदे का भी इरादा होता है किंतु वह अल्लाह तआला के इरादे के अधीन है।

पैदा करनाः
यह ईमान रखना कि बंदा तथा उसके समस्त क्रियाकलाप अल्लाह ने पैदा किए हैं, इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड भी, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः
﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾
(अल्लाह तआला प्रत्येक चीज को पैदा करने वाला है) ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ﴾
अल्लाह ने तुम्हें तथा तुम्हारे कर्मों को पैदा किया है।

इन चारों श्रेणियों को कवि ने इस पंक्ति में समेट दिया हैः

عِلْمٌ، كِتَابَةُ مَولَانَا، مَشِيْئَتُه وَخَلْقُهُ وَهُو إِيْجَادٌ وَتَكْوِيْنُ

तीसरी श्रेणीः एहसान

यह दीन का सर्वोत्तम दर्जा है, जिसका केवल एक रुक्न है तथा इसके तहत दो दर्जे हैः

मुशाहदा (दर्शन) वाली इबादत

अल्लाह के पास जो कुछ है उसको पाने की अभिलाषा रखते हुए इबादत करना।

इसका उदाहरणः नबियों व रसूलों ﷺ की इबादतें हैं तथा उनके सिवा दुसरों के लिए भी इस दर्जे तक पहूँचना संभव है।

निगरानी वाली इबादतः

अल्लाह के डर तथा उसके अज़ाब से (भयभीत होकर उससे) बचने के लिए इबादत करना।

यह प्रत्येक मुस्लिम में पाया जाना अपरिहार्य है।

तीसरी श्रेणीः एहसान, इसका केवल एक रुक्न है, और वह यह है कि $أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ# वह यह है कि आप अल्लाह की इबादत इस प्रकार करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं और यदि आप नहीं देख रहे हैं तो वह तो आपको देख ही रहा है।

इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ (निःसंदेह, अल्लाह तआला परहेजगारों तथा एहसान करने वालों (उत्तमकारों) के साथ है)।

और यह फरमानः ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (उस प्रभुत्वशाली और दयावान अल्लाह पर भरोसा रखो जो तुम्हें देख रहा होता है जब तुम खड़े होते हो और सज्दा करने वालों में तुम्हारे चलत-फिरत को भी, निश्चय ही वह भली-भाँति सुनता-जानता है)।

और यह फरमानः ﴿ وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ (आप जिस हाल में भी हों और क़ुरआन से जो कुछ भी पढते हों (हे लोगो) तुम जो भी कार्य करो हमें उसकी अवश्य सूचना रहती है जब तुम उसमें लगे होते हो)।

स्पष्टिकरणः इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि इस दर्जे वाले के पास केवल अल्लाह की मोहब्बत ही होती है उसका भय नहीं होता, किंतु इस श्रेणी के बंदे को इबादत के लिए जो चीज सर्वाधिक प्रेरित करती है, वह अल्लाह की मोहब्बत (प्रेम) है, (अतः) इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायः $أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا# क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ।

हदीस से इसका प्रमाण हज़रत उमर ﷺ वाली प्रसिद्ध हदीस है, वह कहते हैं कि: एक दिन हम नबी-ए-करीम ﷺ के पास बैठे हुए थे कि अचानक हमारे सामने एक साहब आए, जिनके कपड़े अत्यधिक सफ़ेद और बाल बहुत काले थे, उन पर सफर की कोई निशानी भी नहीं थी और हम मे से कोई उन्हें पहचानता भी न था, यहाँ तक की आपके पास बैठे और अपने घुटने नबी ﷺ के घुटनों से मिलाया और अपनी हथेली नबी ﷺ की जाँघ पर रखे और कहा: हे मुहम्मद (ﷺ), मुझे इस्लाम के बारे मे बताइये, आप (ﷺ) ने फरमाया: इस्लाम ये है की तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं और नमाज़ पढो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और यदि सामर्थ्य रखते हो तो काबा का हज करो, अर्ज़ किया कि: सच फरमाया, रावी कहते हैं कि हम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूछते भी हैं और स्वयं तसदीक़ (पुष्टि) भी करते हैं, फिर उन्होने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताइये, आपने फरमाया: अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन एवं अच्छी व बुरी तक़दीर पर ईमान रखो, अर्ज़ किया कि आपने सच फरमाया, फिर प्रश्न किया: मुझे एहसान के बारे में बताइये, आपने फरमाया: एहसान यह है कि आप अल्लाह की इबादत इस प्रकार करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं और यदि आप नहीं देख रहे हैं तो वह तो आपको देख ही रहा है। अर्ज़ किया कि क़्यामत के विषय में कुछ बताइये, आपने फरमाया: जिससे पूछ रहे हैं वो इसके बारे मे आपसे अधिक नहीं जानता, अर्ज़ किया कि क़्यामत की निशानियाँ ही बता दीजिये। आपने फरमाया कि: लौंडी (बाँदी) अपने मालिक को जन्म देगी, नंगे बदन, नंगे पैर, निर्धन बकरियों के चरवाहे इमारतें और भवन बनाने में प्रतिस्पर्धा करेंगे। उमर ﷺ फरमाते हैं कि फिर वो उठ कर चले गए हम लोग कुछ समय तक ठहरे रहे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझसे फरमाया: हे उमर, जानते हो यह कौन थे? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल अधिक जानते हैं, आप ने फरमाया: ये जिब्राईल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे।

यह हदीस इस्लाम, ईमान और एहसान के अरकान (स्तंभ) की दलील है

नबी ﷺ के फरमान: «जिससे पूछ रहे हैं वो इसके बारे मे आपसे अधिक नहीं जानता» इसमें यह प्रमाण है कि क़्यामत का इल्म केवल अल्लाह के पास है।

नबी ﷺ के फरमान: أن تلد الأَمة ربَّتها) इसके कई अर्थ है:

- अवज्ञा (नाफरमानी) की बाहुल्यता (बहुतायत)
- गुलामों की बाहुल्यता
- हालात में बदलाव
- राजा अपनी दासी से विवाह करेगा जिससे लड़का पैदा होगा तथा वह लड़का पिता के मृत्यू पश्चात राजगद्दी संभालेगा और अपनी माता का स्वामी होगा।

$ अर्थात: العَالَةَ#:

निर्धन

$العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ#

अर्थात हालात बदल जाएंगे एवं निर्धनता मालदारी (धनाढ्यता) में

हदीस –ए- जिब्रील से चयनित कुछ महत्वपूर्ण बातें

१- विधार्थी के ऊपर छः हक़ (अधिकार) हैः अपनी जान का, शिक्षकों का, जिस स्थान पर शिक्षा ग्रहण करता है उसका, साथियों, पुस्तकों तथा ज्ञान का हक़ जिसे वह अर्जित करता है।

- अपनी जान का हक़ः इल्म -ज्ञान- इबादत है (जिसके लिए दो शर्तें हैः इख़्लास तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी) सलफ सालेहीन (नेक पूर्वज) के पथ पर चलना, अल्लाह का डर तथा उसके निगरानी का ध्यान रखना, विनम्रता अपनाते हुए घमंड से दूर रहना।

संतोष एवं संतुष्टि का भाव अपनाना, स्वयं को ज्ञान, उदारता, दयालुता, कोमलता तथा स्थिरता से सुसज्जित करना, और बेकार बैठकों, आवारा फिरने तथा लंपटगीरी से दूर रहना।

प्रतिबद्धता के साथ ज्ञान अर्जित करना, उसके लिए यात्रा करना, महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करना, उसे कंठस्थ करना, सहेजे गए ज्ञान की समीक्षा करते रहना।

उसूल (मूल) पर फुरूअ (शाखा) की तख़रीज में महारत हासिल करना, अल्लाह की ओर पलटना, किसी दूसरे के लिखे हुए को अपने नाम न करना तथा सच्चाई को थामे रखना।

गूढ़ ज्ञान का द्वार (मैं नहीं जानता) कहने से खुलता है अर्थात अपने आप को अशिक्षित मान कर ज्ञान अर्जित करने में लगे रहना।

समय की क़द्र करना, सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना ज़ब्त और सही का ध्यान रखना अर्थात पढने का सही ढंग सीखना, बड़ी पुस्तकों का सारांश करना व संक्षिप्त विवरण रखना।

प्रश्न करने का सलीका यानी अच्छे ढंग से प्रश्न करना, उसको ध्यान से सुनना, समझना एवं उस पर अमल करना, बिना लाभ के मुनाज़रा (बहस) करने से बचना, पढ़ने लिखने का अभ्यास करते रहना, किताब व सुन्नत तथा इससे संबंधित ज्ञान में पारंगत होते हुए प्रत्येक कला की बुनियादि बातें सीखना।

अमल करते रहना, सांसारिक पद, शोहरत तथा लोभ से दूर रहना।

अपनी कमियों पर निगाह रखते हुए दूसरों के विषय में अच्छा विचार रखना।

इल्म की ज़कात यह हैः हक का परचम बुलंद करना, नेकी का हुक्म देना तथा बुराई से रोकना, लाभ-हानि पर निगाह रखना, ज्ञान का दीप जलाना, औरों को फायदा पहूँचाना, अपनी शक्ति, वैभव तथा पहूँच का प्रयोग (मुसलमान) भाइयों की परेशानी दूर करने तथा उसके लिए सही सिफारिश करने में करना।

गरिमा बनाए रखना, इल्म की हिफाजत करना, एक सीमा तक मधुरता का ध्यान रखना, सिखाने व ज्ञान देने तथा नेतृत्व करने से पहले स्वयं को उसके योग्य बनाना।

उलेमा के इख्तेलाफ (मतभेद) तथा उनकी त्रूटियों पर दलील के साथ सही दृष्टिकोण अपनाना और सही का पक्ष लेना।

संशय दूर करना, अपने आपको गिरोह बंदी और पक्षतापूर्ण रवैया अपनाने से बचाना, वला -दोस्ती- एवं बरा -दुश्मनी- (में शरीअत के आदेशों) का ध्यान रखना।

- अध्यापक का ह़क़ः लोग इस विषय में अति एवं न्यून दो पक्षों में बंटे हुए हैं तो कुछ लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया है, इसका और अधिक विवरण दूसरी पुस्तक में आएगा कि पृथ्वी पर पनपने वाला प्रथम शिर्क नेक लोगों के प्रति अनाधिकारिक प्रेम दिखलाने के ही कारण था, अतः अति आवश्यक है कि हम नेक लोगों के विषय में अति एवं न्यून छोड़कर बीच (तटस्थता) का रास्ता अपनाएं।
- उस स्थान का अधिकार जहाँ शिक्षा ग्रहण करता है।

अपने संगी-साथी का अधिकारः अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (तुम सर्वश्रेष्ठ समुदाय हो जिसे औरों के लिए पैदा किया गया है), और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "तुम में से कोई भी उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जबतक कि वह अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद न करे जो वह अपने लिए पसंद करता है"।

- किताब का अधिकारः अर्थात किताबों की रक्षा करना क्योंकि अल्लाह तआला ने इन किताबों द्वारा हम पर इनाम किया है जिसकी रक्षा अति आवश्यक है।
- ज्ञान का अधिकारः उसकी रक्षा करना तथा सतत समीक्षा करते रहना, उसके अनुसार कर्म करना क्योंकि जिसने ज्ञान अर्जित किया उसके लिए अपरिहार्य है कि उसके अनुसार कर्म करे, तत्पशचात उसकी ओर लोगों को दावत देना क्योंकि यह अनुग्रह है जिसका धन्यवाद ज्ञापन आवश्यक है।

२- प्रश्न करने के शिष्टाचार में से यह है कि ऐसा प्रश्न करे जिससे अन्य को भी लाभ हो।

३- विधार्थी को चाहिए कि सफाई सुथराई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे।

४- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मृत्यु पश्चात, (अल्लाह तथा उसके रसूल अधिक जानते हैं) कहना, सही नहीं है, केवल (अल्लाह बेहतर जानता है) कहा जाएगा।

तीसरा मूल आधारः अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहचानना।

आप का नाम मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र अब्दुल मुत्तलिब पुत्र हाशिम है, और हाशिम क़ुरैश परिवार से हैं तथा क़ुरैश एक अरबी खानदान है, और अरब समुदाय हजरत इस्माईल पुत्र इब्राहीम ख़लील की नस्ल (पीढ़ी) है, أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا (उन दोनों तथा हमारे नबी पर अल्लाह का सर्वश्रेष्ठ दुरूद व सलाम उतरे)।

आपकी आयुः तिरसठ वर्ष थी, जिनमें से चालीस वर्ष नबूवत से पूर्व तथा तेईस वर्ष नबूवत व रिसालत के बाद का है।

"इकरा" नामक सूरत के द्वारा आपको नबी तथा "मुद्दस्सिर" नामक सूरत के द्वारा रसूल बनाया गया।

आपका जन्मस्थान मक्का है, फिर आप हिजरत करके मदीना आ गए।

यह अनुच्छेद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संक्षिप्त जीवनी पर आधारित है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम, वंशावली, आयु तथा दावती मिशन का उल्लेख है।

नबी ﷺ के विषय में जिन बातों का ज्ञान रखना आवश्यक है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैः

आप ﷺ का नाम व वंशावली

मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र अब्दुल मुत्तलिब पुत्र हाशिम, और हाशिम क़ुरैश परिवार से हैं तथा क़ुरैश एक अरबी खानदान है, और अरब समुदाय हजरत इस्माईल पुत्र इब्राहीम ख़लील की नस्ल (पीढ़ी से) है।

आपकी आयुः

आपकी आयु तिरसठ वर्ष थी, जिनमें से चालीस वर्ष नबूवत से पूर्व तथा तेईस वर्ष नबूवत व रिसालत के बाद का है।

आप के नबूवत का दौर दो भागों में खण्डित हैः

मक्की काल	मदनी काल
तेरह वर्ष	दस वर्ष

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नबी हैं अथवा रसूल?

आप नबी तथा रसूल दोनों हैं -आप पर अल्लाह का दुरूद व सलाम उतरे- [إِقْرَأْ] "इकरा" नामक सूरत के द्वारा आपको नबी तत्पश्चात [الْمُدَّثِّر] "मुद्दस्सिर" नामक सूरत के द्वारा रसूल बनाए गए।

नबी ﷺ की जीवनी की कुछ झांकी

मक्की जीवन काल तौहीद के इक़रार तथा शिर्क के इंकार पर केंद्रित थी, जो कि तेरह वर्षों तक चलती रही।

फिर आप ﷺ को मदीना की ओर हिजरत का आदेश मिला, यहां भी आप लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, इसके साथ-साथ शरीअत के अन्य अहकाम जैसे इबादत, मामला तथा जीवन बिताने का सही ढंग इत्यादी उतरा।

आपकी जीवनी का अवलोकन करने वाला स्पष्ट रूप से देखेगा कि तौहीद की दावत आपके जीवन के अंतिम चरणों तक चलती रही, जिसमें उनलोगों पर रद्द है जो कहते हैं कि तौहीद का सीखना आवश्यक नहीं तथा यह दावा करते हैं कि तौहीद कुछ क्षणों में भी सीखा जा सकता है।

अल्लाह तआला ने आप को रसूल बनाकर भेजा ताकि आप, लोगों को शिर्क (बहूदेववाद, अनेकेश्वरवाद) से डरायें तथा तौहीद की दावत दें।

और इसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ۝١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ۝٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ۝٥ وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصۡبِرۡ﴾ हे कपड़ा ओढ़ने वाले, उठो सावधान करने में लग जाओ, और केवल अपने रब ही की बड़ाई व प्रशंसा करो, अपने कपड़ों को पाक रखो, नापाकी को छोड़ दो, और एहसान करके अधिक लेने की लालसा न रखो, और अपने रब के लिए धैर्य से काम लो।

﴿قُمۡ فَأَنذِرۡ﴾ का अर्थ है कि: आप लोगों को शिर्क से डरायें तथा तौहीद की ओर बुलाएं।

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ﴾ का अर्थ है कि: अपने रब की, तौहीद के द्वारा बड़ाई बयान करो।

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ﴾ का अर्थ है कि: अपने कर्मों को शिर्क की गंदगी से पाक रखें।

﴿وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ﴾ : رُجْز बुत को कहते हैं, इसको छोड़ने का अर्थ है: बुत तथा उसको पूजने वालों से संबंध विच्छेद कर लेना।

इसी को लेकर आप दस वर्ष तक तौहीद की दावत देते रहे, तत्पश्चात आप को आसमान की सैर कराई गई, जहाँ आप पर पाँच वक़्त की नमाज़ फर्ज़ की गई, आप तीन वर्ष तक मक्का में नमाज़ पढ़ते रहे फिर आपको मदीना की ओर हिजरत करने का आदेश मिला।

लेखक महोदय का कथन: (عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ) (तत्पश्चात आप को आसमान की सैर कराई गई) से हमें यह सीख मिलती है कि:

१- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताए हुए ग़ैब (अगोचर, अनदेखा, दैवीय मामला) से संबंधित चीजों के विषय में हम कहें (हम ईमान लाए, हमने सच्चा माना तथा आत्मसमर्पण कर दिया)।

२- फर्ज़ नमाज़ अत्याधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आसमान पर फर्ज़ किया गया है।

हिजरतः शिर्क वाले देश को छोड़कर इसलाम वाले देश की ओर चले जाने को हिजरत कहते हैं, इस उम्मत पर शिर्क वाले देश को छोड़कर इसलाम वाले देश की ओर हिजरत करना क़्यामत तक फर्ज़ है, इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान हैः

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾

जो लोग अपने ऊपर अत्याचार करते हैं, जब फरिश्ते उनके प्राण ग्रस्त कर लेते हैं तो कहते हैः तुम किस दशा में पड़े रहे, वे कहते हैः हम धरती में निर्बल और बेबस थे, फरिश्ते कहते हैः क्या अल्लाह की धरती विस्तृत न थी कि तुम हिजरत कर जाते, यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। सिवाय उन बेबस पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के जो विवश (असहाय) हैं, जिनके वश में न कोई उपाय है और न ही कोई राह पा रहे हैं। तो संभव है कि अल्लाह ऐसे लोगों को छोड़ दे, अल्लाह तआला अत्यंत क्षमाशील तथा माफ करने वाला है, इसी प्रकार अल्लाह का यह फरमानः ﴿يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰىَ فَٱعْبُدُونِ﴾ हे मेरे मोमिन बंदों, निस्संदेह मेरी धरती विशाल है, अतः तुम केवल मेरी ही इबादत (पूजा) करो।

इमाम बग़वी रहिमहुल्लाह फरमाते हैः इस आयत के उतरने का कारण मक्का के कुछ मुसलमान हैं जिसने हिजरत नहीं की थी, उनको अल्लाह तआला ने मोमिन कह कर संबोधित किया है।

हदीस से हिजरत फर्ज होने की दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन हैः हिजरत उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक तौबा करने का समय समाप्त न हो, तथा तौबा उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि सूर्य पश्चिम की ओर से न निकले।

हिजरत (पलायन) के तीन प्रकार हैः

- शिर्क वाले देश को छोड़कर इसलाम वाले देश की ओर चले जाना। यह वाजिब है।
- मक्का से मदीना की ओर हिजरत, मक्का विजय के साथ यह समाप्त हो चुका है।
- हर उस चीज को छोड़ देना जिसको छोड़ने का आदेश अल्लाह ने दिया है, यधपि उसका संबंध क्रिया से हो या कारक से या समय अथवा स्थान से।

क्रियाः वह तमाम चीज जिसको अल्लाह ने हराम किया है जिसमें सर्वोपरि शिर्क है, कारक (करनेवाला) काफिर, मुनाफिक़ इत्यादि। समयः ऐसे समय से दूर रहना जिसमें काफिर त्योहार मनाते हैं। स्थानः ऐसे स्थान से दूर रहना जहाँ काफिर त्योहार मनाते हों।

❋ तौबा समाप्त होने का समयः

१- सूर्य का पश्चिम से उदय होना।

२- मरणासन्न (मृत्यु शैय्या पर) होना।

﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तो कहने लगता है, अब मैं तौबा करता हूँ, और इसी प्रकार उन लोगों की भी तौबा नहीं जो मरते दम तक काफिर ही रहे।

❋ नबी ﷺ का फरमान (मक्का विजय के बाद हिजरत नहीं) का अर्थ है मक्का से मदीना की ओर हिजरत। इसमें इस बात का संकेत है कि मक्का पुनः कुफ्र वाला देश नहीं बन सकता।

शैख़ इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैः ज़कात सर्वप्रथम मक्का में ही फर्ज किया गया था, किंतु इसका निसाब एवं परिमाण स्थापित नहीं किया गया था तथा मदीना में इसका निसाब एवं परिमाण उतरा।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु सन् ग्यारह (११) हिज्री में हुई तथा आइशः रज़िअल्लाहु अन्हा के हुजरा (कक्ष) में दफन किए गए।

(आप ने अपनी उम्मत को भलाई की एक-एक बात की ओर मार्गदर्शन तथा बुराई की एक-एक बात से सावधान कर दिया) अतः हमारे ऊपर अनिवार्य है कि हम गवाही दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अमानत अदा कर दिया, रिसालत पहूँचा दिया, उम्मत को नसीहत (हितचिंता) कर दी, अल्लाह की राह में पूरी तरह जिहाद किया और हमें ऐसे स्पष्ट रास्ते पर छोड़ा जिसकी रात भी दिन की तरह प्रकाशमय है जिससे कोई नाश्वान ही भटक सकता है।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मदीना में नियमित रूप से जम गए तो इसलामी शरीअत के अन्य आदेश जैसे ज़कात, रोज़ा, हज्ज, जिहाद, अज़ान तथा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना इत्यादि उतरा।

इन सब में दस वर्ष लगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का देहांत हो गया।

आप का लाया हुआ दीन आज भी बाकी है, और यही आपका दीन (धर्म) है, आप ने अपनी उम्मत को भलाई की एक-एक बात की ओर मार्गदर्शन तथा बुराई की एक-एक बात से सावधान कर दिया।

भलाई जिसकी ओर आपने मार्गदर्शन किया हैः तौहीद तथा वह समस्त कार्य हैं जिन से अल्लाह प्रसन्न और खुश होता है।

बुराई जिससे आपने अपनी उम्मत को सावधान किया हैः शिर्क तथा वह समस्त कार्य हैं जिसे अल्लाह नापसंद करता है।

बड़े-बड़े गुनाह

- शिर्क -ए- अकबर (यह इसलाम से निष्कासित कर देता है)
- शिर्क -ए- असगर (यह इसलाम से निष्कासित नहीं करता है)
- कबीरा गुनाह (गुनाह -ए- कबीरः) (प्रत्येक गुनाह जिसपर विशेष दंड का प्रावधान है)
- सगीरा गुनाह (गुनाह -ए- सग़ीरः) (प्रत्येक गुनाह जिसपर विशेष दंड का प्रावधान नहीं है)

अल्लाह ﷻ ने आप को समस्त लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है एवं आपका आज्ञापालन करना प्रत्येक मानव तथा दानव के लिए अनिवार्य किया है।

और इसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (१) आप कह दीजिए कि हे लोगो, मैं अल्लाह की तरफ से तुम सब की ओर रसूल बनाकर भेजा गया हूँ।

आपके द्वारा अल्लाह तआल ने इस्लाम धर्म को पूर्ण कर दिया।

जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ (२) आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और इस्लाम को तुम्हारे लिए धर्म के रूप में पसन्द कर लिया है।

तथा आप की देहांत की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ आपको भी मरना है तथा वह भी मरेंगे, फिर तुम सब क़्यामत के दिन अपने रबके समक्ष झगड़ोगे।

(१) आप ﷺ समस्त लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे, और आपके द्वारा पूर्व की तमाम शरीअतों को मंसूख़ (रद्द) कर दिया गया, अतः यहूदी व ईसाई चाहे वह नबी ﷺ के युग के हों या हमारे युग के, दीन की दावत पहूँचने के पश्चात यदि वह ईमान नहीं लाते हैं तो वह काफिर हैं चाहे वह मूसा व ईसा अलैहिमस्सलाम के दीन पर ही क्यों न हों, जिसकी दलीलें निम्नलिखित हैः

(१) अल्लाह तआला का यह फरमानः ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾ आप कह दीजिए कि, हे किताब वालो (यहूदी व ईसाई) एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर (समान मान्यता प्राप्त) है, कि हम एक अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की बन्दगी न करें, और न उसके संग किसी अन्य को साझी बनाएं।

(२) अल्लाह तआला का यह फरमानः ﴿قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾ उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़्यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल के ह़राम को ह़राम नहीं ठहराते और न सत्यधर्म का अनुपालन करते हैं, उनलोगों में से जिन्हें किताब दी गई।

(३) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमानः $وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ# (उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे बारे में किसी यहूदी या ईसाई को ख़बर पहूँचे फिर भी वह ईमान न लाए तो वह जहन्नमी है)।

(२) इस आयत में बिद्अतियों (नवाचारियों) पर रद्द है।

पंचमः समाप्ति

(१) सारे लोग आवश्यक रूप से मौत का मज़ा चखेंगे, और क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, फिर उनसे हिसाब लिया जाएगा तथा उन्हें उनके कर्म के अनुसार बदला दिया जाएगा।

(२) जिसने मृत्यु पश्चात पुनः उठाए जाने का इंकार किया तो वह काफिर है क्योंकि उसने ईमान के रुक्नों में से एक रुक्न का इंकार किया।

(३) नूह अलैहिस्सलाम प्रथम रसूल हैं जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ ﴾ किंतु सबसे पहले नबी आदम ﷺ हैं जिसकी दलील यह है कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आदम ﷺ के विषय में प्रश्न किया गया, क्या वह नबी हैं? आपने फरमाया: वह ऐसे नबी हैं जिन से अल्लाह ने बात की है।

और सबसे अंतिम नबी व रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴾ तुम्हारे पुरूषों में से किसी के पिता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहीं हैं, परंतु आप अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक हैं।

अतः जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नबूवत अथवा रिसालत का दावा किया तो वह झूठा और काफिर है, और जिसने ऐसा करनेवाले को सच्चा माना वह भी उसी की तरह काफिर है।

सारे लोग मृत्यु पश्चात पुनः जीवित किए जाएंगे, जिसकी दलील अल्लाह ﷻ का यह फरमान है: ﴿ مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ ﴾ (इसी (ज़मीन) से हमने तुमको पैदा किया और इसी में फिर वापस लौटाएंगे, और इसी से फिर दोबारा निकाल खड़ा करेंगे)।

और यह फरमान: ﴿ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا ﴾ (अल्लाह ने तुमको धरती से विशिष्ट प्रकार से उगाया है, फिर वही तुमको उसमें लौटाएगा, और वही तुम्हें उस से दोबारा निकाल खड़ा करेगा)।

दोबारा उठाए जाने के बाद उनसे हिसाब लिया जाएगा और उन्हें उनके कर्म का बदला दिया जाएगा, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ بِٱلۡحُسۡنَى ﴾ (१) (अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, ताकि जिन लोगों ने बुराई की अल्लाह उनको उनके कर्मों का बदला दे, और जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनको उनके कर्मों का बदला दे)।

और जिसने मृत्यु पश्चात पुनः जीवित किए जाने का इंकार किया वह काफिर है, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ﴾ (२) (काफिरों का गुमान है कि वह मरने के पश्चात कदापि न उठाए जाएँगे, आप कह दीजिए, क्यों नहीं, मेरे रब की क़सम तुम अवश्य उठाए जाओगे, फिर जो कुछ तुमने किया है उससे अवगत करा दिया जाएगा, और यह अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है)।

अल्लाह ने सभी रसूलों को ख़ुशख़बरी देने वाला और सावधान करने वाला बनाकर भेजा, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ ﴾ (हमने इन सारे रसूलों को ख़ुशख़बरी देने वाला तथा सावधान करने वाला बनाकर भेजा)।

सर्वप्रथम रसूल नूह ﷺ तथा अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ हैं।

नूह ﷺ के प्रथम रसूल होने की दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿ إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ ﴾ (३) हमने आपकी ओर वैसे ही वह्य (प्रकाशना) की है जैसे नूह (अलैहिस्सलाम) की ओर तथा उनके बाद आने वाले नबियों की ओर।

अल्लाह तआला ने सभी बंदों पर ताग़ूत का इंकार करना तथा अल्लाह पर ईमान लाना अनिवार्य कर दिया है।

इब्न क़ैय्यिम رَحِمَهُ ٱللَّهُ फरमाते हैः ताग़ूत हर वह चीज है जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा लांघ जाए चाहे वह माबूद हो या पेशवा या हाकिम।

नूह عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ के युग से लेकर मुहम्मद ﷺ के युग तक समय-समय पर अल्लाह तआला ने प्रत्येक समुदाय के लिए एक रसूल भेजा जो उन्हें केवल एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते और ताग़ूत (असुर) की इबादत करने से मना करते, जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (हम ने हर समुदाय में कोई न कोई रसूल भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो और ताग़ूत की बंदगी से बचो)।

और ताग़ूत बहुतेरे हैं, लेकिन उनके सरदार पाँच हैः इब्लीस मरदूद (शैतान)। वह व्यक्ति जिसकी उपासना की जाए और वह उससे प्रसन्न हो। वह व्यक्ति जो लोगों को अपनी उपासना की दावत दे। वह व्यक्ति जो ग़ैब जानने (अंतर्यामी होने) का दावा करे। वह व्यक्ति जो अल्लाह की उतारी शरीअत से हटकर फैसला करे।

जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ (धर्म के विषय में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सही बात नासमझी से अलग होकर स्पष्ट हो गई है, अतः जो ताग़ूत का इंकार करके केवल अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने एक मज़बूत कड़ा (सहारा) थाम लिया)।

और यही (ला इलाहा इल्लल्लाह) का अर्थ है, और हदीस में आया हैः "धर्म की नीवं इस्लाम, उसका स्तंभ नमाज़ तथा उसकी चोटी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है"।

अल्लाह तआला ने सभी रसूलों व नबियों को अच्छे कार्य पर ख़ुशख़बरी देने वाला तथा बुरे कार्य पर डराने वाला बनाकर भेजा, और समस्त रसूलों व नबियों की दावत का केंद्र बिंदू तौहीद का इक़रार तथा ताग़ूत और शिर्क का इंकार है जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا﴾ (अर्थात सभी समुदाय में ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾) (अर्थात केवल अल्लाह की इबादत करो), ﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ अर्थात ताग़ूत को एक ओर छोड़कर स्वयं दूसरी ओर हो जाओ, और यह उससे बचने के लिए कहने की अति उत्तम शैली है, जिससे शिर्क तथा मुश्रिकीन से दूर होना साबित होता है।

अल्लाह तआला ने सभी बंदों पर ताग़ूत का इंकार करना तथा अल्लाह पर ईमान लाना अनिवार्य कर दिया है।

और अल्लाह पर ईमान लाने से पहले ताग़ूत का इंकार आवश्यक है जैसाकी अल्लाह का फरमान है ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ﴾

ताग़ूत हर वह चीज है जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा लांघ जाए चाहे वह माबूद हो (जैसे पत्थर या पेड़) या पेशवा (जैसे बुरे उलेमा) या हाकिम (जैसे अल्लाह की नाफरमानी का आदेश देने वाले शासक)।

और ताग़ूत बहुतेरे हैं, लेकिन उनके सरदार पाँच हैः

इब्लीस मरदूद (शैतान), (शैख़ ने यहां उस पर दी गई ख़बर अनुसार लानत भेजी है)।

वह व्यक्ति जिसकी उपासना की जाए और वह उससे प्रसन्न हो।

वह व्यक्ति जो लोगों को अपनी उपासना की दावत दे।

वह व्यक्ति जो ग़ैब जानने (अंतर्यामी होने) का का दावा करे।

वह व्यक्ति जो अल्लाह की उतारी शरीअत से हटकर फैसला करे।

अल्लाह की उतारी हुई शरीअत से हटकर फैसला करना, इसमें तफ्सील है:

कुफ्र -ए- अकबर

यदि यह अकीदा रखे कि बंदे का फैसला अल्लाह के फैसला के समान या उससे उत्तम है।

कुफ्र के अलावा कुफ्र (कुफ्रे अस़ग़र)

जो यह अक़ीदा रखे कि अल्लाह के फैसले को छोड़कर, फैसला करना बातिल है, लेकिन फिर भी इच्छा पूर्ति कि लिए या पद के लालच मे या इसके सिवा किसी और कारणवश ऐसा फैसला करे।

अल्लामा इब्ने क़ैय्यिम -रहिमहुल्लाह- ने जिहाद को चार भागों में विभाजित किया है।

नफ्स से जिहाद

यह ज्ञान, कर्म, अल्लाह के रास्ते की दावत तथा सब्र (धैर्य) के द्वारा किया जाएगा।

शैतान से जिहाद

यह शुबुहात (शिर्क व बिद्अत) तथा शह्वात (सग़ीरह व कबीरह गुनाह) को छोड़कर किया जाएगा।

काफिरों व मुनाफिकों से जिहाद

यह दिल व ज़ुबान तथा जान व माल के द्वारा किया जाएगा।

जालिम (आतताई) तथा अहल -ए- बिदअत व मुन्कर से जिहाद

यह हाथ, ज़ूबान और दिल के द्वारा किया जाएगा।

समाप्ति

प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह इस महान पुस्तिका का अध्धयन करे और इसमें सोच-विचार करे क्योंकि यह अपने अंदर ऐसे मूल आधारों को समोए हुआ है जिसकी आवश्यकता हरेक व्यक्ति को क़ब्र में होगी।

هذا و اللهُ أعلَمُ ، وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ وعلى آله وصَحبه وسلَّم

प्रमाणों के साथ अल्लाह को जानना, नबी सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम को जानना तथा इस्लाम को जानना। (अर्थातः तीन मूल आधार)	ज्ञान अर्जित करना	चार मसले और उनकी दलीलें, (सूरः अस्र)	तीन मूल आधार वास्तव में क़ब्र के तीन प्रश्नों पर आधारित है,उसकी दलीलें,तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तीन मूल सिद्धांत को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?इसके जानने का फायदा (लाभ) क्या होगा।
(यदि इल्म -ज्ञान- के अनुसार कर्म किया जाए तो ठीक, अन्यथा वह इल्म समाप्त हो जाता है)। وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الوَثَنْ जिस आलिम ने अपने ज्ञानुसार कर्म नहीं किया मूर्ति पूजकों से पूर्व अज़ाब दिया जाएगा।	उस पर अमल करना		
अल्लाह की तरफ दावत देने की शर्तेः इख्लास़, शरई इल्म, दावत दिए जाने वाले लोगों के हालत की रियायत, हिकमत और सब्र (धैर्य)।	उसकी तरफ दावत देना		
सर्वप्रथम जिस चीज की दावत दी जाएगी वह तौहीद है क्योंकि यही नबियों तथा रसूलों की दावत रही है। दावत की सर्वोत्तम श्रेणी तौहीद का इकरार तथा शिर्क का इंकार करना है।			
अल्लाह की इताअत पर सब्र करना जैसे नमाज़, अल्लाह की नाफरमानी पर सब्र करना जैसे सूद खाना और तक़दीर (भाग्य) में लिखि हुई परेशनियों पर सब्र करना जैसे दीनता व मोहताजी।	यातनाओं पर सब्र करना		
अर्थात इल्म हासिल करने पर सब्र करना, तत्पश्चात अमल करने पर सब्र करना और फिर उसकी दावत देने में मिलने वाली परेशानियों पर सब्र करना।			
तौह़ीद -ए- रुबूबियत (जो तौह़ीद -ए- रुबूबियत में अकेला है, उसे उलूहियत में अकेला मानना भी अति आवश्यक है) **और तौह़ीद -ए- असमा व सिफ़ात**		तीन मसले	
तौह़ीद -ए- उलूहियतः (इख़्लास), अल्लाह तआला को यह बात नापसंद है कि उसके संग किसी और को इबादत (उपासना) में शरीक किया जाए, चाहे वह कोई महान फरिश्ता अथवा रसूल ही क्यों न हो।			
शिर्क एवं मुश्रिकीन से अलगावः दिल व ज़ुबान से (कुफ्फार से बुग़्ज़ व कराहियत) ﴿إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं) शारीरिक अंग से इस प्रकार किः उनके समारोह, त्योहार तथा उनकी नकल करने से दूरी बना कर।			

दीन –ए- हनीफः यह शिर्क से हट कर इख़्लास, तौहीद एवं ईमान की ओर आकर्षित होने वाली मिल्लत को कहते हैं।	तौहीद जानने और इसके अध्ययन का कारण	तीन मूल आधार वास्तव में क़ब्र के तीन प्रश्नों पर आधारित है,उसकी दलीलें,तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?तीन मूल सिद्धांत को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?इसके जानने का फायदा (लाभ) क्या होगा।
शब्दकोष अनुसारः किसी वस्तु को एक करना या एक मानना, जो अपने मूल शब्द वहहदा युवहिहदो (وَحَّدَ يُوَحِّدُ) से निकला है। शरीअत अनुसारः अल्लाह तआला को उसकी समस्त विशेषताओः उपासना, सृजनकर्ता होने तथा उसके नाम एवं गुण में अकेला मानना। **और इसके तीन प्रकार हैः**		
तौहीद -ए- रुबूबियत अल्लाह तआला को उनके समस्त क्रियकलाप में अकेले मानना या अल्लाह तआला को सृष्टि कर्ता होने, बादशाहत तथा तदबीर करने में अकेला मानना। तौहीद -ए- उलूहियत उपासना एवं आराधना योग्य होने में अकेला मानना। तौहीद अल-असमा व अल-सिफात अल्लाह ने अपने कुरान में या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसका अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता के।		
शिर्क कहते हैः अल्लाह के संग किसी और के पुकारने को, जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे घृणित कार्य है।		
अल्लाह ﷻ को जानना, तेरा रब कौन है? तूने अपने रब को कैसे पहचाना? रब ही माबूद है, इबादत के प्रकार, जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए इबादत की कोई भी क़िस्म अंजाम देता है उसका हुक्म।	तीन मूल आधार	
दलीलों के साथ इस्लाम को जानना, इस्लाम की परिभाषा, दीन के दर्जे, इस्लाम के अरकान (स्तंभ) शहादत की परिभाषा, ईमान की शाखाएं, एहसान, दीन के दर्जे की दलीलें, क़्यामत की निशानियां।		
नबी ﷺ को जानना, आपकी वंशावली, आपका जन्म, आपकी आयु, आपकी नबूवत व रिसालत, आपका वतन, आपकी रिसालत का उद्देश्य, तौहीद के दावत की मुद्दत (कार्य काल) इस्रा व मेराज, नमाज़ कब तथा कहाँ फर्ज़ हुई? हिजरत का हुक्म और उसका समय, बाकी शरीअत कब उतरी, दावत का काल (मुद्दत) नबी ﷺ का देहांत, जो दीन आप लेकर आए, आपकी रिसालत मानव तथा दानव के लिए व्यापक थी, दीन पूर्ण तथा नेमतें मुकम्मल हैं।		

मरणोपरांत पुनः जीवित किया जाना और आमाल का हिसाब देना, जिसने मरने के बाद फिर से ज़िंदा किए जाने का इंकार किया वह काफिर है, रसूलों का वज़ीफा (कार्य प्रणाली) और उनकी दावत, पहले और अंतिम रसूल, तौहीद के स्तंभः ताग़ूत का इंकार और अल्लाह पर ईमान, ताग़ूत की परिभाषा, ताग़ूतों के सरदार, ताग़ूत के इंकार कि कैफियत, ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ, दीन की मूल (नींव) इस्लाम है, इसका स्तंभ नमाज़ है, इसका सर्वोच्च शिखर जिहाद करना है।				समाप्ति
यह जिहाद जैसा कि सूरा अस्र में आया है (यह ज्ञान अर्जित करने, कर्म करने, अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत तथा उस पर सब्र (धैर्य) के द्वारा किया जाएगा)।		नफ्स से जिहाद	जिहाद के प्रकार	
कबीरा गुनाहः (जिसके ऊपर विशेष दंड का प्रावधान हो)।	शहवात	शैतान से जिहाद		
सग़ीरा गुनाहः (जिसके ऊपर विशेष दंड का प्रावधान न हो)।				
शुबुहातः शिर्क -ए- अकबर (मिल्लत -ए- इस्लाम से निष्कासित कर देता है) शिर्क -ए- अस़ग़र	शुबुहात			
बिद्अत				
यह दिल व ज़ुबान तथा जान एवं माल के द्वारा किया जाएगा।		काफिरों व मुनाफिकों से जिहाद		
जालिम (आतताई) तथा अहल -ए- बिदअत व मुन्कर से जिहाद यह हाथ, ज़ुबान और दिल के द्वारा किया जाएगा।		जालिम (आतताई) तथा अहल -ए- बिदअत व मुन्कर से जिहाद		

तीन मूल आधार वास्तव में क़ब्र के तीन प्रश्नों पर आधारित है,उसकी दलीलें,तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?तीन मूल सिद्धांत को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?इसके जानने का फायदा (लाभ) क्या होगा।

हर वह चीज है जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा लांघ जाए चाहे वह माबूद हो (जैसे पत्थर या पेड़) या पेशवा (जैसे बुरे उलेमा) या हाकिम (जैसे अल्लाह की नाफरमानी का आदेश देने वाले बादशाह) और ताग़ूत बहुतेरे हैं, किंतु उनके सरदार पाँच हैः इब्लीस मरदूद, (शैतान) वह व्यक्ति जिसकी उपासना की जाए और वह उससे प्रसन्न हो। वह व्यक्ति जो लोगों को अपनी उपासना की दावत दे। वह व्यक्ति जो ग़ैब जानने (अंतर्यामी होने) का दावा करे। वह व्यक्ति जो अल्लाह की उतारी हुई शरीअत से हटकर फैसला करे।	ताग़ूत
والله أعلمُ وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصَحبه وسلَّم.	

तीन मूल आधार तथा उसके प्रमाण की परिक्षा

कोष्ठक में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनेः

१- तीन मूल आधार के लेखक हैः

(मुहम्मद बिन सुलैमान तमीमी - मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब - सभी)।

२- तीन मूल आधार क़ब्र के तीन प्रश्नों पर आधारित हैः (सत्य - असत्य)

३- लेखक ने तीन मूल आधार में पाठक के लिए कितने स्थान पर दुआ किया है? (दो स्थान पर - तीन स्थान पर)

४- लेखक महोदय के पुस्तकों की विशेषता हैः सरलता एवं स्पष्टता – पहले संक्षिप्त फिर विस्तृत विवरण - क़ुरआन व हदीस से दलीलों का अंबार - विधार्थियों के लिए दुआ करना - समकालीन संदेहों का निवारण - उनके पुस्तकों के व्याख्या की अधिकता व बहुतायत - मुख्य बिंदुओं का प्रश्न एवं उत्तर के ढ़ंग में प्रस्तुत करना - अल्लाह ने उसे लोगों के मध्य सामान्य स्वीकृती दिला दी है - सभी ।

५- तीन मूल आधार को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? (दो - तीन)

६- तौहीद का ज्ञान अर्जित करनाः (फर्ज -ए- किफाया - फर्ज -ए- ऐन)

७- चार मसले की दलील कौनसी सूरः है? (अल अस्र - अल इख़्लास)

८- जिसने इल्म हासिल किया, किंतु उसपर अमल नहीं किया, वह किसके समान है? (ईसाई - यहूदी - दोनों)।

९- सब्र के कितने प्रकार हैं? (दो - तीन)

१०- सूरा अस्र के विषय में इमाम शाफई के कथन का अर्थ है कि, यह सूराः (हुज्जत कायम करने के लिए काफी है - दूसरी सूरतों के लिए काफी है)।

११- जो तौहीद के तीनों प्रकार में से केवल एक पर ईमान लाए, वह मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) नहीः (सत्य - असत्य)।

१२- शिर्क तथा अहले शिर्क से बराअत (अलगाव) कैसे होगी? (हृदय, ज़ुबान, शारीरिक अंग से – वह कार्य तथा उसके करने वाले से अलगाव के द्वारा)।

१३- अल्लाह तआला के फरमानः (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ) में मस्जिद का अर्थ हैः (दीवार के सहारे बनाई गई मस्जिद - सज्दा करने के अंग - समस्त भूमि - सभी)।

१४- सलफ का तरीका थाः (पहले दलील फिर एतकाद - पहले एतकाद फिर दलील)।

१५- हमारे उलेमा में से जो पथभ्रष्ट हो गए, उनके अंदर (यहूदी - ईसाई) से समानता है।

१६- हमारे इबादत करने वालों में से जो पथभ्रष्ट हो गए, उनके अंदर (यहूदी - ईसाई) से समानता है।

१७- तीन मसला ही दरअसल तीन मूल आधार हैः (सत्य - असत्य)।

१८- दुआ के भेद हैः (इबादत वाली दुआ व माँगने वाली दुआ- शारीरिक क्रिया एवं हाव-भाव के द्वारा व प्रत्यक्ष रुप से ज़ुबान के द्वारा)

१९- दुआ -ए- मसअला के कितने प्रकार हैं? (दो - चार)

२०- अस्बाब (माध्यम) के संबंध में एतकाद (आस्था) रखने में लोगों के कितने गिरोह हैः (अति तथा न्यून एवं तठस्थ - शिर्के अकबर, शिर्के असगर व जायज़)

२१- मख़लूक़ से मदद माँगना जायज़ हैः आम तौर पर - केवल उसी में जिस पर वह सक्षम है - केवल उसी में जिस पर वह सक्षम है अन्य चारों शर्तों के साथ।

२२- لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ का अर्थ है (आविष्कार तथा खोज की योग्यता रखने वाला - अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं - अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं)।

२३- सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात करनाः (जायज़ है - कबीरा गुनाह है - कुफ्र है)।

२४- संक्षिप्त रुप से अल्लाह के वजूद (अस्तित्व) पर दलीलेः (बहुत अधिक हैं - चार हैं)।

२५- क्या फरिश्तों के पास दिल हैः (हाँ - नहीं)।

२६- तौहीद का ईमान से संबंध इस प्रकार है कि ईमान आम है और तौहीद उसका एक अंश हैः (सत्य - असत्य)

२७- ईमान के अरकान (५ - ६ - ७)

२८- मुश्रिकीन भी कुछ अर्थों में अल्लाह की इबादत करते हैः (सत्य - असत्य)

२९- अल्लाह के सिवा जिसकी पूजा की जा रही हो तथा वह उससे प्रसन्न न होः (उसको ताग़ूत कहा जाएगा - उसको ताग़ूत नहीं कहा जाएगा)

३०- ब्रह्मांड का प्रबंध और पानी बरसाने में अल्लाह को एकल मानना, तौहीद -ए- (उलूहियत - रुबूबियत - असमा व सिफ़ात) है।

३१- इनमें से क्या मूल तौहीद के विरुद्ध हैः (शिर्क -ए- अकबर - अस़ग़र - बिद्अत)।

३२- वाजिबात में से सबसे बड़ा वाजिब माता-पिता के संग अच्छा व्यवहार करना है (सत्य - असत्य)

३३- हराम चीजों में सबसे घृणित कार्य व्यभिचार और किसी को नाहक़ क़त्ल करना हैः (सत्य - असत्य)

३४- मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक की यात्रा को कहा जाता हैः (सत्य - असत्य)

३५- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थेः (केवल अपने समाज के लिए - समस्त मानव तथा दानव के लिए)

३६- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (का देहांत हो चुका - नबी मरते नहीं)

३७- जिसने मृत्यु पश्चात पुनः जीवित किए जाने का इंकार किया उसने कुफ्र -ए- (अकब - अस़ग़र) किया।

३८- सभी नबियों का दीन (एक है - प्रत्येक नबी का अपना अलग-अलग दीन है)

३९- हिजरत का हुक्मः (मक्का विजय के पश्चात समाप्त हो चुका - क़्यामत तक बाकी है)

४०- हिजरत कहते हैः (शिर्क वाले देश को छोड़कर इस्लाम वाले देश की ओर चले जाने को - हर उस चीज को छोड़ देना जिसको छोड़ने का आदेश अल्लाह ने दिया है)

४१- इस्लाम दीन, पूर्ण है, सिवाय उसके जो नेकलोग स्वपन में देखते हैः (सत्य - असत्य)

४२- अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, शिर्क -ए- (अकबर - अस़ग़र) है।

४३- किसी कार्य पर हुक्म लगाने और उसके करने वाले के मध्य अंतर करना अनिवार्य हैः (सत्य - असत्य)

४४- सर्वप्रथम नबीः (नूह अलैहिस्सलाम - आदम अलैहिस्सलाम हैं)

४५- हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमः (नबी हैं - रसूल हैं)

निम्नलिखित पहली सूची के वाक्यांश को दूसरी सूची के उप्युक्त वाक्यांश से मिलाएं।

पहली सूची	क्रमांक	क्रमांक	दूसरी सूची
इमाम अहमद रहिमहुल्लाह का कथनः (إذا رأيت الكافر أغمضت عينيَّ مخافة أن أرى عدوَّ الله) (जब मैं किसी काफिर को देखता हूँ तो अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ कि कहीं अल्लाह के दुशमन पर मेरी दृष्टि न पड़ जाए)।	१		तौहीद शब्दकोष के अनुसार
हरेक उस चीज पर ईमान लाने को सम्मिलित है जो मृत्यु पश्चात होने वाली है।	२		तौहीद शरीअत के अनुसार
जुबान से इकरार करना (कथन), दिल से विश्वास रखना, शरीर के अंगों से अमल करना, ईमान सुकर्म से बढ़ता है और कुकर्म से घटता है।	३		तौहीद -ए- उलूहियत
इस्लाम, ईमान और एहसान हैं	४		तौहीद -ए- रुबूबियत
अल्लाह के लिए भी और ग़ैरुल्लाह के लिए भी	५		तौहीद -ए- अल-अस्मा व अल-सिफात
वाजिब, जायज़ और हराम	६		दीन -ए- हनीफ
शरई और हिस्सी (इंद्रिय)	७		कुरआन का सर्वप्रथम निदा व अम्र
क़ब्र के प्रश्न हैं	८		निद्द
ज्ञान अर्जित करना, उस पर अमल करना, उसकी ओर दावत देना और उस पर सब्र (धैर्य) करना।	९		ख़शीय्यत
इख़्लास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी।	१०		तवक्कुल
अल्लाह पर भरोसा और जायज़ माध्यम अपनाते हुए केवल उसी पर एतमाद करना।	११		इबादत स्वीकार्य होने की दो शर्तें है
ऐसा डर जो अल्लाह की महानता एवं पूर्ण स्वामित्व के ज्ञान पर आधारित हो।	१२		चार मसले संक्षिप्त में
समान, मानिंद और समकक्ष को कहते हैं	१३		तीन मसले संक्षिप्त में

सूरः बक़रा में है	१४		तीन मूलाधार संक्षिप्त में
यह शिर्क से हटकर, इख़्लास, तौहीद और ईमान की तरफ आकर्षित होने वाली मिल्लत को कहते हैं।	१५		सबब (माध्यम) के प्रकार
अल्लाह ने अपनी पुस्तक (क़ुरान) या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम रखा है या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसकी अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर,निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता।	१६		नज़्र (मन्नत) के प्रकार
अल्लाह तआला को उसकी इबादत में अकेला मानना है।	१७		ज़ब्ह के प्रकार
अल्लाह तआला को सृष्टि रचना, बादशाहत तथा प्रबंध करने में अकेला मानना।	१८		भय के प्रकार
अल्लाह ﷻ को उसकी समस्त विशेषताओं में अकेला मानना है।	१९		इस्लाम
मूल शब्द वहहदा युवहिहदो (وَحَّدَ يُوَحِّدُ) से निकला है, जिसका अर्थ है किसी चीज को एकल मानना।	२०		दीन की श्रेणी (दर्जे)
सूर्य का पश्चिम से उदय होना, अथवा मरणासन्न (मृत्यु शैय्या पर) होना।	२१		ईमान
हरेक चीज है जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा लांघ जाए चाहे वह माबूद हो या पेशवा या हाकिम।	२२		आख़िरत पर ईमान लाना
तौहीद -ए- रुबूबियत, तौहीद अल-असमा व अल-सिफात व तौहीद -ए- उलूहियत तथा शिर्क व मुश्रिकीन से अलगाव के द्वारा।	२३		शिर्क से पूर्णरुपेण अलगाव होगा
अल्लाह को अकेला मानते हुए उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसकी आज्ञाकारी करते हुए आत्मसमर्पण कर देना तथा शिर्क एवं मुश्रिकीन से संबंध विच्छेद कर लेना।	२४		तौबा का समय समाप्त होगा
जिसको अल्लाह के सिवा चित्र के रूप में पूजा जाता हो।	२५		तागूत

विषय सूची

१	प्राक्कथन	५-७
२	चार मसले	८-१२
३	तीन मसले	१३-१६
४	तौहीद जानने की महत्ता	१७
५	तीन मूल आधार	१८-४४
६	समाप्ति	४५-४७
७	परिशिष्ट (पुस्तिका की संक्षिप्त व्याख्या तालिका के रूप में)	४८-५१
८	तीन मूल आधार तथा उसके प्रमाण की परिक्षा	५२-५६
९	विषय सूची	५७

القواعد الأربع

चार सिद्धांत

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله:

व्याख्या से पूर्व एक प्राक्कथन

इस पुस्तिका के लेखक

नामः शैख़ुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब बिन सुलैमान तमीमी,
उपनामः अबुल हुसैन
जन्मः १११५ हिज. तथा मृत्युः १२०६ हिज. में उयैना नामक स्थान पर हुई जोकि सऊदी अरब का एक प्रसिद्ध नगर है।

चार सिद्धांत, यह छात्रों के लिए आरंभ किए गए पुस्तकों के श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, इस पुस्तिका के चयन के कारण निम्नलिखित हैः

- उलेमा ने इसको पढने की सलाह दी है
- पूर्व नेक उलेमा की पैरवी
- इसमें हमारे युग के मुश्रिकीन के संदेहों का निवारण है
- क्योंकि यह कश्फ अल-शुबुहात नामक पुस्तक का सारांश है
- कश्फ अल-शुबुहात पढ़ने से पहले इस पुस्तिका से आरंभ करते हैं ताकि विधार्थी के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह बाकी न रहे।

चार सिद्धांत की विषय सूची

इस के तीन प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैः

- १- प्रस्तावना (सौभाग्यवान बनने का शीर्षक)
- २- तौहीद जानने की महत्ता
- ३- सिद्धांत

पहलाः प्रस्तावना (सौभाग्यवान बनने का शीर्षक)

(१) بسم الله الرحمن الرحيم

बड़े सिंहासन के प्रभू, आदरणीय अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वह लोक एवं परलोक में आपकी रक्षा करे (२) और आप जहाँ भी हों आपको मुबारक तथा लाभदायक बनाए।(३)

(१) लेखक -रहिमहुल्लाह- का इस पुस्तिका को बिस्मिल्लाह से आरंभ करने का कारणः

- १- कुरआन और नबियों व रसूलों -अलैहिमुस्सलाम- की पैरवी करते हुए।
- २- नेक पूवर्ज उलेमा का अनुसरण करते हुए।
- ३- अल्लाह के आदरणीय नाम से बरकत (हासिल करना) व भलाई प्राप्त करने की उम्मीद रखते हुए।

(२) बिस्मिल्लाह के पश्चात लेखक रहिमहुल्लाह ने पुस्तिका के प्रस्तावना को अपनी आदत के अनुसार छात्रों के लिए दुआ से आरंभ किया है, जो छात्रों से उनके प्रेम तथा हितचंता का प्रतीक है, और उनके लिए अल्लाह से समस्त प्रकार की भलाई माँगना है।

(३) अल्लाह के वली वह लोग हैं जिन्होंने ईमान व तक़वा को अपनाया।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह फरमाते हैः जो व्यक्ति ईमान व तक़वा अपनाता है, वह अल्लाह का वली हो जाता है, जिसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢﴾ ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣﴾ सुन लो, अल्लाह के मित्रों को न तो कोई डर है और न वे शोकाकुल होंगे, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और (कुकर्मों से) बचते हैं।

बरकतः यह विकास तथा वृद्धि को कहते हैं।

तबुर्रुकः विकास तथा वृद्धि का अनुरोध करने को कहते हैं।

मुबारकः ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी हो दूसरों के लिए लाभदायक हो।

तबर्रुक के दो भेद हैं

जायज़ तबर्रुक

- **इन्द्रियः** जैसे इल्म, दुआ इत्यादि, क्योंकि लोगों का इल्म व भलाई की तरफ दावत दूसरों के लिए बरकत का कारण होती है, और हम इसे बरकत इसलिए कहते हैं कि हम इस से भलाई प्राप्त करते हैं, जैसे शैख़ुल इस्लाम व अन्य उलेमा की पुस्तकें जिनमें अल्लाह ने बरकत व भलाई रखी है जिन से उम्मत लाभान्वित हुई है।
- **शरईः** जैसे मस्जिद -ए- ह़राम या मस्जिद -ए- नबवी में नमाज़ पढ़ना।

नाजायज़ तबर्रुकः यह वह तबर्रुक है जिसपर कोई शरई अथवा इन्द्रिय प्रमाण न हो, तथा यह शिर्क -ए- अस़ग़र में से है।

और आपको उन लोगों में से बनाए जो अल्लाह कि ओर से नवाज़े जाने पर शुक्रिया अदा करते हैं।

नेमत (अनुग्रह) आज़माइश (परिक्षण) का कारण है, और इसके प्रमाण बहुतेरे हैं, जिनमें से कुछ ये हैः ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (और हम अच्छी व बुरी परिस्थितियों में डाल कर तुम सबकी परिक्षा लेते हैं)। ﴿فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ﴾ (तो जब सुलेमान عليه السلام ने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगे ये मेरे रब का उदार अनुग्रह है ताकि वह मेरी परिक्षा ले कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूँ या कृतघ्न बनता हूँ, जो कृतज्ञता दिखलाता है तो वह अपने लिए ही कृतज्ञता दिखलाता है और वह जिसने कृतघ्नता दिखाई तो मेरा रब निश्चय ही निस्पृह (बेनियाज़), बड़ा उदार है)। ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ﴾ किंतु मनुष्य का हाल यह है कि जब उसे उसका रब प्रतिष्ठा और नेमत देकर परिक्षा लेता है तो कहता है, मेरे रब ने मुझे प्रतिष्ठित किया।

और हदीस में है किः बनी इस्राईल में तीन लोग थे, अल्लाह ने उनकी परिक्षा लेनी चाही...

तौहीद –ए- रुबूबियत एवं तौहीद –ए- उलूहियत से संबंधित अनुग्रहों का शुक्र अदा करने (धन्यवाद ज्ञापन) के दो प्रकार हैः

अनुग्रह (नेमत) के पश्चात अल्लाह का शुक्र अदा करना, और यह निम्नांकित चीजों के द्वारा होगाः

दिल से

इस प्रकार कि, सच्चा ईमान, परम विश्वास तथा पूर्णरूपेण आश्वस्त होना कि रिज़्क़ व नेमत देने वाल केवल अल्लाह तआला है और बंदे के पास जो भी नेमतें हैं वह अल्लाह ही की ओर से है।

ज़ुबान से

और वह इस प्रकार कि, अल्लाह की नेमतों का बखान करे और उसपर अल्लाह की प्रशंसा करे व शुक्रिया अदा करे, जैसाकि अल्लाह का फरमान हैः

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (और अपने रब की अनुकम्पा का बखान करते रहें)।

अंगों से

और वह इस प्रकार कि, नेमतों को उसी प्रकार से ख़र्च करे जिस प्रकार से अल्लाह प्रसन्न होता है, इसके अलावा अल्लाह की निकटता प्राप्त करने के लिए सुकर्म करे तथा उसके आदेशों का पालन करते हुए कुकर्म छोड़ दे।

अनुग्रह (नेमत) से पूर्व अल्लाह से ताल्लुक (संबंध) रखना

यह प्रकार बंदों से मांग करता है कि वह यह श्रद्धा और विश्वास रखें कि नेमत देने वाला केवल अल्लाह ﷻ है, अतः उसके सिवा न किसी से दिल लगाएं न ही दूसरों से भलाई मांगें।

जिस प्रकार जन्नत केवल अल्लाह ही से माँगी जाएगी क्योंकि वही उसका मालिक है ठीक उसी प्रकार आजीविका भी केवल उसी से माँगी जाएगी क्योंकि वही उसका मालिक है।

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ (और उस अल्लाह पर भरोसा करो जो जीवंत और अमर है)।

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पूजते हो वे तुम्हारे लिए रोज़ी का भी अधिकार नहीं रखते, अतः तुम अल्लाह ही के यहाँ रोज़ी तलाश करो)। **अर्थात अल्लाह ही के पास न कि दुसरों के पास।**

﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ (और उसी की बंदगी करो और उसके आभारी बनो)।

(१) क्योंकि सब्र के वाजिब होने पर उम्मत का इत्तेफाक़ है।

दुःख व परेशानी के समय लोगों के चार हालात होते हैः

- नाराज होने वाले
- सब्र करने वाले
- राजी रहने वाले
- शुक्र अदा करने वाले

और उन लोगों में से बनाए जो विपत्तियों पर सब्र करते हैं (१) और गुनाह हो जाने पर इस्तिग़फार करते (माफी माँगते) हैं।

१- नाराजगीः ह़राम है, और कबीरा गुनाहों में से है, तथा यह निम्नांकित चीजों के द्वारा होता हैः

- दिल से
- ज़ुबान से
- अंगों से

दिल से नाराजगी जाहिर करनाः अल्लामा इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह के कथन का सार यह है कि कुछ लोग ज़ुबान से कहने की जुर्रत तो नहीं करते लेकिन वह मन और दिल में अपने रब से बदगुमान होते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं किः मेरे रब ने मुझपर जुल्म किया, मेरे रब ने मुझे वंचित कर दिया इत्यादि, और यह गुण कुछ लोगों में कम होती है तो कुछ में अधिक, अतः आप अपना जायज़ा लें, यदि आपका ह़दय इससे पाक है तो आप बड़े गुनाह से बच गए।

ज़ुबान से नाराजगी जाहिर करनाः और यह इन चीजों के द्वारा होता हैः चीखना व चिल्लाना, रोना धोना, मातम करना, अपने लिए बद्दुआ करना, लानत मलामत तथा गाली-गलौज करना।

अंग से नाराजगी जाहिर करनाः और यह इन चीजों के द्वारा होता हैः अपना गाल पीटना, गिरेबान फाड़ना तथा बाल नोचना।

२- सब्रः इसके वाजिब होने पर उम्मत का इजमाअ (आम सहमति) है, और यह भी वाजिब है कि दिल, ज़ुबान व अंगों से सब्र करे, इमाम अह़मद रहिमहुल्लाह फरमाते हैः क़ुरआन में लगभग सत्तर (७०) स्थान पर सब्र का उल्लेख हुआ है, और इसके वाजिब होने पर उम्मत सहमत है, तथा यह आधा ईमान है, क्योंकि ईमान के दो भाग हैः आधा सब्र और आधा शुक्र (देखेः मदारिज अल-सालिकीन)।

३- रज़ा (संतुष्टि) यह मुस्तह़ब (वांछनीय) है, और यह सब्र से भी ऊँचा दर्जा है।

४- शुक्र अदा करनाः यह मुस्तह़ब (वांछनीय) है, और यह सर्वश्रेष्ठ दर्जा है।

दूसराः चार सिद्धांत

जान लें -अल्लाह आपको अपने आज्ञापालन की तौफ़ीक़ दे- कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का धर्म अर्थात हनीफियत यह है कि आप केवल एक अल्लाह की इबादत करें और उसी के लिए दीन को शुद्ध रखें, अल्लाह तआला ने इसी लिए सृष्टि की रचना की है तथा सबको इसी का आदेश दिया है, जैसा कि अल्लाह का फरमान हैः ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (१) (मैंने जिन्नों और इंसानों को मात्र इसीलिए पैदा किया कि वह केवल मेरी ही इबादत करें)।

जब आपने यह जान लिया कि अल्लाह ﷻ ने आप को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो आप यह भी जान लें कि इबादत बिना तौहीद के, इबादत नहीं कही जा सकती, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नमाज़ बिना पवित्रता के नमाज़ नहीं कही जा सकती, क्योंकि इबादत में जब शिर्क समावेशित हो जाए तो इबादत नष्ट हो जाती है, जैसे नापाकी जब पवित्रता में समावेश कर जाए तो पवित्रता भंग हो जाती है, जब आप ने यह जान लिया कि इबादत में शिर्क की मिलावट हो जाती है तो वह इबादत को बर्बाद कर देता है और शिर्क करने वाला सर्वदा के लिए जहन्नमी हो जाता है तो अब आप ने यह भी जान लिया होगा कि आप के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आती है वह यह है कि आप शिर्क को अच्छी तरह जान लें, उम्मीद है कि अल्लाह आपको शिर्क के इस जाल से बचाए, जोकि अल्लाह के संग किसी को शरीक करना है, जिसके विषय में अल्लाह का फरमान हैः ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ (निस्संदेह अल्लाह अपने संग साझी ठहराए जाने को कभी माफ नहीं करेगा, किंतु उससे नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा)।

और शिर्क से बचने के लिए उन चार सिद्धांतों को जानना आवश्यक है जिनका उल्लेख अल्लाह ने क़ुरआन में किया हैः

पहला सिद्धांतः आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जिन काफिरों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने युद्ध किया था वे सब इस बात का इक़रार करते थे कि अल्लाह तआला ही पैदा (व प्रबंध) करने वाला है और संसार को चलाने वाला है, परंतु उनका यह इक़रार उन्हें इस्लाम में प्रवेश नहीं दिला सका, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (२) (आप कह दीजिए कि तुम्हें आकाश व धरती से रोज़ी कौन देता है, या ये कान और आँखें किसके अधिकार में हैं और कौन जीवन्त को निर्जीव से निकालता है और निर्जीव को जीवन्त से निकालता है, और कौन है जो सभी मामलों का प्रबंध करता है? इसपर वे बोल पड़ेंगे कि (अल्लाह), तो उनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं डरते?)

(१) लेखक रहिमहुल्लाह यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें तौहीद का अध्ययन क्यों करना चाहिए?

(२) वह कुफ्फार जिनकी ओर नबी ﷺ भेजे गए थे, वह तौहीद -ए- रुबूबियत का इक़रार करते थे, इसके बावजूद नबी ﷺ ने उनसे युद्ध किया, अतः पता चला कि उनके और नबी ﷺ के बीच झगड़ा तौहीद -ए- उलूहियत को लेकर था, अतः जो कोई भी अल्लाह को छोड़कर किसी और की ईबादत करे तो वह काफिर व मुश्रिक है।

दूसरा सिद्धांतः शिर्क करने वाले कहते हैः हम अल्लाह के सिवा दुसरों को केवल इसलिए पुकारते और उनकी ओर ध्यान लगाते हैं ताकि वे हमें अल्लाह से निकट कर दें और अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर दें।

निकटता की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ﴾

(१) (जिन्होंने अल्लाह से हटकर दुसरे समर्थक और संरक्षक बना रखे हैं (कहते हैं) हम तो उनकी बन्दगी इसी लिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करा दें, निश्चय ही अल्लाह उनके बीच उस बात का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद कर रहे हैं, अल्लाह झूठे तथा अकृतज्ञ का मार्गदर्शन नहीं करता)।

और सिफारिश की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ (वे लोग अल्लाह से हटकर उनको पूजते हैं, जो न उनका कुछ बिगाड़ सकें ओर न उनका कुछ भला कर सकें और कहते हैं, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं)।

और शिफाअत के दो प्रकार हैः जायज़ शिफाअत और नाजायज़ शिफाअत। (२)

(१) कुफ्फार व मुश्रिकीन का तर्क यह था कि हमारा इन माबूदों को पुकारना तथा इनकी ओर ध्यान केंद्रित करना, केवल अल्लाह का सामीप्य तथा सिफारिश प्राप्त करने के लिए है, इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें काफिर समझा और उनसे युद्ध लड़ा।

(२) शिफाअत (सिफारिश) शब्कोष अनुसारः मिलाने तथा दो वस्तुओं को एक करने को कहते हैं।

शरीअत अनुसारः लाभ प्राप्त करने अथवा हानि से बचने के लिए किसी को वास्ता (प्रतिनिधि) बनाना।

शिफाअत (सिफारिश) के भेद

प्रमाणित सिफारिशः जो केवल अल्लाह से माँगी जाएगी, और उसकी निम्नांकित शर्तें हैः
१- सिफारिश के लिए अल्लाह की अनुमति।
२- शिफाअत करने वाले तथा
३- जिसकी शिफाअत की जा रही है दोनों से अल्लाह का प्रसन्न होना।

जिस को पूरा करने में मनुष्य सक्षम हो उसकी चार शर्तें हैः
१- उपस्थित होना।
२- जीवित होना।
३- योग्य (सक्षम) होना।
४- सबब (माध्यम) मानना।

अप्रमाणित सिफारिशः जिसको क़ुरआन ने नाजायज़ कहा है, जैसे कि अल्लाह को छोड़कर किसी और से ऐसी चीजों में सिफारिश चाहना जिसके पूरा करने में केवल अल्लाह ही सक्षम है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए विशेष सिफारिश (का प्रावधान)

- शिफाअत -ए- उज़्मा (सर्वोत्तम सिफारिश)
- अपने चाचा अबू तालिब की यातना में कमी के लिए सिफारिश
- जन्नत का द्वार खुलवाने के लिए सिफारिश

आम (सामान्य) सिफारिश जो सभी नबी, रसूल, फरिश्तों, मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) और शिशुओं के लिए होगी।

- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) के पद में उन्नति के लिए सिफारिश
- मुवह्हिदीन में से जिनलोगों के लिए जहन्नम में जाने का आदेश जारी हो चुका होगा उनके लिए सिफारिश।
- मुवह्हिदीन में से जो लोग जहन्नम में प्रवेश कर चुके होंगे उनको वहाँ से निकालने के लिए सिफारिश।

अप्रमाणित सिफारिशः वह है जिसको क़ुरआन ने नाजायज़ कहा है जैसे कि अल्लाह के सिवा किसी और से ऐसी चीजों में सिफारिश चाहना जिसको पूरा करने में केवल अल्लाह ही सक्षम है, और इसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ (ऐ ईमान वालो, हमने जो कुछ प्रदान किया है उसमें से ख़र्च करो इससे पूर्व कि वह दिन आ जाए जिसमें न कोई क्रय-विक्रय होगा और न कोई मित्रता होगी और न कोई सिफारिश, और काफिर ही ज़ालिम हैं)।

प्रमाणित सिफारिशः जो केवल अल्लाह से ही माँगी जाएगी, सिफारिश करने वाले को सिफारिश की अनुमति देकर सम्मानित किया जाएगा, तथा जिसकी सिफारिश की जाएगीः अनुमति के बाद उनके कथनी तथा करनी से अल्लाह का प्रसन्न होना (आवश्यक है), जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ (कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके?)

तीसरा सिद्धांतः(१) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसे लोगों के बीच भेजे गए थे जो विभिन्न प्रकार से पूजा-पाठ करते थे, उनमें से कुछ फरिश्तों की पूजा करते थे और कुछ नबी व नेक लोगों की, कुछ पत्थरों और पेड़ों की पूजा करते थे तो कुछ सूर्य व चंद्रमा के आगे नतमस्तक होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनलोगों के बीच कोई अंतर नहीं किया और सभी से युद्ध किया, जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾ (उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि उनमें अक़ीदा का बिगाड़ न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए)।

और सूर्य व चंद्रमा की दलील अल्लाह ﷻ का यह फरमान हैः ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ٣٧﴾ (रात और दिन और सूर्य और चन्द्रमा उसकी निशानियों में से है, तुम न तो सूर्य को सज्दा करो और न चन्द्रमा को, बल्कि अल्लाह को सज्दा करो जिसने उन्हें पैदा किया, यदि तुम्हें उसी की बंदगी करनी है तो)।

और फरिश्तों की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۗ﴾ (और ऐसा नहीं हो सकता की वह तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म दे)।

(१) यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से उन लोगों पर रद्द है जो कहते हैं कि केवल मूर्तिपूजन ही शिर्क है, जब्कि शरई दलीलें आम (व्यापक) हैं उस युग में पाई जाने वाली इबादत की सभी किस्मों के लिए, इसी कारण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन सभी को ताग़ूत कहा और बिना किसी अपवाद के सभी से युद्ध लड़ा है, ताकि दीन (धर्म) विशुद्ध रूप से केवल अल्लाह के लिए हो।

और नबी की दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ﴾ (और याद करो जब अल्लाह कहेगा: हे मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के अतिरिक्त दो अन्य पूज्य: मुझे और मेरी माता को बना लो? वह कहेंगे: महिमावान (पाक) है तू, मुझसे यह नहीं हो सकता कि ऐसी बात कहूँ, जिसका मुझे कोई हक़ नहीं है, यदी मैंने ऐसा कहा होता तो तुझे मालूम होता, तू जानता है जो कुछ मेरे मन में है, परंतु मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे मन में है, निश्चय ही तू छिपी बातों को भली-भांति जानने वाला है)।

और नेक लोगों की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ﴾ (जिनको यह लोग पुकारते हैं वे तो स्वयं अपने रब का सामीप्य ढूँढते हैं कि कौन उनमें से सबसे अधिक निकटता प्राप्त कर ले, और वे उसकी दयालुता की आशा रखते हैं और उसकी यातना से डरते हैं)।

और पत्थरों व पेड़ों की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ﴾ (क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा, और तीसरी -एक और- मनात को)।

और अबू वाकिद लैसी -रजियल्लाहु अन्हु- की हदीस है, वह फरमाते हैं कि: हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग हुनैन के लिए निकले, और हमलोग अभी नए-नए मुसलमान हुए थे, और मुश्रिकों के पास बैरी का एक पेड़ था जिसपर वह अपने हथियारों को लटकाते थे जिसको ज़ात -ए- अनवात़ कहा जाता था, तो जब हम उस पेड़ के समीप पहूँचे तो हम में से कुछ लोगों ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, हमारे लिए भी ऐसा ही एक ज़ात -ए- अनवात़ बनवा दें जैसा इनलोगों के लिए है ... हदीस।

चौथा सिद्धांतः हमारे युग के मुश्रिकीन का शिर्क पुराने ज़माने के मुश्रिकीन से अधिक गंभीर है, क्योंकि पूर्व के मुश्रिकीन केवल समृद्धि एवं समपन्नता के समय ही शिर्क किया करते थे, जब्कि आपदा के समय केवल एक अल्लाह को पुकारते थे, जब्कि हमारे युग के मुश्रिकीन समृद्धि एवं आपदा दोनों ही हालतों में सर्वदा शिर्क करते हैं, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾

(जब वे नौका में सवार होते हैं तो वे अल्लाह को, उसके दीन (आज्ञापालन) के लिए निष्ठावान होकर पुकारते हैं, किंतु जब वह उन्हें बचा कर शुष्क भूमी तक ले आता है, तो उसी समय अल्लाह का साझी ठहराने लगते हैं)। (१)

وَ اللهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

(१) लेखक रहिमहुल्लाह ने इस सिद्धांत के द्वारा हमारे युग के मुश्रिकों द्वारा अंजाम दी जा रही शिर्क की भयावहता का चित्रण किया है, कि उनका शिर्क पुराने ज़माने के मुश्रिकीन के शिर्क से भी भयंकर है, क्योंकि पुराने ज़माने के मुश्रिकीन केवल समृद्धि के समय शिर्क करते थे किंतु आपदा के समय केवल अल्लाह को पुकारते थे जब्कि हमारे युग के मुश्रिकीन समृद्धि तथा आपदा दोनों हालतों में शिर्क करते हैं।
अतः वह कुफ्फार जिनके मध्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थे, हमारे युग के मुश्रिकों से कम शिर्क करने वाले थे, इसके बावजूद अल्लाह ने उनको काफिर कहा, तो आपके क्या विचार हैं उन लोगों के विषय में जो शिर्क में उनसे बढे हुए हैं, ये तो अपेक्षाकृत अधिक मुश्रिक कहे जाने के पात्र हैं।

जन्नत केवल अल्लाह ही से माँगी जाएगी क्योंकि वही उसका मालिक है, इसी प्रकार आजीविका भी केवल उसी से माँगी जाएगी क्योंकि वही उसका मालिक है, अतः केवल अल्लाह ही से संबंध रखे न कि ओरों से।	जो तौहीद -ए- रुबूबियत से	नेमतों पर शुक्र अदा करना	नेमत (अनुग्रह) आज़माइश (परिक्षण) का कारण है (और हम अच्छी व बुरी परिस्थितियों में डाल कर तुम सबकी परिक्षा लेते हैं)। ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾	जो (अल्लाह के फ़ज़्ल से) नवाज़े जाने पर शुक्रिया अदा करते हैं।	सौभाग्यवान बनने का शीर्षक	प्रस्तावना जिसमें सौभाग्यवान बनने के गुर बतलाए गए हैं	चार सिद्धांत वास्तव में लेखक की एक दूसरी पुस्तक कश्फ़ अल-शुब्हात का सारांश है
दिल से शुक्र अदा करनाः इस बात का इकरार व स्वीकार करना कि हरेक प्रकार की नेमतें केवल अल्लाह की ओर से हैं न कि किसी और की ओर से।	जो तौहीद -ए- उलूहियत से संबंधित है					
ज़ुबान से शुक्र अदा करना ﴿هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ (यह मेरे रब का उदार अनुग्रह है ताकि वह मेरी परिक्षा करे कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूँ या कृतघ्न बनता हूँ)						
अंग से शुक्र अदा करनाः वह इस प्रकार कि नेमतों (अनुग्रह) को नेमत देने वाले (अनुग्रहकर्ता) का शुक्र अदा करते हुए ख़र्च करना, और प्रत्येक नेमत का शुक्र उसके उचित रूप में किया जाएगा, जैसे धन का शुक्र यह है कि उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाए, वहीं इल्म (ज्ञान) का शुक्र यह है कि प्रश्न करने वाले का हरसंभव उत्तर दिया जाए चाहे शब्दों के द्वारा हो या हाव-भाव के द्वारा।						
नाराज होने वालेः विपत्तियों के समय नाराज़ होना कबीरा गुनाह है, बल्कि कभी-कभी यह शिर्क तक पहूँच जाता है, और नाराज़गी (क्रुद्धता) का इजहार दिल, ज़ुबान और अंगों के द्वारा होता है।	दुःख व परेशानी के समय लोगों के चार हालात होते हैः			जो विपत्तियों पर सब्र करते हैं		
सब्र करने वालेः विपत्ती के समय सब्र के वाजिब होने पर उम्मत की आम सहमति है, और यह भी वाजिब है कि दिल, ज़ुबान और अंगों से सब्र करे, यह बिल्कुल अपने नाम को चरितार्थ करता है कि चखने में तो बड़ा कड़वा है किंतु इसका परिणाम मधु से भी मीठा होता है।						
राजी रहने वालेः विपत्तियों के समय राजी (संतुष्ट)						

रहना मुस्तहब (वांछनीय) है, और अपने रब से पूर्ण रूप से राजी होने का अर्थ है कि व्यक्ति यह विश्वास रखे कि जो भी विपत्तियां आई हैं, वह अल्लाह ही की तरफ से हैं, तथा अल्लाह ने बंदे के भाग्य में वही लिखा है जो उसके लिए बेहतर है।		
शुक्र अदा करने वाले: विपत्तियों पर शुक्र अदा करना सबसे प्रिय व सर्वोत्तम श्रेणी है, और शुक्र अदा करनेवाला अल्लाह के प्रियतम बंदों में से है।		
गुनाह हो जाने पर इस्तिग़फार करते (माफी माँगते) हैं।		
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का धर्म अर्थात हनीफियत यह है कि, अल्लाह तआला ने केवल अपनी इबादत के लिए सृष्टि की रचना की है, इबादत बिना तौहीद के इबादत नहीं कही जा सकती, इबादत में जब शिर्क समावेशित हो जाए तो इबादत को नष्ट कर देती है तथा सारे अमल बर्बाद हो जाते हैं और ऐसा करने वाला सदा के लिए जहन्नमी बन जाता है, अतः इसका ज्ञान अर्जित करना अति आवश्यक है।	हम तौहीद का अध्ययन क्यों करें? तथा शिर्क की संगीनी	
पहला सिद्धांतः आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जिन काफिरों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने युद्ध किया था वे तौहीद -ए- रुबूबीयत का इक़रार करते थे, किंतु तौहीद -ए- उलूहियत का नहीं, और उनका यह अमल उन्हें इस्लाम में प्रवेश नहीं दिला सका।		चार सिद्धांत
दूसरा सिद्धांतः कुफ्फार मूर्तिपूजन केवल अल्लाह का सानिध्य प्राप्त करने तथा उनकी सिफारिश के लिए करते थे।		
तीसरा सिद्धांतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसे लोगों के बीच भेजे गए थे जो विभिन्न प्रकार से पूजा-पाठ करते थे, इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके शिर्क में कोई भेद-भाव नहीं किया।		
चौथा सिद्धांतः हमारे युग के मुश्रिकीन का शिर्क पुराने ज़माने के मुश्रिकीन से अधिक गंभीर है।		

चार सिद्धांत से संबंधित प्रश्न

नामः .....

किताब अल तौहीद कितना कंठस्थ है? .....

क्या आपने चार सिद्धांत कंठस्थ कर लिया है? .....

करने के कार्य	कुरआन व सुन्नत से उसकी दलील
नेमत (अनुग्रह) आज़माइश (परिक्षण) का कारण है	
कुफ्फार तौहीद -ए- रुबूबियत का इकरार करते थे	
सामीप्य की दलील	
अप्रमाणित शिफाअत	
सूर्य तथा चंद्रमा के न पूजने की दलील	
फरिश्तों को न पूजने की दलील	
नबियों को न पूजने की दलील	
नेक लोगों को न पूजने की दलील	
पत्थड़ों तथा पेड़ों को न पूजने की दलील	
(पुराने ज़माने के मुश्रिकीन) समृद्धता में शिर्क करते थे किंतु विपत्ति में विशुद्ध रूप से केवल अल्लाह को पुकारते थे	
शिर्क की दलील	

निम्नलिखित वाक्यों के संबंध में अपना ज्ञान अंकित करेः

तौहीद का अध्ययन करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?	१- ..... २- ..... ३- ..... ४- .... ५- ..... ६- ..... ७- .... ८- ..... ९- .....
हम चार सिद्धांत का अध्ययन क्यों करें?	१- ..... २- ..... ३- ..... ४- .....
चार सिद्धांत के भेद हैः	१- ..... २- ..... ३- .....
चार सिद्धांत किस पुस्तक का सारांश है	
कश्फ अल-शुबुहात का अध्ययन हम क्यों नहीं करें?	
सौभाग्यवान बनने का शीर्षक	१- ..... २- ..... ३- .....
हनीफियत का अर्थ है	
चार सिद्धांत के अध्ययन का लाभ	
अल्लाह के वली	शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया फरमाते हैः
उसकी दलील	क्योंकिः
नेमत का शुक्र किस प्रकार अदा किया जाता है, उदाहरण के साथ लिखें	१-
	२-
	३-
नेमत मिलने से पूर्व अल्लाह से ताल्लुक़ (संबंध) रखना	
विपत्ति के समय लोगों के हालात उसके हुक्म के साथ लिखें	१- ..... उसका हुक्म ..... और इसके द्वारा होगा ..... व ..... व .....
	१- ..... उसका हुक्म ..... और इसके द्वारा होगा ..... व ..... व .....

शिफाअत (सिफारिश)	शब्दकोष अनुसारः
	शरीअत अनुसारः
सिफारिश के प्रकार	
प्रमाणित सिफारिश की शर्तें	

प्रमाणित सिफारिश के प्रकारः १- ..... २- .....

..... ३- .....

प्रमाणित सिफारिश की शर्तेः

१- और इसके उप-प्रकार ये हैः और और

२- और इसके उप-प्रकार ये हैः और और

पहला सिद्धांत	
दूसरा सिद्धांत	
तीसरा सिद्धांत	
चौथा सिद्धांत	
ऐसा अमल (कर्म) जिसमें शिर्क समावेशित हो चुका हो, उसका हुक्म	

चार सिद्धांत की विषय सूची

१	प्रस्तावना (सौभाग्यवान बनने का शिर्षक)	६३-६६
२	पहला सिद्धांत	६७
३	दूसरा सिद्धांत	६८-६९
४	तीसरा सिद्धांत	७०-७१
५	चौथा सिद्धांत	७२
६	परिशिष्ट (पुस्तिका की संक्षिप्त व्याख्या तालिका के रूप में)	७३-७४
७	चार सिद्धांत से संबंधित प्रश्न	७५-७७
८	विषय सूची	७८

شرح متن

نواقض الإسلام

इस्लाम से निष्कासित (खारिज) करने वाली बातों की व्याख्या

लेखकः

मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब बिन सुलैमान तमीमी

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

व्याख्याताः

शैख़ हैस़म बिन मुहम्मद जमील सरहान

[पूर्व शिक्षक अल-ह़रम शिक्षण संस्थान, मस्जिद -ए- नबवी]

महाप्रबंधक अल-तासील अल-इल्मी वेबसाईट

http://attasseel-alelmi.com

المشرف على موقع التَّأصيل العلميّ

http://attasseel-alelmi.com

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

الطَّبعة الأولى

جميع الحقوق محفوظةٌ

إلَّا من أراد طبعه أو ترجمته لتوزيعه مجَّانًا بعد مراجعة المؤلِّف

الرَّجاء التَّواصل على:

islamtorrent@gmail.com

इस्लाम से निष्कासित (खारिज) करने वाली बातें

शैख़ुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब रहिमहुल्लाह फरमाते हैः

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

आपको ज्ञात हो कि इस्लामी सीमा से निष्कासित करने वाली बातें दस हैः

पहलाः अल्लाह की इबादत में किसी को साझी ठहराना, जैसाकि अल्लाह का फरमान हैः (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ)(निस्संदेह अल्लाह अपने संग साझी ठहराए जाने को कभी माफ नहीं करेगा, किंतु उससे नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा)। और दुसरे स्थान पर फरमायाः (إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) : (जो कोई अल्लाह का साझी ठहराएगा, उसपर अल्लाह तआला ने जन्नत ह़राम करदी है, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं)। अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए जब्ह करना, जैसे वह लोग जो (जिन्नातों) दानवों या क़ब्र वालों के लिए बली चढाते हैं, यह भी शिर्क -ए- अकबर है।

दूसराः जो अपने और अल्लाह के बीच किसी और को वास्ता और माध्यम बनाए, उनको पुकारे, उससे सिफारीश की प्रार्थना करे और उन पर भरोसा करे, तो वह सर्वसहमती के साथ काफिर है।

तीसराः जो मुश्रिकों को काफिर न समझे अथवा उनके कुफ्र में संदेह करे, या उनके धर्म को सही कहे तो वह भी काफिर है।

चौथाः जो यह विश्वास रखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े से किसी अन्य का तरीका अधिक परिपूर्ण, या किसी और का फैसला आपके फैसले से बेहतर है - जैसे वह लोग जो शैतानी नियमों और व्यवस्थाओं को आप की शरीअत पर प्रधानता देते हैं- तो वह भी काफिर है।

पाँचवाः जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत से घृणा करे तो वह काफिर है, चाहे वह उस पर कार्यरत ही क्यों न हो। (प्रत्यक्ष रूप से उस पर अमल ही क्यों न कर रहा हो)।

छठा: जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरे दीन अथवा अल्लाह के सवाब (पुण्य) या अज़ाब (दण्ड) का उपहास उड़ाए, वह काफिर है जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (हे नबी, आप कह दीजिए कि क्या अल्लाह, उसकी आयतें और उसके रसूल ही हँसी-मज़ाक़ के लिए रह गए हैं, बहाने न बनाओ, तुम अपने ईमान के पश्चात काफिर हो गए)।

सातवा: जादू करना, चाहे दिलों को फेरना (घृणा पैदा करके) हो या मिलान (प्रेम-भाव) पैदा करना, जो ऐसा करे या ऐसा करने वाले से सहमत हो तो वह काफिर है, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ)(वह दोनों किसी व्यक्ति को उस समय तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह दें कि हम तो एक परीक्षा हैं, तू कुफ्र न कर)।

आठवा: मुसलमानों के विरुद्ध मुश्रिकों का समर्थन और उनकी सहायता करना, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(तुम में से जो भी उन में से किसी से मित्रता करे वह निःसंदेह उन्हीं में से है, अत्याचार करने वालों को अल्लाह तआला कदापि मार्गदर्शन नहीं करता)।

नौवा: जो यह अक़ीदा (आस्था) रखे कि कुछ लोगों के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीअत की पाबंदी अनिवार्य नहीं है, जैसाकि ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत का पाबंद रहना ज़रूरी नहीं था, तो वह काफिर है।

दसवा: अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करना, कि न उसे सीखे और न उसपर अमल करे, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ)(उससे बड़ा अत्याचारी कौन है जिसे अल्लाह की आयतों से उपदेश दिया गया, फिर भी उसने मुख फेर लिया, निश्चय ही हम भी पापियों से प्रतिशोध लेने वाले हैं)।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली उपर्युक्त बातों का करने वाला चाहे इसे मज़ाक़ में करे, या गम्भीर होकर या डर कर, उसे इस्लाम से निष्कासित माना जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति के जिसको ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया हो। और ये समस्त अति भयंकर और बहुधा घटित होने वाले हैं, अतः मुसलमान को चाहिए कि इससे सावधान रहे और इसमें पड़ जाने से डरता रहे। हम अल्लाह तआला से उसके क्रोध के कारणों और उसकी कष्टदायक यातना से पनाह माँगते हैं। وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

व्याख्या

प्रस्तावना

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

आपको ज्ञात हो कि इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातें दस हैः

उलेमा अपनी पुस्तकों का प्रारंभ बिस्मिल्लाह से क्यों करते हैं?

- क़ुरआन और नबियों व रसूलों -अलेहिमुस्सलाम- की पैरवी करते हुए।
- उस हदीस का अनुसरण करते हुए जिसमें कहा गया है किः "कोई भी महत्वपूर्ण कार्य यदि अल्लाह का नाम लिए बिना प्रारंभ किया जाए तो वह अधूरा है"। गरचे यह हदीस ज़ईफ है।
- नेक पूर्वज उलेमा का अनुसरण करते हुए।
- अल्लाह के आदरणीय नाम से बरकत (हासिल करना) व भलाई हासिल करने की उम्मीद रखते हुए।

जब क़ुरआन व ह़दीस में अंक का उल्लेख हो तोः

- यदि हम क़ुरआन व ह़दीस में उस अंक के ऊपर कुछ और अंकों की वृद्धि पाते हैं तो इसका अर्थ है कि वही अंक अपेक्षित नहीं है, बल्कि उस उल्लेखित अंक के ऊपर वृद्धि की जा सकती है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमानः «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ...» (पाँच चीजें फ़ितरत (नैसर्गिकता) में से हैं), तथा यह फरमानः «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ...» (सात विनाशकारी गुनाहों से बचो)।
- जब हम क़ुरआन व ह़दीस में इस अंक के ऊपर किसी और अंक की वृद्धि न पाएं, तो इसका अर्थ है कि वही अंक अपेक्षित है यानी उस अंक पर कुछ भी ज़्यादा नहीं किया जाएगा, जैसे ह़दीस -ए- जिब्रील में वर्णित इस्लाम व ईमान के स्तंभ।

कभी-कभी अंक का उल्लेख क्यों किया जाता है जब्कि वह अपेक्षित नहीं होता है?

यह श्रोता के मन-मस्तिष्क में सभा में उल्लेखित बातों को अच्छे ढंग से बैठाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा अपनाया गया शिक्षा की एक पद्धति है, ताकि मुद्दतों तक वह उन मसलों को याद रख सकें, जैसे नबी ﷺ का फरमानः (तीन चीजों को मैं क़सम खाकर बयान करता हूँ, अतः तुम उन्हें याद -स्मरण- कर लोः सदका -दान- करने से किसी का धन घटता नहीं है), और लेखक महोदय ने यही ढंग अपनाया है।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों का जानना क्यों आवश्यक है?

ताकि हम उसमें न पड़कर उससे बच सकें, अतः इसके जानने का बड़ा लाभ है, बल्कि इसका जानना अत्यंत लाभकारी है, जिस प्रकार हम वुज़ू तथा नमाज़ ख़राब करने वाली चीजों का ज्ञान अर्जित करते हैं ताकि हमारे वुज़ू तथा नमाज़ बर्बाद न हों, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं किः (लोग रसूलुल्लाह ﷺ से भलाई के बारे में पूछते थे और मैं बुराई के बारे में पूछता था कि कहीं उसमें पड़ न जाऊं)।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातें क्या हैं?

ये इस्लाम के विरुद्ध कार्य हैं जिसके करने से व्यक्ति इस्लाम की सीमा से निकल कर बड़े शिर्क में प्रवेश कर जाता है, और इस्लाम का अर्थ हैः अल्लाह को अकेला मानते हुए उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसकी आज्ञाकारी करते हुए आत्मसमर्पण कर देना तथा शिर्क एवं मुश्रिकीन से संबंध विच्छेद कर लेना।

इसका मतलब यह है किः जिसके करने से व्यक्ति इस्लाम की सीमा से निकल कर बड़े शिर्क में प्रवेश कर जाता है, अल्लाह हमें इससे बचाए रखे।

उलेमा इसे कभी नवाक़िज़ तो कभी मुफ्सिदात तो कभी मुबत़िलात -ए- इस्लाम क्यों लिखते हैं?

यह केवल भावाभिव्यक्ति के अलग-अलग रूप हैं ताकि छात्र एक ही प्रकार की वाक्यशैली से उकता न जाएं वरना अर्थ एक ही है, अतः कभी नवाक़िज़ ए- इस्लाम व वुज़ू और कभी मुबत़िलात -ए- नमाज़ तो कभी मुफ्सिदात -ए- रोज़ा से अभिव्यक्त किया जाता है।

क्या इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों पर सभी उलेमा सहमत हैं?

हाँ।

क्या इनकी संख्या इतनी ही है?

नहीं।

तो फिर यहाँ, दस ही का उल्लेख क्यों है?

क्योंकि यह सर्वाधिक गंभीर (संगीन) हैं, तथा इन्हें याद करना अत्यंत सरल है।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों का संक्षिप्त विवरण

बोलने से संबंधित
जैसे अल्लाह या उसके रसूल या इस्लाम धर्म को गाली देना

करने से संबंधित
जैसे जादू करना

आस्था रखने से संबंधित
जैसे अल्लाह के सिवा किसी और से लाभ या हानि की आशा रखना

कुफ्र में संदेह
उन यहूदी तथा ईसाई के कुफ्र में संदेह करना जिन्हें नबी ﷺ की दावत पहूँची हो और वे ईमान न लाए हों

क्या नबी ﷺ ने इन दस बातों का उल्लेख किया है? इसकी क्या दलील है?

हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन सभी का उल्लेख किया है, बल्कि इनमें से हरेक पर क़ुरआन व हदीस से प्रमाण मौजूद है, जैसे अल्लाह का फरमानः (وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ) (इसी प्रकार हम अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान करते हैं, और ताकि अपराधियों का मार्ग स्पष्ट हो जाए)।

जिसने इन बातों को कर लिया तो क्या कोई भी उसे काफिर कह सकता है?

कतई नहीं, बल्कि किसी को व्यक्तिगत रूप से काफिर कहने के लिए उलेमा तथा शरई अदालतों से संपर्क करना अति आवश्यक है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः (जिस किसी ने भी अपने भाई को काफिर कहा तो दोनों में से किसी एक तरफ कुफ्र लौट जाता है)।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों के विषय में किसी ने लिखा है?

जिसने भी फिक़्ह से संबंधित किताब लिखी है, उन्होंने "मुर्तद्द का हुक्म" नामक अध्याय में इसका उल्लेख किया है, लेकिन लेखक -रहिमहुल्लाह- ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विषय पर स्थायी रुप से एक पुस्तिका लिखी है।

क्या निष्कासित करनेवाली इन बातों में क्रिया तथा कारक के मध्य अंतर किया जाएगा?

हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि कुफ्रिया कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कुफ्र का फतवा नहीं लगता, बल्कि व्यक्तिगत रूप से किसी को काफिर कहने के पूर्व हुज्जत क़ायम करना तथा संदेहास्पद स्थिति का न होना अति आवश्यक है, और लेखक رحمه الله का आशय किसी को व्यक्तिगत रूप से काफिर कहना नहीं है, बल्कि मूल उद्देश्य इन बातों से भयभीत तथा सावधान करना है जो उम्मत के प्रति उनके हितचिंतक होने को दर्शाता है।

इन बातों को जानने वाले का कर्तव्य क्या है?

आवश्यक है कि स्वयं भी डरे और इसमें पड़ने से बचे तथा दूसरों को भी डराए, किंतु व्यक्तिगत रूप से किसी पर हुक्म लगाने के पूर्व उलेमा तथा शरई अदालतों से संपर्क करना अति आवश्यक है।

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾﴾

तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आ चुके हैं, जिनके ऊपर तुम्हें हानि पहूँचाने वाली चीजें बड़ी भारी गुजरती हैं, जो तुम्हारे (लाभ के) लिए लालयित (इच्छुक) रहते हैं, वह मोमिनों के प्रति अत्यंत करूणामय (उदार) तथा दयावान हैं। अब यदि वे मुँह मोड़ें तो कह दीजिए, मेरे लिए अल्लाह काफी है, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य-प्रभु नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही बड़े सिंहासन का प्रभु है।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली पहली बात

अल्लाह की ईबादत में किसी को साझी ठहराना, जैसाकि अल्लाह का फरमान है: (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ) (निस्संदेह अल्लाह अपने संग साझी ठहराए जाने को कभी माफ नहीं करेगा, किंतु उससे नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा)। और दूसरे स्थान पर फरमाया: (إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ) (जो कोई अल्लाह का साझी ठहराएगा, उसपर अल्लाह तआला ने जन्नत ह़राम करदी है, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं)। अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए जब्ह करना, जैसे वह लोग जो जिन्नातों (दानवों) या क़ब्र वालों के लिए बली चढाते हैं, यह भी शिर्क -ए- अकबर है।

शिर्क –ए- अकबर के भेद

बड़ा

लेखक का उद्देश्य यही (आश्य इसी से) है। जिसका मतलब है कि: ये आस्था रखना कि अल्लाह के सिवा किसी और को भी ब्रह्मांड में हेर-फेर का या उसको लाभ-हानि का अधिकार है।

- इस्लामिक सीमा से बाहर कर देता है।
- सारे आमाल को बर्बाद कर देता है।
- जान व माल को ह़लाल कर देता, बशर्ते कि उसका कार्यान्वयन मुस्लिम शासक की ओर से हो।
- सर्वदा जहन्नम में रहने का कारण है।
- इसको शरीअत में शिर्क -ए- अकबर कहा गया हो।
- शरई नुसूस (वैध ग्रंथ) में उल्लेखित शिर्क तथा कुफ्र शब्द पर अल (أل) हो।

छोटा:

जिसका मतलब है कि: ऐसी चीज को माध्यम बनाए जिसको अल्लाह ने माध्यम नहीं बनाया है, और इसी तरह वह हरेक चीज जो शिर्क -ए- अकबर तक पहूँचने का आधार बने, शिर्क -ए- अस़ग़र है।

- इस्लामिक सीमा से बाहर नहीं करता है।
- सारे आमाल को बर्बाद नहीं करता है।
- जान व माल को ह़लाल नहीं करता है।
- सर्वदा जहन्नम में रहने का कारण नहीं बनता है।
- इसको शरीअत में शिर्क -ए- अस़ग़र कहा गया हो।
- शरई नुसूस (वैध ग्रंथ) में उल्लेखित शिर्क तथा कुफ्र शब्द पर अल (أل) दाखिल न हो।

क्या शिर्क -ए- अकबर माफ हो जाता है?

यदि कोई व्यक्ति शिर्क -ए- अकबर करते हुए मर जाए तो उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ) (निस्संदेह अल्लाह अपने संग साझी ठहराए जाने को कभी माफ नहीं करेगा), किंतु मरने से पहले यदि इससे तौबा करले तो माफ कर दिया जाएगा, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ) (कह दो, कि ऐ मेरे बन्दो, जिन्होंने अपने आप पर ज़्यादती की है, अल्लाह की दयालुता से निराश न हों, निःसंदेह अल्लाह सारे ही गुनाहों को क्षमा कर देता है, निश्चय ही वह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है) और तौबा केवल उसी समय तक क़बूल होगी जबतक सूर्य पश्चिम से उदय न हो जिसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह परमान है: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (हिजरत उस समय तक समाप्त नहीं होगी जबतक तौबा का द्वार बंद नहीं होता, और तौबा का द्वार उस समय तक बंद नहीं हो सकता जबतक सूर्य पश्चिम से उदय न हो)। या मरणासन्न (मृत्युशैया पर) न होना, जैसाकि अल्लाह का यह फरमान है: (وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ) (ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तो कहने लगता है, अब मैं तौबा करता हूँ)।

मुहर्रमात (निषिद्ध की हुई वस्तु) के प्रकार

शिर्क -ए- अकबर
यह हराम कार्यों में सबसे बड़ा गुनाह है।

शिर्क -ए- अस़ग़र
यह शिर्क -ए- अकबर से छोटा तथा गुनाह -ए- कबीरा से बड़ा है।

गुनाह -ए- कबीरा
हरेक गुनाह जिसके करने पर विशेष दंड का प्रावधान हो, जैसे उसके करने वाले पर लानत भेजी गई हो, या उससे अलगाव की बात कही गई हो, या उसे काफरों व मुश्रिकों में गिना गया हो, या ऐसा कहा गया हो कि वह मुस्लिमों में से नहीं, या उसे घृणित पशु के समान कहा गया हो।

गुनाह -ए- स़ग़ीरा
हरेक गुनाह जिसको अल्लाह व उसके रसूल ने हराम किया हो किंतु उसपर किसी विशेष दण्ड का प्रावधान न हो।

संख्याः
इसकी कोई निश्चित संख्या तो नहीं है किंतु इसका आकलन उपर्युक्त नियम के अनुसार करेंगे।

गुनाह –ए- कबीरा के दोषी का हुक्म
- वह मोमिन है किंतु गुनाहे कबीरा करने के कारण कम ईमान वाला है, या वह अपने ईमान के कारण मोमिन है और गुनाहे कबीरा करने के कारण फ़ासिक़ है।
- ईमान के अनुपात में उससे प्रेम रखा जाएगा तथा गुनाहे कबीरा के अनुपात में उससे घृणा की जाएगी।
- गुनाहे कबीरा के समय उससे संबंध रखना उचित नहीं है।

श्रेणीः
इसकी विभिन्न श्रेणियां हैं, जैसाकि नबी ﷺ ने फरमायाः «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ...». गुनाह -ए- कबीरा में भी सबसे बड़े गुनाह)।

हुक्मः
गुनाह -ए- कबीरा के दोषी के लिए तौबा करना अनिवार्य है जैसाकि नबी ﷺ का फरमान हैः «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا...» (मातम करने वाली यदि अपने मृत्यु से पहले तौबा न करले), और दूसरी हदीस में हैः «... إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ...» (जब गुनाह -ए- कबीरा (बड़े गुनाहों) से बचें)।

ज़ब्ह़ के प्रकारः

अल्लाह के लिए ज़ब्ह़ करनाः
जैसे हज्ज, ईद अल-अज़्हा तथा अन्य सदक़ा व ख़ैरात के लिए ज़ब्ह़ करना।

ग़ैरुल्लाह के लिए सप्रेम तथा उसके महानता का भाव रखते हुए ज़ब्ह़ करना
(और यही लेखक -रहिमहुल्लाह- का आशय है)
जैसे जिन्नात तथा क़ब्र वालों के लिए ज़ब्ह़ करना, यह शिर्क -ए- अकबर है।

ऐसा ज़ब्ह़ जो जायज़ होः
अर्थात जो स्वयं के खाने, या अतिथि सत्कार अथवा व्यवसाय के लिए हो।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली दूसरी बात

जो अपने और अल्लाह के बीच किसी और को वास्ता और माध्यम बनाए, उनको पुकारे, उससे सिफारीश की प्रार्थना करे और उन पर भरोसा करे, तो वह सर्वसहमती के साथ काफिर है।

शिफाअत (सिफारिश) के भेद

जिसके करने पर केवल अल्लाह ही सक्षम हो

प्रमाणित सिफारिशः

जो केवल अल्लाह से माँगी जाएगी, और उसकी ये शर्तें हैः

१- सिफारिश के लिए अल्लाह की अनुमति।

२- शिफाअत करने वाले तथा

३- जिसकी शिफाअत की जा रही है दोनों से अल्लाह का प्रसन्न होना।

अप्रमाणित सिफारिशः

(लेखक का अभिप्राय यही है)

जिसको कुरआन ने नाजायज़ कहा है जैसे कि अल्लाह को छोड़कर किसी और से ऐसी चीजों में सिफारिश चाहना जिसके पूरा करने में केवल अल्लाह ही सक्षम है।

यह बड़ा शिर्क है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए विशेष सिफारिश (का प्रावधान)

१- सर्वोत्तम सिफारिश

२- अपने चाचा अबू तालिब की यातना में कमी के लिए सिफारिश।

३- जन्नत का द्वार खुलवाने के लिए सिफारिश।

आम सिफारिश जो अन्य नबी, रसूल, फरिश्तों, मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) और शिशुओं के लिए होगी।

१- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) के पद में उन्नति के लिए सिफारिश।

२- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) में से जिनलोगों के लिए जहन्नम में जाने का आदेश जारी हो चुका उनके लिए सिफारिश।

३- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) में से जो लोग जहन्नम में प्रवेश कर चुके होंगे उनको वहाँ से निकालने के लिए सिफारिश।

जिस को पूरा करने में मनुष्य सक्षम हो

इसकी चार शर्तें हैः

१- उपस्थित होना।

२- जीवित होना।

३- योग्य (सक्षम) होना।

४- सबब (माध्यम) मानना।

क्या किसी व्यक्ति का अपने मुस्लिम भाई से (मेरे लिए दुआ कर दीजिये) कहना सही है?

यदि ऐसा हीनता के भाव से परिपूर्ण होकर आवश्यकता पूर्ति के लिए कहा गया हो तो शिर्क -ए- अस़ग़र है, किंतु केवल दुआ की नीयत (इरादा) से कहा गया हो तो सही है, और किसी जीवित, उपस्थित तथा सक्षम व्यक्ति से उसको माध्यम मानकर दुआ के लिए कहना सही तो है लेकिन ऐसा न करना श्रेष्ठतर है।

तवक्कुलः

अल्लाह पर भरोसा करते हुए और जायज़ माध्यम अपनाते हुए उसी पर दृढ़ विश्वास रखना।

शिर्क -ए- अकबर है

यदि ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम दिया जाए

(और यही लेखक का अभिप्राय है)

इबादत करते हुए और श्रद्धा-भाव के साथ भरोसा रखना।

यानी जिसपर भरोसा किया जा रहा हो पूरे तौर पर उसी पर दृढ़ विश्वास रखना, यह आस्था रखते हुए कि उसी के हाथ में लाभ-हानि है, जैसे मुर्दों पर भरोसा करना।

शिर्क -ए- अस़ग़र है

यदि आवश्यकता पूर्ति का भाव रखते हुए किसी जीवित पर भरोसा किया जाए, जैसे आजीविका की आशा में किसी में जीवित पर सबब (माध्यम) से भी ऊपर मान कर भरोसा करना।

जायज़ हैः

हीनता के भाव से ऊपर उठकर किसी को सुपुर्द किए गए कार्य में उसपर भरोसा करना, जैसे किसी व्यक्ति को क्रय-विक्रय में अपना वकील (प्रतिनिधि) बनाना।

क्या ये कहना किः (मैंने अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) या (मैंने अल्लाह पर फिर अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) सही है? या फिर क्या सही है?

ऐसा कहना किः (मैंने अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) या (मैंने अल्लाह पर फिर अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) सही नहीं है, क्योंकि यह हार्दिक कार्य है जिसे अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि ऐसे कहेः (मैंने अमूक व्यक्ति को अपना वकील बनाया, अर्थात अपना मामला उसके हवाले कर दिया) याद रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ सहाबी को अपने आम और निजी मामलों का वकील बनाया है।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली तीसरी बात

जो मुश्रिकों को काफिर न समझे अथवा उनके कुफ्र में संदेह करे,या उनके धर्म को सही कहे तो वह भी काफिर है।

इस्लाम में मुश्रिकों का हुक्मः

हरेक मुश्रिक जिसको नबी ﷺ की दावत पहूँची और वह उसपर ईमान न लाया हो तो वह काफिर है, क्योंकि अल्लाह का फरमान हैः ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾ (जो इस्लाम के अतिरिक्त कोई और दीन (धर्म) तलब करेगा तो उसकी ओर से कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और आख़िरत में वह घाटा उठाने वालों में से होगा)।

क्या अहल -ए- किताब (यहूदी व ईसाई) को मुश्रिक माना जाएगा?

हां, वह अहले किताब जो नबी ﷺ पर ईमान नहीं लाए वह मुश्रिक माने जाएंगे, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴾ (वे किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न अंतिम दिन पर और न अल्लाह और उसके रसूल के ह़राम ठहराए हुए को ह़राम ठहराते हैं और न सत्यधर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो, यहाँ तक कि वे सत्ता से विलग होकर और छोटे (अधीनस्थ) बनकर जिज़्या देने लगें)। और नबी ﷺ का फरमान हैः (उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे बारे में किसी यहूदी या ईसाई को ख़बर पहूँचे फिर भी मेरी रिसालत पर ईमान लाए बिना मर जाए तो वह जहन्नमी है)।

तो क्या इसका यह मतलब है कि हम उनके साथ वादा ख़िलाफी करें?

किसी के साथ किए गए वादा को पूरा करना ज़रूरी है ताकि हम अल्लाह के मुहब्बत के हकदार बन सकें, अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾(जब तक वह तुमसे वादा निभाएं तुम भी उनसे वफादारी करो, निश्चय ही परहेज़गार लोग अल्लाह को प्रिय हैं)। मुश्रिकों (बहुदेववादियों) के संग मामला रखने में लोगों के तीन प्रकार हैः

एक तो वह जो उनके त्योहारों, उनकी बैठकों तथा धार्मिक धारणाओं में सम्मिलि होते हैं।

दूसरे वो लोग जो क़त्ल, लूट-मार, धोखा और मारपीट के द्वारा अत्याचार करते हैं।

इनमें सबसे बेहतर बीच वालें हैं जो अहले -ए- सुन्नत व अल-जमात का तरीका है, कि हम उनके त्योहारों, उनकी बैठकों तथा धार्मिक धारणाओं में शिरकत नहीं करेंगे, किंतु उनसे किए हुए वादा को पूरा करेंगे, और अत्याचार न करके उनके साथ लेन-देन करेंगे तथा उनको तौहीद की दावत देंगे।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली चौथी बात

जो यह विश्वास रखे कि नबी ﷺ के तरीक़े से किसी अन्य का तरीका अधिक परिपूर्ण, या किसी और का फैसला आपके फैसले से बेहतर है –जैसे वह लोग जो शैतानी नियमों और व्यवस्थाओं को आप की शरीअत पर प्रधानता देते हैं- तो वह भी काफिर है।

अल्लाह की उतारी हुई शरीअत के विरुद्ध फैसला करने के प्रकारः

शैतानी नियमों और सांसारिक व्यवस्थाओं को अल्लाह के हुक्म पर प्रधानता दे, यह आस्था रखते हुए कि अल्लाह तआला का हुक्म अनुचित है, तो ऐसा अक़ीदा रखने वाला काफिर और इस्लामी सीमा से बाहर है, जैसाकि अल्लाह का फरमान हैः ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ (उन्होंने अल्लाह से हटकर अपने धर्मज्ञाताओं और संसार-त्यागी संतों को अपना रब बना लिया है)।

यह अक़ीदा रखे कि अल्लाह के हुक्म का पालन अनिवार्य है और वही संसार तथा उसमें बसने वाले जीवों के लिए अधिक उप्युक्त है, किंतु ताग़ूती (शैतानी) व्यवस्थाओं को सांसारिक लाभ के मोह या पद इत्यादि की लालसा में प्राथमिकता दे तो यह (बड़े) कुफ्र के अतिरिक्त कुफ्र है, अर्थात कुफ्र -ए- अस़ग़र और फिस्क़ है, और ऐसे फैसले के द्वारा यदि किसी मुसलमान का अधिकार छीन (हक हथिया) ले तो वह अत्याचारी है और संभव है कि वह कुफ्र -ए- अकबर में प्रवेश कर जाए और इस्लामी सीमा से बाहर निकल जाए।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली पाँचवी बात

जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत से घृणा करे तो वह काफिर है,चाहे वह उस पर कार्यरत ही क्यों न हो अर्थात प्रत्यक्ष रूप से उस पर अमल ही क्यों न कर रहा हो।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली इस बात की दलीलेः

अल्लाह तआला का यह फरमानः (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) (यह इसलिए कि उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने अवतरित किया, तो अल्लाह ने उनके कर्म अकारथ कर दिए)।

और यह फरमानः (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (तो तुम्हें तेरे रब की क़सम, वो ईमानवोले नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के झगड़ों में ये आपसे फैसला न कराएँ, फिर जो फैसला आप कर दें, उसपर ये अपने दिलों में कोई तंगी न पाएँ और पूरी तरह मान लें)।

और यह फरमानः (فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) (सो जिसे अल्लाह सीधे मार्ग पर लाना चाहता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में पड़ा रहने देना चाहता है, उसके सीने को तंग और भिंचा हुआ कर देता है, मानो वह आकाश में चढ़ रहा है, इस तरह अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है, जो ईमान नहीं लाते)।

अल्लाह ही के लिए प्रेम रखना तथा घृणा करनाः

अल्लाह ही के लिए प्रेम रखना तथा घृणा करना, दीन के वाजिबात में से है, बल्कि यह ईमान की मज़बूत रस्सियों में से है।

अल्लाह के लिए किन चीजों से प्रेम रखना वाजिब है?

अमल से:
जिससे अल्लाह प्रसन्न होता है, और वह प्रत्येक वह चीज है जिसको अल्लाह ने शरीअत के तौर पर उतारा है।

अमल करने वालों से:
जैसे नबी, रसूल, फरिश्ते, सहाबी और मुवह्हिद (एकेश्वरवादी)।

समय से:
जिन्हें अल्लाह पसन्द करता है, जैसे शबे क़द्र और रात का तीसरा पहर।

स्थान से:
जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, जैसे मक्का व मदीना।

अल्लाह के लिए किन चीजों से घृणा करना वाजिब है?

अमल से:
जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, और वह प्रत्येक वह चीज है जिसको करने से अल्लाह ने रोका है जैसे शिर्क।

अमल करने वालों से:
जैसे मुश्रिकीन, मुनाफीक़ीन और शैतान।

समय से:
जिन्हें अल्लाह नापसन्द करता है, जैसे प्रत्येक वह समय जिसमें अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा की जाती है, जैसे सूर्य पूजन का समय।

स्थान से:
जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है, जैसे शिर्क किए जाने वाले स्थान।

क्या महिला का एक से अधिक विवाह (बहुविवाह) को नापसंद करना कुफ्र है?
सच्चाई यह है कि महिला शरई हुक्म का इंकार नहीं करती है, लेकिन अपने पति के लिए एक से अधिक विवाह करने को नापसंद करती है, अतः इसपर उसकी निंदा नहीं की जाएगी।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली छठी बात

जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरे दीन अथवा अल्लाह के सवाब (पुण्य) या अज़ाब (दण्ड) का उपहास उड़ाए, वह काफिर है जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ) (हे नबी, आप कह दीजिए कि क्या अल्लाह, उसकी आयतें और उसके रसूल ही हँसी-मज़ाक़ के लिए रह गए हैं, बहाने न बनाओ, तम अपने ईमान के पश्चात काफिर हो गए)।

इस्तिहज़ा करने (उपहास उड़ाने) वाला

इसका अर्थ व हुक्मः

इस्तिहज़ा अर्थात मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने वाला और गाली देने वाला काफिर और इस्लामी सीमा से खारिज तथा सदा के लिए जहन्नमी है, अल्लाह हमें इस से बचाए।

किंतु वह जो गालियां सुन रहा हो तो उस पर वाजिब है कि उसका इंकार करे या मज्लिस से निकल जाए, अन्यथा बिना इंकार किए सुनने, देखने और बयान करने वाले सब काफिर हैं, जैसाकी अल्लाह का फरमान है: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ) वह "किताब" में तुमपर यह हुक्म उतार चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इंकार किया जा रहा है और उसका उपहास किया जा रहा है, तो जब तक वे किसी दूसरी बात में न लग जाएँ, उनके साथ न बैठो, अन्यथा तुम भी उन्हीं के जैसे होगे।

तौबा क़बूल होने की शर्तेः

- अल्लाह की ऐसी प्रशंसा करे जो उसके लायक हो।
- उपहास के तौर पर कही गई बात से अपने आपको अलग करे।
- तौबा का प्रभाव तथा उसकी सच्चाई उसके हाव-भाव से प्रतीत हो व दिखाई दे।

लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली देने वाले व्यक्ति को अपने समय का हुक्मरां (शासक) क़त्ल करेगा, और यदि वह अपने तौबा में सच्चा है तो अल्लाह उसके तौबा को कबूल करेगा।

क्या ऐसी बात-चीत जिसमें गाली का संदेह हो, कुफ्र है?

उसको उपदेश दिया जाएगा, यदि तौबा करले तो ठीक है अन्यथा उसका मामला उलेमा तथा शरई अदालतों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली सातवीं बात

जादू करना, चाहे दिलों को फेरना (घृणा पैदा करके) हो या मिलान (प्रेम-भाव) पैदा करना, जो ऐसा करे या ऐसा करने वाले से सहमत हो तो वह काफिर है, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) (वह दोनों किसी व्यक्ति को उस समय तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह दें कि हम तो एक परीक्षा हैं, तू कुफ्र न कर)।

जादू करना

उसका हुक्मः

जादू करना कुफ्र -ए-अकबर है, जैसाकि अल्लाह का फरमान है: (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) (वह दोनों किसी व्यक्ति को उस समय तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह दें कि हम तो एक परीक्षा हैं, तू कुफ्र न कर)।

जादूगर की निशानियां एवं लक्षण

- शरई झाड़-फूँक के शर्तों का विरोध करना। अधूरे शब्द तथा निरर्थ वाक्य लिखना।
- सितारों की चाल (राशिफल बतलाना), हाथ की रेखाएं और प्याली पढकर किस्मत का हाल बताना।
- गिरह लगाकर उसमें फूँकना। दिलों को फेरने या जोड़ने के लिए अमल करना।
- रोगी को शरीअत के विरुद्ध के कार्य करने की आज्ञा देना, जैसे हराम कार्य करने, या नमाज़ छोड़ने अथवा बिना बिस्मिल्लाह किए जानवर ज़ब्ह करने के लिए कहना।
- माँ का नाम पता करना।
- ग़ैब जानने का दावा करना।

जादूगर के पास जाना और उसका हुक्मः

जादूगर के पास जाने का अर्थ है कि उसके पास बैठे या किसी और को उसके पास भेजे या उससे पत्राचार करे, या ऐसे चैनल, वेबसाइट देखे और पत्रिका पढे, जिसमें राशिफल या जादू के विषय में लिखा गया हो या हाथ की लकीरें और प्याली पढ कर किस्मत का हाल बताए।

जादूगर के पास जाने का हुक्म यह है कि उसकी चालीस दिन तक नमाज़ मक़बूल नहीं होती जैसाकि हदीस में आया है, लेकिन जो व्यक्ति उसकी बातों को सच माने, उसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैः "जो किसी ज्योतिषी के पास आए और उसको सच माने तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारी गई शरीअत का इंकार किया", किंतु इस चेतावनी में वह व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो उसके पास इंकार की नीयत से जाए तथा वह ऐसा करने में सक्षम हो।

नुशरहः (कहते हैं)
जादू का इलाज करना (को), और इसके दो प्रकार हैः

जायज़ तरीकाः
शरई झाड़-फूँक, जायज़ औषधि और साबित दुआओं के द्वारा उपचार करना।

नाजायज़ तरीकाः
जादू के द्वारा उपचार करना, इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैः «إِنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» ये शैतानी कार्य

जादू का इलाज जादू से करने को जायज़ कहने वालों पर रद्दः

१- जादू का इलाज जादू से करना, कुरआन व हदीस, सहाबी और सलफ के तरीकों के विरुद्ध है।

२- इसमें कुरआन करीम और साबित दुआओं के द्वार उपचार करने की महत्ता को कम करना है।

३- इसमें जादू व जादूगरों का प्रोत्साहन तथा लोगों की दृष्टि में उसे प्रतिष्ठित बनाना है।

४- इसमें कुरआन और साबित दुआओं के द्वारा सुनिश्चित उपचार से, जादू जैसे संभावित उपचार की ओर फेरना है।

५- जादू का उपचार जादू से करने के लिए आवश्यक है कि जादूगर तथा रोगी (मोहित) दोनों शैतान का सामीप्य उसकी मनपसंद वस्तुओं के द्वारा हासिल करें, ताकि वह रोगी से जादू के प्रभाव को समाप्त कर दे।

६- जादू का रोगी (मोहित) यदि सब्र करे तो उसके लिए जन्नत है जैसाकि यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है।

७- जादू का उपचार जादू से करने में मोहित के ऊपर फिर से जादू का बोझ डालना है।

८- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर भी जादू किया गया था, किंतु आपने उसका उपचार जादू से करने की जगह शरई झाड़-फूँक से किया।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली आठवीं बात

मुसलमानों के विरुद्ध मुश्रिकों का समर्थन और उनकी सहायता करना, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ) (तुम में से जो भी उन में से किसी से मित्रता करे वह निःसंदेह उन्हीं में से है, अत्याचार करने वालों को अल्लाह तआला कदापि मार्गदर्शन नहीं करता)।

मुसलमानों कि विरुद्ध मुश्रिकों की सहायता करनाः

मुसलमानों के ऊपर वाजिब है कि वह मुश्रिकीन तथा उनके धर्म से बराअत (अलगाव) जाहिर करें, और मुवह्हदीन से मैत्री तथा मेलजोल रखें, और जिसने भी कुफ्र को पसंद किया या उससे सहमत हुआ या उसपर किसी काफिर व मुश्रिक की सहायता की तो वह काफिर और इस्लामी सीमा से खारिज है।

सारांश यह है कि मुस्लिमों के विरुद्ध मुश्रिकों की सहायता करने के दो प्रकार हैः

कुफ्र व रिद्दत (इस्लाम से फिर जाना) हैः

मुश्रिकों से प्रेम तथा मुस्लिमों से घृणा करते हुए मुस्लिमों के विरुद्ध मुश्रिकों के वर्चस्व की कामना करते हुए सहायता करना।

कुफ्र व रिद्दत (इस्लाम से फिर जाना) नहीं हैः

ऐसा करना मुश्रिकों से प्रेम तथा मुस्लिमों से घृणा के कारण न हो बल्कि किसी सांसारिक लाभ के मोह में हो।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली नौवीं बात

जो यह अक़ीदा (आस्था) रखे कि कुछ लोगों के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीअत की पाबंदी अनिवार्य नहीं है, जैसाकि ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत का पाबंद रहना ज़रूरी नहीं था, तो वह काफिर है।

जो यह अक़ीदा (आस्था) रखे कि कुछ लोगों के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीअत की पाबंदी अनिवार्य नहीं हैः उलेमा के बीच आम सहमती है कि ऐसा करने वाला काफिर और मिल्लते इस्लाम से खारिज है, उससे तौबा करने को कहा जाएगा और उसके समक्ष दलील पेश किया जाएगा, यदि तौबा करले तो ठीक अन्यथा क़त्ल कर दिया जाएगा।

जैसाकि अल्लाह का फरमान हैः ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (आप कहिए, ऐ लोगों मैं तुम सबकी ओर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः «لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي» (यदि मेरे भाई मूसा भी जीवित होते तो उन्हें भी मेरा अनुसरण करना पड़ता)।

और ऐसा ही मामला उन यहूदी व ईसाईयों के साथ किया जाएगा जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत पहूँची हो।

क्या वास्तव में ख़िज़्र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत के अधीन नहीं थे? ऐसा दलील से साबित नहीं है, और यदि साबित हो भी तो हो सकता है कि उनकी शरीअत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत से अलग रही हो, जैसाकि उस युग में नबी विशेषतः अपने समुदाय के लिए भेजे जाते थे, जब्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सारे संसार के लिए भेजे गए हैं, अतः उनकी लाई हुई शरीअत का पालन करना हरेक के लिए अनिवार्य है जिसका कोई इंकार नहीं कर सकता।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली दसवीं बात

अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करना, कि न उसे सीखे और न उसपर अमल करे, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ) (उससे बड़ा अत्याचारी कौन है जिसे अल्लाह की आयतों से उपदेश दिया गया, फिर भी उसने मुख फेर लिया, निश्चय ही हम भी पापियों से प्रतिशोध लेने वाले हैं)।

अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करना:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (अल्लाह तआला जिसके संग भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ दे देता है)। और जिसके संग भलाई नहीं करना चाहता उसे दीनी शिक्षा से लापरवाह बना देता है, जैसाकि अल्लाह का फरमान है: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ) (और उस व्यक्ति से बढकर अत्याचारी कोन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए, फिर वह उनसे मुँह फेर ले, निश्चय ही हम अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे)। और गुनहगार लोग ही जहन्नमी होंगे।

-والعياذ بالله- (हम इससे अल्लाह की शरण चाहते हैं)

विमुखता प्रकट करने वालों का हुक्म:

जिसने सुनने से विमुखता प्रकट की और न ही दिल से उसको सच्चा या झूठा माना, न मित्रता दिखलाई न ही शत्रुता और न ही उसकी कोई परवाह की तो वह काफिर और मिल्लते इस्लाम से खारिज है, जैसाकि अल्लाह का फरमान है: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا) (और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की ओर जो अल्लाह ने उतारी है और आओ रसूल की ओर तो आप मुनाफ़िकों (कपटाचारियों) को देखते हैं कि वे आपसे कतरा कर रह जाते हैं)।

और दूसरे स्थान पर फरमाया: (وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا) (और जो कोई अपने रब की याद से कतराएगा, तो वह उसे कठोर यातना में डाल देगा)।

समाप्ति

इस्लाम से निष्कासित करने वाली उपर्युक्त बातों का करने वाला चाहे इसे मज़ाक़ में करे, या गम्भीर होकर या डर कर, उसे इस्लाम से निष्कासित माना जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति के जिसको ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया हो। और ये समस्त अति भयंकर और बहुधा घटित होने वाली हैं, अतः मुसलमान को चाहिए कि इससे सावधान रहे और इसमें पड़ जाने से डरता रहे। हम अल्लाह तआला से उसके क्रोध के कारणों और उसकी कष्टदायक यातना से पनाह माँगते हैं। وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

निष्कासित करने वाली इन बातों के बीच कोई अंतर नहीं है, चाहे ऐसा करने वालाः

भयभीत होः
यानी ऐसा करने वाला झूठा दावा करे कि उसने धन-दौलत या पद में हानि के डर से ऐसा किया है हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसाकि अल्लाह का फरमान हैः ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ (कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि "हम अल्लाह पर ईमान लाए", किंतु जब अल्लाह के मामले में वे सताए गए तो उन्होंने लोगों की ओर से आई हुई आज़माइश को अल्लाह की यातना समझ लिया, अब यदि तेरे रब की ओर से सहायता पहूँच गई तो कहेंगे, हम तो तुम्हारे साथ थे, क्या जो कुछ दुनियावालों के सीनों में है उसे अल्लाह भली-भाँति नहीं जानता?)

गंभीर होकरः यानी निष्कासित करने वाली इन बातों में किसी बात को जानबूझकर बिना किसी दबाव के अंजाम दे।

मजाक में करेः यानी निष्कासित करने वाली इन बातों में से किसी बात को अंजाम देने के पश्चात कहे कि मैंने ऐसा मजाक में किया है।

ज़बरदस्ती (बाध्यता, विवशता)

जिस व्यक्ति को निष्कासित करने वाली इन बातों में किसी बात के करने पर विवश किया गया हो तो वह काफिर नहीं होगा, किंतु इस विवशता के कुछ नियम हैं जो निम्नलिखित हैः

१- उस को सच में विवश किया गया हो, अतः जिसको विवश नहीं किया गया हो उसको इसमें से नहीं समझा जाएगा जैसे भयभीत या चापलूस।

२- जिसके करने पर बाधित किया गया हो उससे आगे न बढे, उदाहरणस्वरुप उसको केवल एक बात करने पर विवश किया गया था किंतु उसने एक से अधिक को अंजाम दिया तो ऐसा करने वाला काफिर है क्योंकि उसे केवल एक के लिए विवश किया गया था।

३- हरसंभव स्पष्ट रुप से ऐसा करने से बचे।

४- ऐसा केवल ज़ुबान से करे जब्कि उसका दिल ईमान से भरा हुआ हो।

५- जिस चीज के करने पर विवश किया गया हो उसका प्रभाव दूसरों पर न पड़ता हो और न ही उसका संबंध फसाद व लोगों की गुमराही से हो।

कुछ आवश्यक बातेः

पहली बातः लेखक महोदय का उद्देश्य इस पुस्तक के द्वारा लोगों को काफिर करार देना नहीं है, बल्कि इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों के ऊपर पुस्तिका इस लिए लिखी है कि लोग इसको जानें तथा ऐसा करने से बचें, ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो और उनको कष्टदायक यातना से छुटकारा मिले, साथ ही साथ दूसरों को भी इनसे बचने के लिए कहें, क्योंकि यह अत्यंत भयंकर मामला है जिसको जानना तथा उससे बचना अति आवश्यक है।

दुसरी बातः शरई ज्ञान अर्जित करके ही शिर्क से बचना संभव है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» अल्लाह तआला जिसके संग भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ दे देता है, अतः दीन की समझ अर्जित करना अति महत्वपूर्ण वाजिबात में से है, जिनके द्वारा मानव शिर्क (बहुदेववादिता), बिदअत (नवाचार) और गुनाहों (पापों) से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जितना अधिक व्यक्ति अपने रब के विषय में ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ही वह अपने हाव-भाव और क्रियाकलाप तथा गतिविधि में अपने रब की निगरानी का ध्यान रखेगा, और जितना ज्यादा उसके ज्ञान में गहराई होगी उतना ही उसके दिल में अल्लाह के प्रति निष्ठा पैदा होगी तथा उसका ईमान पूर्ण होगा, कुछ उलेमा का कहना है किः "हमने सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए इल्म हासिल करना शुरू किया था किंतु अल्लाह ने उसमें इख़लास (निष्ठा) पैदा कर दिया"।

तीसरी बातः इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों में किसी बात का दोषी पाए जाने पर व्यक्ति विशेष को काफिर कहना कदापि जायज़ नहीं जब तक कि हुज्जत क़ायम न हो जाए तथा काफिर करार देने वाली बातों में किसी प्रकार का कोई संदेह न हो, लेकिन इसके बावजूद किसी को व्यक्तिगत रूप से काफिर करार देने का अधिकार केवल मुस्लिम शासक या मुस्लिम क़ाज़ी को ही है न कि आम लोगों को।

चौथी बातः लेखक रहिमहुल्लाह ने इस पुस्तिका को इस दुआ के द्वारा समाप्त किया हैः (نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ وَأَلِيمِ عِقَابِهِ) (हम अल्लाह तआला से उसके क्रोध के कारणों और उसकी कष्टदायक यातना से पनाह माँगते हैं)। जोकि पाठक के प्रति उनके करूणा तथा हितचिंतक होने को दर्शाता है, और उनका यही तरीका उनकी सभी पुस्तकों में मौजूद है, अल्लाह उनको माफ करे और बेहतर बदला दे।

आमीन

स्वयं को परखें

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखेः

१- उलेमा अपनी पुस्तकों का प्रारंभ बिस्मिल्लाह से क्यों करते हैं?

१- .....

२- .....

३- .....

४- .....

२- इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातें क्या हैं?

.....

.....

३- उलेमा इसे कभी नवाक़िज़ तो कभी मुफ्सिदात तो कभी मुबत़िलात -ए- इस्लाम क्यों लिखते हैं?

.....

.....

४- क्या इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों पर सभी उलेमा सहमत हैं?

.....

.....

५- इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों की?

- गिनती संभव है - ये असंख्य हैं - संक्षिप्त रुप से गिनना संभव है, किंतु इसकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है।

६- लेखक महोदय ने दस ही का उल्लेख क्यों किया है?

.....

.....

७- जब हम क़ुरआन व ह़दीस में किसी अंक का उल्लेख हो तो इसका अर्थ है कि वही अंक अपेक्षित है यानी उस अंक पर कुछ भी ज़्यादा नहीं किया जाएगा?

.....

.....

८- कभी-कभी अंक का उल्लेख क्यों किया जाता है जब्कि वह अपेक्षित नहीं होता है?

.....

.....

९- उदाहरणस्वरुप एक अंक का उल्लेख करें जो शरीअत में अपेक्षित हो।

.....

.....

१०- उदाहरणस्वरुप एक अंक का उल्लेख करें जो शरीअत में अपेक्षित न हो।

.....

.....

११- इस्लाम से निष्कासित करने वाली दस बातों के ऊपर वृद्धि करने के विषय में लेखक की क्या राय है?

.....

.....

१२- उनके द्वारा उल्लेखित किस वाक्य से यह मतलब निकलता है?

.....

.....

१३- क्या इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों का गिनना संभव है?

.....

.....

१४- निष्कासित करने वाली इन बातों को कैसे गिना जाएगा?

१-.....

२- .....

३- .....

४- .....

१५- इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों का जानना क्यों आवश्यक है?

.....

.....

१६- निष्कासित करने वाली बातों से संबंधित किसी ने लेखक से पहले पुस्तक लिखी है?

.....

.....

१७- क्या इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों में क्रिया तथा कारक के मध्य अंतर किया जाएगा?

.....

.....

१८- अंतर करने का कारण क्या है?

.....

.....

१९- क्या लेखक रहिमहुल्लाह का अद्देश्य व्यक्ति विशेष को काफिर कहना है?

.....

.....

२०- इन बातों को जानने वाले का कर्तव्य क्या है?

.....

.....

२१- लेखक का आश्य किस प्रकार का शिर्क है?

.....

.....

२२- हम शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़ग़र में कैसे अंतर करेंगे?

.....

.....

२३- क्या शिर्क -ए- अकबर माफ हो जाता है? और यह कब माफ नहीं होता?

.....

.....

२४- शिर्क -ए- अस़ग़र और कबीरा गुनाह, दोनों में से बड़ा गुनाह कौनसा है?

.....

.....

२५- कबीरा गुनाह का मापदंड क्या है?

.....

.....

२६- क्या कबीरा गुनाह की कोई संख्या निर्धारित है?

.....

.....

२७- गुनाह -ए- कबीरा के दोषी का क्या हुक्म है? और उनसे प्रेम रखा जाएगा अथवा घृणा की जाएगी?

.....

.....

२८- क्या गुनाह -ए- कबीरा के दोषी के साथ संबंध रखा जाएगा?

.....

.....

२९- क्या गुनाह -ए- कबीरा की विभीन्न श्रेणियाँ हैं? इसकी क्या दलील है?

.....

.....

३०- कबीरा गुनाह के दोषी के लिए तौबा करना आवश्यक है? या यह सुकर्म करने से स्वतः समाप्त हो जाता है?

.....

.....

३१- मुहर्रमात (वर्जनाओं, हराम (निषिद्ध) की हुई वस्तु) के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

३२- शिर्क -ए- अकबर के कितने प्रकार हैं?

१- .....

२- .....

३- .....

३३- ज़ब्ह के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

३४- ज़ब्ह करना शिर्क -ए- अकबर कब होगा?

.....

.....

३५- शिफाअत (सिफारिश) के कितने भेद हैं?

.....

.....

३६- तवक्कुल के कितने प्रकार हैं?

१- .....

२- .....

३- .....

३८- क्या ये कहना किः (मैंने अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) या (मैंने अल्लाह पर फिर अमूक व्यक्ति पर भरोसा किय) सही है?

- सही है। – सही नहीं है।

३९- किस प्रकार कहना सही है?

.....

.....

४०- मुश्रिकीन के शिर्क की क्या दलील है? क्या इसमें अहल -ए- किताब (यहूदी व ईसाई) भी शामिल हैं?

.....

.....

४१- क्या इसका यह मतलब है कि हम उनके साथ वादा ख़िलाफी करें?

.....

.....

४२- मुश्रिकों (बहुदेववादियों) के संग मामला रखने में लोगों के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

४३- अल्लाह की उतारी हुई शरीअत के विरुद्ध फैसला करने के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

४४- अल्लाह ही के लिए प्रेम रखने का क्या हुक्म है?

.....

.....

४५- अल्लाह ही के लिए किन चीजों से प्रेम रखना तथा किन चीजों से घृणा करना वाजिब है?

.....

.....

४६- इस्तिहज़ा करने (उपहास उड़ाने) वाला किस क़िस्म में गिना जाएगा?

.....

.....

४७- क्या उपहास उड़ाने वाले के लिए तौबा है? उसकी क्या शर्तें हैं?

१- .....

२- .....

३- .....

४८- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली देने वाले का क्या हुक्म है?

.....

.....

४९- जो गालियां (अपशब्द) सुन रहा हो उसका क्या हुक्म है? उसको क्या करना चाहिए?

.....

.....

५०- जादूगर के काफिर होना की क्या दलील है?

.....

.....

५१- जादूगर की क्या निशानियाँ एवं लक्षण हैं?

.....

.....

५२- जादूगर के पास जाने का क्या हुक्म है?

.....

.....

५३- जादूगर के पास जाने का क्या अर्थ है?

.....

.....

५४- नुशरह के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

५५- जादू का इलाज जादू से करने को जायज़ कहने वालों पर कैसे रद्द करेंगे?

१- .....

२- .....

३- .....

४- .....

५- .....

६- .....

७- .....

८- .....

५६- मुसलमानों कि विरुद्ध मुश्रिकों की सहायता करने का क्या हुक्म है?

.....

.....

५७- क्या कोई ऐसा भी है जिसके लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीअत की पाबंदी अनिवार्य नहीं है?

.....

.....

५८- क्या ख़िज़्र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत के पाबंद नहीं थे?

.....

.....

५९- अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करने का क्या हुक्म है?

.....

.....

६०- लेखक महोदय के शब्दों में "भयभीत" का क्या अर्थ है? क्या इससे तात्पर्य वह व्यक्ति है जिस को विवश किया गया हो?

.....

.....

६१- विवशता की क्या शर्तें हैं?

.....

.....

६२- लेखक रहिमहुल्लाह ने इस पुस्तिका को दुआ के द्वारा क्यों समाप्त किया है?

.....

.....

६३- मुसलमान अपने आपको शिर्क से कैसे बचा कर रखें?

.....

.....

مترجم إلى اللغة الهندية

www.attasseel-alelmi.com

Attasseelalelmi1

Attassee.alelmi

Attasseel

Attasseelalelmi1

Attasseelalem